राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का प्रथम दिवस [संख्या १

सोमवार, दिनांक १९ अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. ३ बज कर ३० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, शिक्षा, उद्योग, देवस्थान, खाद्यान्न, सहकारिता, सामान्य प्रशासन, पंचायत, राजस्व, खनिज, खादी ग्रामोद्योग एवं सिंचाई–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २

श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

बकाया रकम की वसूली

३. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में तहसील तालेड़ा में प्रबंध फार्म है जिसके मालिक श्री नारायण पुरोहित हैं ?

(२) क्या उक्त फार्म पर सरकार से तकाबी, बीज, खाद लिया गया है ?

(३) यदि हां, तो उसकी रकम की तादाद कितनी है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि श्री नारायणजी में हजारों की बकाया होते हुए भी कृषि विभाग के द्वारा १० हजार रुपये पुनः ट्रैक्टर खरीदने हेतु दिये गए ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार वर्षों की बकाया रकम को वसूल करने की कार्यवाही करेगी ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

Page No 2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) जी हां।

(३) कुल रकम ५५८३) रु० है। तालिका संलग्न है।

(४) जी नहीं।

(५) रकम की वसूली की कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब पहली साल १९५६-५७ में रकम दी गई, उसमें से बकाया चली आ रही है तो १९५७-५८ में देने की आवश्यकता क्यों हुई ? फिर १९५७-५८ में रकम दी गई उसमें से बकाया है तो १९५८-५९ में क्यों दी गई ? १९५८-५९ में से भी बकाया रहा तो १९५९-६० में रकम क्यों दी गई ? और उसके बाद १० हजार रुपये ट्रैक्टर खरीदने के लिए बतौर लोन दे दिये गये ? ऐसी बड़ी फर्म है जिससे आपकी बकाया की वसूली न हो और उस पर आपके हजारों रुपये बकाया रहे तो मैं समझता हूँ कि उसको रकम देना अनियमितता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग-अलग सालों में रकम दी गई है उसमें रोकड़ रुपया नहीं है। वह बीज के रूप में दी जारही है सवाई बाड़ी के हिसाब से। उस समय काइन्ड में देने की प्रथा मौजूद थी। एक साल में जो बीज दिया उसकी दूसरे साल में वसूली नहीं की गई। इसलिए जो तालिका में दी हुई रकम है वह बाड़ी की रकम है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक साल जो रकम दी गई वह बकाया रही तो दूसरे साल क्यों दी गई और दी गई तो क्या देना उचित था ?

प्रश्न संख्या ४

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण छाछिया

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

गांधी विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति

५. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या कस्बा दौसा, जिला जयपुर में गांधी विद्यालय, हरिजन बस्ती के नाम से कोई पाठशाला है ?

(२) यदि हां, तो इस विद्यालय में कितने छात्र हैं ?

(३) इस विद्यालय में कितने छात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति के हैं—उनकी कक्षावार व जातिवार लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह भी सच है कि वहां के हरिजन छात्रों में से गत तीन साल से एक भी लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) तीन साल से उक्त जातियों के लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का कारण क्या है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री निरञ्जननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। गांधी विद्यालय,

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)
हरिजन बस्ती, दौला में कोई मान्यता प्राप्त पाठशाला नहीं है।

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

मच्छियों का ठेका

६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि नाथद्वारा के समीप के मुदड़ी नीमामा बांध के गहरे स्थानों के लिए मच्छियों का ठेका दे दिया गया है? क्या यह ठेका नीलाम से नहीं दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि इसकी सूचना प्राप्त होने पर नाथद्वारा नगर की जनता ने सार्वजनिक सभा में रोष प्रकट करते हुए इसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित कर राजस्थान के मुख्य मन्त्री, डाइरेक्टर, मत्स्य विभाग, उदयपुर जिलाधीश, उदयपुर आदि के पास भेजे ?

(३) क्या यह सही है कि उस प्रस्ताव से यह स्पष्ट होता है कि जनता इस बात को सहन नहीं करेगी तथा आन्दोलन करेगी ?

(४) क्या यह सही है कि पहले भी इस तालाब का ठेका दिया गया लेकिन जनता द्वारा आन्दोलन करने पर उस ठेके को कैंसिल करना पड़ा ?

(५) क्या तीर्थ-स्थान पर इस प्रकार ठेके देना उचित होगा ?

(६) क्या सरकार इस ठेके को कैंसिल करने का विचार रखती है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।

(४) जी हां।

(५) नियमों के अनुसार धार्मिक जलाशयों या स्थानों या स्नान करने के घाटों पर मछली पकड़ना मना है किन्तु मुदड़ी बांध पर कोई तीर्थ स्थान नहीं है।

(६) यह मामला विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इसका प्रश्न पहले भी असेम्बली में पूछा गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे याद नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या आपने स्वीकार किया था कि इस पर ठेका नहीं दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इस प्रकार के मामले में वायदा करके, जो बहुत इम्पोर्टेन्ट होते हैं, आप याद नहीं रखते हैं; जो वायदे सदन में करते हैं वे कहां तक उचित है ?

अनेक माननीय सदस्य : याद नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि हाउस में कमिटमेंट करने के बाद भी ठेका

(श्री विजयसिंह झाला)

दिया गया, इसलिये जो आश्वासन सदन के सामने मन्त्री महोदय देते हैं और उन आश्वासनों के विपरीत काम होता है तो हम जानना चाहेंगे कि उन आश्वासनों का मूल्य क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री विजयसिंह झाला : हम आश्वासनों पर विश्वास करें या नहीं, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : एश्योरेन्स कमेटी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

गबन

७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गंगानगर शुगर मिल में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें गबन किया गया साबित हो चुका है ?

उद्योग मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : केवल एक मामला जानकारी में आया है जिसकी जांच जारी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मामला किस बात का है जो आपकी जानकारी में आया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह यह है कि शुगर केन का जो पेमेन्ट हुआ था १९६१-६२ में उस पेमेन्ट के सिलसिले में करीब २३ हजार का ज्यादा पेमेन्ट किया है । उसका रिकार्ड है वह गलत है क्योंकि काट-छांट हुई है, उससे शक होता है । इसलिये उसकी जांच की गई और उस मामले में २३ हजार का ओवर पेमेन्ट हुआ सा लगता है । उसकी पूरी जांच करके प्राइमाफेसी केस बन चुका है और वह मामला पुलिस को दिया गया है । पुलिस उसकी जांच कर रही है

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दास एन्ड कम्पनी से फर्जी वाउचर बनाये गये थे, ऐसा मामला आया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कैसा मामला ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शुगर फैक्ट्री के लिए कुछ पार्टस खरीदे गये थे, वे मोदी खाने से खरीदे गये थे, लेकिन फर्जी वाउचर दास एण्ड कम्पनी से बनवाये गये थे; ऐसा मामला आया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ना ।

श्री मुरलीधर व्यास : २३ हजार के मामले के सम्बन्ध में गवर्नमेंट कोई इन्क्वायरी कराने की कार्यवाही कर रही है ? जैसा आपने कहा, गवर्नमेंट के ख्याल में आया है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा, प्राइमा फेसी साबित होने पर मामला पुलिस को दे दिया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

अलवर जिले के मन्दिरों में स्कूल

८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) देवस्थान विभाग के तहत अलवर जिले में कितने मन्दिर हैं और कौन कौन से ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि इन मन्दिरों में बहुत सी इमारतों की हालत मरम्मत न कराई जाने के कारण खराब हो रही है ?

(३) क्या यह सही है कि इन मन्दिरों में बहुत जगह खाली पड़ी हुई है जिनमें सरकारी स्कूल लगाये जा सकते हैं ?

(४) क्या शिक्षा विभाग की ओर से अलवर नगर में देवस्थान विभाग के तहत कुछ मन्दिरों में सरकारी स्कूल लगाने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्या इन मांगों को स्वीकार किया गया ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या सरकार इन मन्दिरों को स्कूलों के लिये काम में लेने के लिए इजाजत देने पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) देवस्थान विभाग के तहत अलवर में एक मन्दिर श्री राम रघुनाथ जी (विजय मन्दिर) है । इसके अतिरिक्त १२५ मन्दिर सुपुर्दगी के व ५३६ सहायता प्राप्त हैं। परन्तु उन पर देवस्थान विभाग का प्रबन्ध न होकर महन्त और पुजारियों का ही प्रबन्ध है ।

(२) जहां तक देवस्थान विभाग के तहत मन्दिर का प्रश्न है, मन्दिर की स्थिति ठीक है और मरम्मत का कोई प्रश्न ही नहीं है । बाकी मन्दिर जो सहायता प्राप्त व सुपुर्दगी के हैं उनकी मरम्मत की जिम्मेवारी महन्त व पुजारियों की है न कि देवस्थान विभाग की। देवस्थान विभाग से तो सिर्फ डाइरेक्ट चार्ज, कोर्ट ऑफ वार्ड्स व सेल्फ सपोर्टिंग मन्दिरों की ही मरम्मत कराई जाती है।

(३) केवल विशाल मन्दिरों में ही कुछ जगह है ।

(४) देवस्थान विभाग के तहत मन्दिर की बाबत शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ । केवल जलेबी चौक स्थित सुपुर्दगी के मन्दिरान की बाबत जरूर ऐसा प्रस्ताव आया था और सन् १६५६ में मन्दिर श्री धनरूपबिहारी जी अलवर का कुछ भाग उनकी आवश्यकता अनुसार सरकारी स्कूल के उपयोग मे दिया जा चुका है ।

(५) शिक्षा विभाग द्वारा मांग आने पर व मन्दिर की मर्यादा व जगह उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल—जिन मन्दिरों को सरकार की ओर से सहायता दी जा रही हैं और उनमें अगर जगह उपलब्ध है स्कूलों को लगाने के लिए तो क्या सरकार उन मन्दिरों के पुजारियों को इस बात के लिए आग्रह करेगी कि वे स्थान शिक्षालयों के लिए दे दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी सलाह दी जा सकती है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : हां हां, सलाह के लिए,क्योंकि सरकार पूरी ऐड देती है इसलिए सरकार आग्रह करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, ऐसी सलाह ही दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ।

भीलवाड़ा जिले के उद्योग-पतियों को अतिरिक्त कोटा

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

Page No 6

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. सन् ५९ से अब तक भीलवाड़ा जिले में किन किन उद्योगपतियों को किस किस चीज का कितना कितना कोटा अब तक दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

२. क्या यह सही है कि जिन लोगों को कोटा मिला है उसमें से बहुतों ने कोई उद्योग शुरू ही नहीं किया है ?

३. भीलवाड़ा में जो इन्डस्ट्रीयल शैड़ बने हैं उनमें कितने कारखाने किन किन लोगों ने किस किस चीज के लगाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे तथा कितने शैड खाली पड़े हैं ?

४. जिन लोगों ने कारखाने खोले हैं उन्होने अब तक क्या २ माल कितनी तादाद में बनाया व उनको कितना कोटा मिला ? सूची सदन को मेज पर रखी जावे ।

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसे अगले सोमवार तक के लिए पोस्टपोन किया जाय ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, छः महीने से भी ज्यादा समय हो गया ।

श्री अध्यक्ष: छः दिन और ठहर जाइये ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : छः दिन में भी जवाब मिल जायगा या नहीं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): पूँजीपतियों से सम्बन्धित है साहब ।

नावां तहसील के स्कूल

१०.श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. नावां तहसील में कुल कितने हायर सैकेन्डरी, हाई स्कूल व मिडिल स्कूल है एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत और कितने नये खोलने का इरादा है ?

२. क्या सरकार विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या व अन्य स्थिति को देखते हुए नये सत्र से मारोठ में कन्या माध्यमिक पाठशाला व गुढा साल्ट में माध्यमिक पाठशाला खोलने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य : नावा तहसील मे निम्न शालायें चल रही हैं :—

१. हायर सैकेंडरी स्कूल, मारोठ
२. हाई स्कूल, नावां
३. हाई स्कूल, कुचामन सीटी
४ माध्यमिक शाला, घाटवा
५. माध्यमिक शाला, मिठरी
६. माध्यमिक शाला, भिन्डा
७. माध्यमिक शाला, कुम्कुबाली
८. कन्या माध्यमिक शाला, कुचामन
९. कन्या माध्यमिक शाला, नावां

तृतीय पंच वर्षीय योजना राजस्थान के लिये बनी है । यह पंचायत वाईज नहीं है । अत: यह कहना कि यहां कितने स्कूल खुलेंगे सम्भव नहीं है ।

Page No 7

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

२. प्राथमिक पाठशाला गुढ़ा साल्ट को इस सत्र से मिडिल स्कूल बना दिया गया है। कन्या पाठशाला, कस्बा मारोठ को मिडिल स्कूल में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये थे इसलिये विचार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कुमारानन्द।

गुमाश्ता मंडल, जोधपुर का प्रस्ताव

११. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या सरकार को गुमाश्ता मण्डल, जोधपुर द्वारा उनके आठवें वार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें स्थानीय निरीक्षकों के बारे में कई शिकायतें की गई हैं और उनके विरुद्ध उचित जांच की मांग की गई है?

२. यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :

१. जी हां।

२. जांच करने पर यह मालूम हुआ कि इस कार्य में निरीक्षकों द्वारा कोई ढिलाई नहीं की गई। प्रस्ताव की मांग के अनुसार निरीक्षकों को फिर सख्त आदेश दे दिये गये हैं कि कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।

दूकान खुलने के समय को कम करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत कर्मचारियों के काम के घन्टे पहले ही निर्धारित किये हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही नहीं है कि जो काम के घन्टे राजस्थान में मुकर्रर हैं वे दूसरी स्टेटों से ज्यादा हैं और इसलिये क्या गवर्मेंट इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं करती कि इनको कम किया जावे?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि किस स्टेट में कम है और यहां ज्यादा है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानकारी किसकी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : इस बात की कि किस स्टेट में काम के घन्टों की संख्या राजस्थान स्टेट से कम है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि व्यापारी-मण्डल ने भी इस बात की मांग की है कि काम करने के घन्टे केवल १० रखे जावें।

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न गुमाश्ता मंडल जोधपुर के सम्बन्ध में था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बिट्ठल।

अनाज के भाव

१२. श्री बिट्ठल (बांसवाडा) : क्या रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि सरकार ने अनाज के भावों को बांधने की कोई नीति अपनाई है?

२. यदि हां तो अब तक बढ़ते हुए भावों को रोकने की सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(श्री विट्ठल)
३. यदि नहीं की, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
१. जी हां।

२. राज्य में खाद्य पदार्थों के भावों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। लगभग राज्य के सभी जिलों में अनाज के भाव लगभग स्थिर रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलाधीशों को आदेश दिये हैं कि अपने अपने जिले में अनाज के भाव किसी भी तरह से न बढ़ने पायें और जहां भी अनाज के भावों में वृद्धि हो वहां पर शीघ्र ही सस्ते अनाज की दूकान खुलवाने की व्यवस्था करें। राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में अनाज के भावों को न बढ़ने देने के अभिप्राय से एक विजिलेन्स कमेटी बना दी है, जिसमें सरकारी सदस्यों के अलावा व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि भी हैं। इसके अतिरिक्त अनाज का व्यापार केवल वही व्यापारी कर सकते हैं जो लाइसेन्सदार हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को हर किस्म के अनाज की मूल्य-सूची दूकान पर रखनी पड़ती है, जिससे अनाज के भाव व दरें निरीक्षकों को मालूम होती रहती है तथा खरीददार को भी इन मूल्यों से अधिक देना नहीं पड़ता।

३. प्रश्न नहीं उठता।

श्री विट्ठल : आपने कहा है कि हम जिलाधीशों को आदेश दे चुके हैं कि भावों को निर्धारित रखा जावे और भावों में वृद्धि न होने पाए तो क्या खलिहानों से अनाज व्यापारी लोग ले लेते हैं और आज ड्योढ़ा और दुगुना भाव क्यों बढ़ा हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप किस नाज के बारे में कह रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि किस भाव से किसानों से कौनसा धान ले लिया जाता है। आपका मतलब मैं समझा नहीं।

श्री विट्ठल : जब कि मक्का का भाव फसल आने पर १०) रु० का मन था और आज मक्का का भाव १६ रु० मन का हो गया है और गेहूँ को भी ७) रु० के भाव से लिया और आज कई जिलों में १०) रु० मन है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मिसाल दी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मक्का के भाव के बारे में आपने कहा कि व्यापारियों ने खलिहान से १०) रु० मन खरीदी और १६) रु० मन का भाव हो गया है। मेरे ख्याल से जिस समय लाटा निकलता है, उस समय वैसे भाव नहीं होते। उस समय के और साल भर बाद के भावों में कुछ अन्तर पड़ता ही है। व्यापारी लोग किसानों से लेते हैं उस भाव में और बेचने के भाव में कुछ अन्तर अवश्य होता है। १२ महीनों में दो-चार रुपयों का अन्तर आ सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपने कहा कि भावों में वृद्धि नहीं हुई है और भाव स्थिर हैं, यह आपने किस जगह के भावों को देख कर कहा कि भाव बढ़े नहीं हैं। हिन्दुस्तान में सब जगह भाव बढ़ रहे हैं। इसके बारेमें श्री गुलजारीलाल नन्दा ने भी कहा है और सभी लोग कहते हैं कि भावों में वृद्धि हो रही है। आप यह कहते हैं कि भावों में वृद्धि नहीं हुई है, वह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि भाव लगभग स्थिर रहे।

Page No 9

श्री मुरलीधर व्यास : आप लगभग' इस मंहगाई के जमाने में कहें तो मैं कहूँगा कि आपका यह जवाब बिल्कुल गलत जवाब है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि भावों में विशेष वृद्धि नहीं हुई है । क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतावेंगे कि किन - किन के भावों में क्या क्या वृद्धि हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछते तो मैं सारी चीजों की जानकारी करके बता सकता था लेकिन प्रश्न जनरल पूछा गया है, इसलिये मैंने जनरल प्रश्न का उत्तर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : मक्का और जौ का भाव आज से ६ महीने पहले कितना था और अब कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास सूची नहीं है कि आज से ६ महीने पहले क्या भाव था ?

(श्री मुरलीधर व्यास व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा व अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष ; श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने यह स्वीकार किया है कि गेहूँ के भावों में ५) का अन्तर व हेरफेर हुआ तो क्या ५) रु० का अन्तर कोई बढ़ोतरी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री इसको स्वीकार नहीं करते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ; माननीय मंत्री ने कहा है कि ५) रु० का हेरफेर होता है ।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) ; फसल पर १६) रु० मन गेहूँ मिलता था और अब भी १६ रु० मन मिलता है । कहां वृद्धि हुई है ?

श्री मुरलीधर व्यास : आपके पास बहुत धान है ।

(शोरगुल)

कई माननीय सदस्य : भाव तो और भी बढ़ते जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !

(शोरगुल)

Order ! please !

माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह उन्होंने अपने इलाके की दी है । इसमें नाराजगी का क्या प्रश्न है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) ; माननीय मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि एक फसल के आने से और जब तक दूसरी फसल न आवे उसके बीच में फसल के दामों में कितने रुपये तक की वृद्धि की जा सकती है । ऐसा कोई नियम लागू करके राजस्थान सरकार ने कोई व्यवस्था की है और अगर नहीं की है तो क्या सरकार इस पर विचार करने के लिये तैयार है । एक फसल से आने से लेकर दूसरी फसल आने तक सवाई वृद्धि हो या १० परसेन्ट की वृद्धि हो या इससे ज्यादा वृद्धि नहीं हो, ऐसी कोई व्यवस्था या नियम निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार बिचार करने के लिये तैयार है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष ; इस प्रश्न का उत्तर आने दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : लाटों के वक्त भावों की दरों में और वापिस फसल आवे उसके भावों की दरों के बारे में कम से कम अन्तर हो इस बात का सरकार हमेशा ध्यान रखती है । लाटों के वक्त में भी सरकार ने भावों को ठीक रखने के लिये कदम उठाये हैं और जब कभी नई चीजों की फसल होती है तो लगातार कदम उठाया जावेगा । इसलिये विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष ; इस प्रश्न से सारी बातें संबन्धित नहीं हैं । अगर माननीय सदस्य चाहें कि इस पर ज्यादा बहस हो तो विशेष तौर से बहस की व्यवस्था की जा सकती हैं । इस बारे में माननीय मंत्री के पास जानकारी नहीं है ।

(शोरगुल एवं अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष ; आप सब तो खड़े नहीं हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से केटेगोरीकली जवाब यह चाहते हैं कि मौजूदा भावों को क्या सरकार चिन्ताजनक नहीं समझती या समझती है । हम समझते हैं कि भावों में वृद्धि चिन्ताजनक है । गवर्नमेंन्ट इसको रोकने लिये क्या कदम उठाना चाहती हैं ? गवमेंट अगर इसको सीरीयसली लेती है तो ठीक है, अगर सीरीयसली नहीं लेती है तो इसके लिये कदम का प्रश्न ही रह जाता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस प्रश्न से सारी बातें संबन्धित नहीं हैं । जैसा मैंने बताया कि प्रश्न के द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । माननीय सदस्य चाहें तो विशेष तौर से बहस की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे माननीय सदस्य भी तैयार होकर आ सकते हैं और माननीय मंत्री भी आंकड़े और सारी जानकारी करके आ सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार फूड ग्रेन्स के मिनिमम और मेग्जिमम रेट्स निर्धारित करने और भावों को न बढ़ने देने के लिये चीप ग्रेन शोप्स खोलने और बफर स्टाक रखने पर विचार कर रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह प्रश्न अखिल भारतीय प्रश्न है क्योंकि अनाज के भाव अलग २ स्टेट्स में, जबकि सवाल वही है तो और चीजों पर भाव डिपेन्ड करते हैं, सारे हिन्दुस्तान की क्रॉप, स्टॉक पोजीशन और दूसरे फेक्टर्स हैं, पर जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है अखिल भारतीय आधार पर विचार किया जा रहा है और यह भाव बढ़ जांय और चीप ग्रेन शोप्स खोलने की आवश्यकता हो तो समय समय पर सरकार विचार करती रही है । पर देखा गया है कि लोग मार्केट से खरीदते हैं, इनसे खरीद कर नहीं ले जाते । फिर भी आवश्यकता हो तो चीप ग्रेन शोप्स खोली जा सकती हैं ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह जो भाव बढ़ रहे हैं, ऐसी हमारी मान्यता है, क्या इस पर सरकार खुली बहस करने को तैयार है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय पहले ३६ रुपया क्विन्टल बाजरा था, अब ३३ रुपया क्विन्टल बिक रहा है; तो यह अनाज के भावों में तेजी है या मन्दी ?

श्री अध्यक्ष; श्री भानुप्रसाद।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) ; इनका इस्तीफा मन्जूर नहीं होने वाला है और आपको मन्त्री पद नहीं मिलने वाला है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष ; श्री भानुप्रसाद !

जयपुर जिले की कृषि सहकारी समितियां

१३. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं)**: क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

१. जयपुर जिले में कृषि सहकारी समितियां कुल कितनी हैं ?

२. क्या इन समितियों में शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की भी कोई समिति है ? यदि हां. तो किस नाम से और इनके पास भूमि है या नहीं ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : १, जयपुर जिले में कुल ६६ कृषि सहकारी समितियाँ हैं।

२, जी हां। शिव डूंगरी बीड़ सामुहिक सहकारी कृषि समिति नाम की एक समिति है।भूमि नहीं है।

श्री भानुप्रसादप्रसाद ; क्या समिति को रजिस्टर करने से पहले भूमि अलॉट करना जरूरी नहीं है ?

श्री भीमसिंह ; चाकसू तहसीलदार ने यह लिखित आश्वासन दिया है कि ३०४ बीघा २ बिस्वा जमीन फारेस्ट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेकर समिति को अलाट कर देगा और इसकी कार्यवाही चालू है।

श्री भानुप्रसाद कराडिया : यह कब तक दे दी जायगी ? वह जमीन कब तक रेवेन्यू विभागमें आ जायगी ? करीब ५ साल हो गये हैं. शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को बिल्कुल जमीन नहीं दी गई है।

श्री भीमसिंह ; फोरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलते ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलाट कर देगा।

श्री अध्यक्ष ; फोरेस्ट मन्त्री महोदय भी कृपया नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा।

प्रश्न संख्या १४

श्री हरफूल !

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन !

राज्य के सीमावर्ती गांवों में शिक्षा-प्रसार

१५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) ; क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;--

१. राज्य के पाक सीमा स्थित पिछड़े हुए गांवों में शिक्षा-प्रसार-सम्बन्धी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

२. क्या सरकार ने इस पिछड़े क्षेत्र के गांवों में प्राथमिक शालाएं खोलने की स्वीकृति दी है ? अगर हां तो संकट कालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् किन २ गांवों में शालाएं खोलने की स्वीकृति दी गई है, उन गांवों की

(श्री भीमसेन)

जनसंख्या व आपस की दूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा कराये गये एज्युकेशनल सर्वे के अनुसार किस स्थिति में है ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) ; १. राज्य के पाक सीमा स्थित पिछड़े हुए गांवों में शिक्षा विभाग ने २५० प्राथमिक पाठशालाओं के खोलने का निर्णय लिया है । जिसके अन्तर्गत पाठशालाएं स्वीकृत की जा रही हैं ।

२. पिछड़े क्षेत्र के गांवों में ६३ प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की स्वीकृत दी गई है ग्रामों की जन-संख्या व आपसकी दूरी के सम्बन्ध में सूचना साथ में संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये ।)

श्री भीमसेन : इसमें स्कूलें खोलने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । यह कई दफा बता चुके हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन का प्रशिक्षण

१६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि केवल कनिष्ठ लेखकों (एल० डी० सी०) अथवा टाईपिस्टों व शीघ्र लिपिकों (स्टोनोग्राफर्स) के लिये ही सरकार द्वारा राजस्थान सचिवालय में शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन की प्रशिक्षण कक्षाएं चलाई गई थीं ? यदि हां, तो उन कक्षाओं में वरिष्ठ लेखकों (यू डी. सी.) को भी नियमित रूप से प्रशिक्षण देकर सरकार ने उन कर्मचारियों का समय क्यों नष्ट किया ?

२. क्या सरकार के सभी वरिष्ठ लेखकों (यू डी. सी.)को भी जिन्होंने जन सेवा आयोग द्वारा आयोजित शीघ्र लेखन एवम् मुद्रलेखन (स्टेनों एवं टाईपिंग) की परीक्षाएं पास करली हैं कनिष्ठ लेखकों (एल. डी. सी) व शीघ्र लिपिकों (स्टेनोग्राफर) को भांति अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और उनके इस आशय के आवेदन--पत्र गत दो वर्षों से सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय ले सकेगी ? इस बिलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है !

३. क्या उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले सभी कनिष्ठ लेखक (एल. डी. सी.) वर्तमान अवस्था में भी मुद्रलेखन (टाईपिंग) का भी कार्य कर रहे हैं अथवा परीक्षण काल में मुद्रलेखन का कार्य कर रहे थे ? यदि नहीं, तो उन्हें ही अग्रिम वेतन वृद्धि देकर प्रशिक्षण काल में वरिष्ठ लेखक (यू. डी सी) के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को इस लाभ से क्यों वंचित रखा गया है ?

४. क्या जनसेवा आयोग द्वारा आयोजित उक्त परीक्षाएं पास करने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति शीघ्र लिपिकों (स्टेनोज) के पद पर सरकार द्वारा करदी गई हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की और अब ऐसे कितने कर्मचारी शेष हैं ? शेष कर्मचारियों को शीघ्र लिपिक (स्टेनो) के पद पर अब तक क्यों नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नियुक्त किया जा सका जब कि सरकार कई विभागों में राजकाज हिन्दी भाषा में करने के आदेश दे चुकी है ?

५. क्या इस प्रकार जो शिथिलता बरती जा रही है उस सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां ।

वरिष्ठ लेखकों को हिन्दी मुद्रण एवं शीघ्र लेखन के प्रशिक्षण दिये जाने की कोई योजना नहीं थी । केवल उन्हीं वरिष्ठ लेखको ने इन कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिनके लिये उनकी प्रार्थना पर विभागीय अध्यक्षों ने उनकी स्वेच्छा से प्रशिक्षण हेतु सिफारिश की थी और प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पूरी न होने के कारण उन्हें भी प्रशिक्षण दे दिया गया था, क्योंकि प्रशिक्षण कक्षाओं में स्थान रिक्त थे और उनके प्रशिक्षण पर अलग से खर्चा नहीं होना था अतः उन्हें भी प्रशिक्षण दे दिया गया । वरिष्ठ लेखकों ने यह प्रशिक्षण अपनी स्वेच्छा से प्राप्त किया है अतः शासन द्वारा उन्हें प्रशिक्षण देकर उनके समय नष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) शासन द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार अंग्रेजी मुद्रलेखकों को हिन्दी मुद्र लेखन में एवं अंग्रेजी शीघ्र लेखकों को हिन्दी मुद्र लेखन एवं शीघ्रलेखन में विशेषित होना था । ऐसे विशेषित कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रोत्साहन हेतु अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का भी प्रावधान किया गया था । राज्य शासन में मुख्यतः अंग्रेजी मुद्र लेखकों एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखकों, जो अपने आपको जन सेवा आयोग द्वारा परिक्षाओं में उत्तीर्ण न होने पर उनकी सालाना वेतन-वृद्धि के भी रोक दिया जाना था किन्तु वरिष्ट लेखकों के लिये यदि वे अपने आपको हिन्दी मुद्रलेखन में विशेषित न करलें तो न उनके सालाना वेतन वृद्धि रोकी जानी थी और न ही एक अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना था । वरिष्ठ लेखकों द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर शासन द्वारा समय समय पर यह निर्णय लेकर कि उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाना है समय समय पर सूचना भेज दी गई है, अतः वरिष्ठ लेखकों के आवेदन-पत्रों पर दो वर्षों से सरकार के समक्ष विचाराधीन रहने का प्रश्न ही नहीं रहता और न ही इन पर कोई निर्णय लिये जाने का प्रश्न उठता है, ऐसी स्थिति में इस निर्णय में विलम्ब एवं किसी अधिकारी के दोषी होने अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का, प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रशिक्षण के समय चयन करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि प्रशिक्षण में केवल उन्हीं अंग्रेजी मुद्रलेखकों को प्रशिक्षण दिया जाय जो उस समय अंग्रेजी मुद्रलेखक का कार्य कर रहे थे और विभागीय अध्यक्षों द्वारा यह प्रमाणित कर दिये जाने पर कि अमुक कर्मचारी उनके विभाग में अंग्रेजी मुद्रक का कार्य कर रहा है और उसी कर्मचारी को हिन्दी मुद्रलेखन की प्रशिक्षण कक्षाओं में लिया गया था । वैसे कनिष्ट लेखकों एवं मुद्रलेखकों के पद अलग अलग नहीं हैं और कोई कनिष्ठ लेखक मुद्रलेखक बनाया जा सकता है या मुद्रलेखक से कनिष्ठ लेखक का कार्य करवाया जा सकता है ।

(४) जी नहीं । शासन द्वारा यह निर्णय लिये जाने पर कि समस्त विभागों में हिन्दी में

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय के अनुक्रम में शासन के समक्ष यह कठिनाई उपस्थित होने पर कि विभागों में हिन्दी मुद्रक एवं हिन्दी शीघ्रलेखक उपलब्ध किये जायं जिससे राज कार्य हिन्दी में किया जा सके, अत: शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मचारी जो अंग्रेजी मुद्रलेखक एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखक का कार्य कर रहे हैं उन्हें ही हिन्दी मुद्रलेखन एवं हिन्दी शीघ्रलेखन का प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वे ही कर्मचारी अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में कार्य कर लें। जनसेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं में विशेषित हिन्दी मुद्रलेखकों एवं हिन्दी शीघ्रलेखकों की नियुक्ति के समय प्राथमिकता दिये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश बहुत पहले ही प्रसारित कर दिये गये हैं और विभागीय अधिकारियों पर निर्भर है कि वे ऐसे पदों पर नियुक्ति करते समय ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दें।

(४) शिथिलता का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार की नीति स्पष्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वरिष्ठ लेखक ये उनको क्लासेज़ जाइन करने के लिये क्या विभागीय अधिकारियों ने सर्कूलर निकाले थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिन्होंने प्रार्थनापत्र दिये उन्हीं को क्लासेज़ जोइन करने की परमिशन दी गई, किसी पर कोई कम्पलशन नहीं था।

(४. म प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके प्रार्थना पत्र देने का सवाल खड़ा नहीं होता। क्लासेज़ उनके लिए नहीं थीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : स्वेच्छा से उन्होंने दिये थे। क्लासेज उनके लिए कम्पलसरी नहीं थीं, लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते थे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

काणवकुंज भील कालोनी

१७. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या समाज कल्याण मंत्री द्वारा पंचायत समिति, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ के अन्तर्गत काणवकुंज भील कोलोनी का शिलान्यास किया गया था ?

(२) यदि हां, तो अब तक इस कोलोनी का कितना काम पूरा हो गया और कितना बाकी है ?

(३) क्या जिस स्थान पर मंत्री महोदय ने शिलान्यास किया था वह भूमि वन विभाग के अधीन थी ? यदि हां, तो क्या वन विभाग ने कोलोनी हेतु भूमि देने से इन्कार कर दिया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां।

(२) कोलोनी के निर्माण कार्य में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

(३) उक्त भूमि का कुछ भाग वन विभाग की डिमार्केशन लाइन में आता था।

Page No 15

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : बिलकुल सुनाई ही नहीं दे रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना (जारी रखते हुए): ... अब पंचायत समिति को २६ बीघा १ बिस्वा जमीन आबादी में परिवर्तित की जाकर कोलोनी के लिये सौंप दी गई है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, अब भी समझ में नहीं आया कि मन्त्री महोदय क्या बोल गये ?

अनेक माननीय सदस्य: कुछ भी सुनाई नहीं दिया। दूसरे माइक से मन्त्री महोदय क्यों नहीं बोलते हैं यदि उनका माइक ही खराब है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) जी हां।

२. कोलोनी के निर्माण कार्य में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

३. उक्त भूमि का कुछ भाग वन विभाग की डिमार्केशन लाइन में आता था। अब पंचायत समिति को २६ बीघा १ बिस्वा जमीन आबादी में परिवर्तित की जाकर कोलोनी को सौंप दी गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह शिलान्यास कब किया गया था ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मन्त्री महोदय के सामने जो माइक है उससे कोई आवाज नहीं आयी; या तो वे गलत बोल रहें हैं या माइक ही खराब है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि कोलोनी के बनाने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। अब फोरेस्ट की जमीन लेकर दे दी गई है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जमीन कब दी गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तीन-चार महीने हुए।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : शिलान्यास बहुत पहले किया तो अब तक यह कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ ? इतने दिन इसमें लगने का क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जमीन को आबादी में परिवर्तित करने में थोड़ा समय लग ही जाता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' शिलान्यास कब किया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तारीख मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पहले जिस जमीन में शिलान्यास किया तो वह किसकी जमीन थी; जमीन तो अब परिवर्तित की है, पहले जिस जमीन में आपने शिलान्यास किया तो क्या यह नाजायज रूप में दूसरे की जमीन में दखल नहीं है ? किस कानून के अन्तर्गत यह किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किसी जमीन को आबादी में परिवर्तित करना पड़ता है तो पंचायत समिति जब तक रकम जमा न कराये तब तक समय लग जाता है। पंचायत समिति ने रकम जमा करादी है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : आबादी में परिवर्तित होने के पहले ही जिस जमीन में शिलान्यास किया गया तो क्या वह गैर कानूनी नहीं है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री छोटूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम

(प्रश्न संख्या १८ श्री छोटूराम बोलने खड़े हो गये)

पंचायत समिति नीम का थाना को रद्दी बीज की सप्लाई

१८. श्री छोटूराम (नीम का थाना) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की करेंगे :

१. सन् १९६१-६२ में पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा कृषि विभाग से कितने उन्नत बीज की, कब मांग की गई तथा वह बीज कृषि विभाग ने कितना, कब व किस भाव से सप्लाई किया ?

२. क्या यह सही है कि जो बीज सप्लाई किया गया वह भीगा हुआ व कटा हुआ था ?

३. इसमें से कितने बीज की वसूली राज्य सरकार अब तक कर सकी है ? यदि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो इसका क्या कारण है ?

४. क्या इस विषय में पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा कई शिकायती पत्र राज्य सरकार के पास आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

५. इस प्रकार का रद्दी बीज सप्लाई करने से राज्य सरकार को कितना घाटा रहा ? क्या इस बीज को सप्लाई करने से पहिले कोई रसायनिक जांच करवाई गई ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

६. सरकार के इस घाटे के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १. पंचायत समिति ने अपने पत्र दिनांक १५-४-६१ द्वारा १५०० मन गेहूं के बीज की मांग की थी और विभाग द्वारा अक्टूबर, १९६१ में ११४ क्विन्टल बीज ४७.५० नये पैसे प्रति क्विन्टल के भाव से सप्लाई किया गया था ।

२. जी नहीं ।

३. बीज पंचायत समिति को कीमत पर दिया गया था अतः बीज की अनाज के रूप में वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता ।

४. जी नहीं ।

५. बीज शुद्ध तथा उपज शक्ति का था, अतः घाटा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता । हां इस बीज की रसायनिक जांच व्हीट बोटेनिस्ट द्वारा कराई गई थी ।

६. प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १९

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उन्होंने मुझे कह दिया था ।

भरतपुर जिले के छात्रों को छात्रवृत्ति

२०. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) [श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ६१-६२ में जिला भरतपुर के हरिजन, जनजाति आदि के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है जब कि प्रतिवर्ष उन्हें मिलती रही है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ।

(२) अब इन छात्रों को कब तक छात्रवृत्ति दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

(३) नदबई हाई स्कूल में गत वर्ष इस प्रकार की छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि दी गई ?

(४) इस वर्ष इस शाला के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जावेगी और कब तक ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ-आचार्य) : (१) जी नहीं । हरिजन, जनजाति भरतपुर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट की सूची में अंकित नहीं है । वित्त वर्ष १६६१-६२ में ३६४ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, जो कि अनुसूचित जन जाति के थे, दी गई थी । इस संख्या में पंचायत समितियों द्वारा दी गई छात्रवृत्ति शामिल नहीं है ।

(२) वित्त वर्ष १६६२-६३ में ४१८ छात्रों को १६,३६६) रु० वितरित किये गये थे जिसमें ४ भंगी जो कि अनुसूचित जन-जाति के थे, माने जाते हैं ।

इन आंकड़ों में पंचायत समिति द्वारा दी गई छात्रवृत्ति शामिल नहीं है ।

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर) : भंगी अनुसूचित जाति का होता है । अनुसूचित जनजाति का नहीं होता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको राइट मिलता है । करेक्शन कर सकते थे बाद में भी ।

(३) वित्त वर्ष १६६२-६३ में नदबई हाईस्कूल में १६ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई ।

(४) इस वर्ष में छात्रवृत्ति दिये जाने के प्रार्थना-पत्र छात्रवृत्ति की स्वीकृति देने के लिए विचाराधीन है ।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धौलपुर में कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं, वे कहीं रास्ते में ही तो नहीं रह गयी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : (बयाना) ६१-६२ के लिये जो छात्रवृत्ति की राशि भरतपुर जिले के लिये मंजूर की गई थी तो क्या आपने यह जांच करा ली है कि वास्तव में छात्रवृत्तियां उनको पहुंच पायी हैं या रास्ते में ही किन्हीं ने खा ली हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जांच अब तक नहीं की गई, क्योंकि हमारे सामने ऐसा प्रश्न पहले उपस्थित नहीं हुआ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं पूछना चाहूँगा जो कि यह बिलकुल सत्य है कि भरतपुर शिक्षा निरीक्षकालय द्वारा १. २८ हजार की रकम छात्रवृत्तियों की गबन की गई, जिन गरीब छात्रों को न दिया जाकर उस रकम को बीच में ही हड़प कर लिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं कहना चाहता हूँ कि जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं वे आपके विभाग में जांच करके प्रस्तुत किये हैं। छात्रों के जीवन को बिगाड़ने का यह प्रश्न है। इसके लिए आपको जांच करानी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको मैं मान लेता हूँ, अध्यक्ष महोदय, और मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

पंचायत समिति सांचोर के शिक्षक

२१. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को माध्यमिक पाठशालाओं में लाने के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या नियम बनाये हैं ?

(२) उन नियमों के अन्तर्गत अब तक पंचायत समिति सांचोर में कितने शिक्षकों को माध्यमिक पाठशालाओं में लगाया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सच है कि कुछ पुराने अनुभवी शिक्षकों को जो पंचायत समिति में कार्य करते है और माध्यमिक पाठशालाओं में आना चाहते हैं परन्तु उनके लिये कानूनी कठिनाई उत्पन्न होती है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है और इस बारे में क्या कानून बनाने का विचार रखती है ? इस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जिला परिषद एक्ट के अनुसार प्राथमिक शाला के अध्यापक माध्यमिक शालाओं में बदले जा सकते हैं।

(२) उन नियमों के अन्तर्गत कोई शिक्षक सांचोर समिति में नहीं आने के कारण माध्यमिक शाला में नहीं लिया गया।

(३) जी नहीं। शिक्षकों की बदली करने में कोई कानूनी कठिनाई नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर कानूनी कठिनाई नहीं है तो आप बता सकते हैं कि पूरे जिले में कोई शिक्षक क्वालिफाइड नहीं है, इन्टर ट्रेन्ड वगैरह स्कूलों में क्यों नहीं जाते है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: सीनियोरिटी लिस्ट बन रही है, अपने आप आ जावेंगे

श्री अध्यक्ष: सीनियोरिटी लिस्ट कब तक बन जायगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रयत्नशील हैं। दो महीने के अन्दर अन्दर सम्पूर्ण लिस्ट तैयार हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री श्योपतसिंह ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपका इस्तीफा मंजूर हो गया तो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको क्यों दुख है ? आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिये । आप तो हमारे हमदर्द हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

भाखरा क्षेत्र में भूमि-हीन किसान

२२. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) भाखरा क्षेत्र में ऐसे कितने भूमिहीन किसान हैं जिनसे सरकार ने किश्तें वसूल कर ली हैं, मगर अभी तक उन्हें भूमि अलॉट नहीं की गई । -

(२) भूमि अभी तक अलॉट न करने का क्या कारण है व कब तक उनको भूमि अलाट कर दी जायगी ।

(विराम)

श्री श्योपतसिंह : जवाब नहीं दे रहे है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) जवाब आ रहा है लेकिन तसल्ली से आ रहा है ।

(सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : भाखरा क्षेत्र के भूमि हीन किसान । -

श्री जुझारसिंह ।

बन्दोबस्त कार्यवाहियों की क्रियान्विति

२३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Revenue Minister be pleased to state:—

1. When was the Settlement Operation in Shahbad Tehsil of District Kota completed and the rent rates declared ?

2. Why has there been a delay in the implementation so far and when will the Government implement it now?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : 1. It was completed in July, 1958 and the rent rates were sanctioned on 28-12-1659.

2. The delay occurred on some administrative grounds. Action is being taken for implementation.

श्री जुझारसिंह : नोर्मली यह कितने दिनों में सेटलमेन्ट की रेट्स ओपरेशन हो जाने के बाद हो जानी चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी हो जाना चाहिये । शाहबाद के मामले में कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेन्स की वजह से देर हो गई। शाहबाद में ऐसा है ढाढादेन टाइप की रेट्स होती है । वे लोग लेना नहीं चाहते थे । खातेदारी उसको कन्सीडर करने और साथ साथ उस एरिया की साफ करने में भी समय लगा। अब यह इम्पलीमेन्ट कर दिया गया है और पर्चे बांटने शुरू हो गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वहां क्या रेटस् फिक्स की हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से १० न० पै० प्रति बीघा।

श्री भैरोंसिंह : कितने बीघे तक ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक बीघे पर।

श्री भैरोंसिंह : दस नये पैसे कितने बीघे तक ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस जमीन पर उसको खातेदारी अधिकार मिलेंगे, रेन्ट रेट का आधार उसके पास जितनी जमीन है मेक्जिमम २०११ से १५ के बीच में जिनके पास रही है उस जमीन पर खातेदारी अधिकार देकर १० न० पै० प्रति बीघा का लगान लिया जायगा टोटल होल्डिंग पर।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि कोटा डिवीजन की अन्य कई जगहों पर जहां रेन्ट रेट डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हुऐ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरी जगह के लिये ऐसी बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार द्वारा जो रेन्ट रेट फिक्स किये हैं वे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होंगे या जिस दिन नोटिफिकेशन द्वारा शाया किया है उस दिन से लागू होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पहले जहां जल्दी से इसका असर होने वाला था; लेकिन चूंकि ओरीजिनल रेन्ट रेट के अनुसार लगान के सिलसिले में अभी अमेन्डमेंट किया है। यह भी अमेन्डमेंट कर दिया है कि रेन्ट रेट २०२० से लागू होकर २०२६ तक लागू हो।

श्री भैरोंसिंह : सेटलमेंट होने के बाद परचे नेचुरली मिलने चाहिये। रेन्ट रेट फिक्स की थी गवर्नमेंट ने। उसके अनुसार पहले रेन्ट रेट वसूल करली, बाद में पट्टों के अन्दर नये लगान फिक्स किये गये जो पहले के मुकाबले कम आता है तो नेचुरली उनको फायदा मिलता, वह फायदा क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सिलसिले में निवेदन कर चुका हूं कि जल्दी में जो नहीं ली गई। यह मामला सरकार के विचाराधीन था, हांडादेई रेट शिफ्ट कल्टीवेशन के लिये हम टीनेन्सी एक्ट की दफा १६ के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दे सकते। इस वक्त खातेदारी अधिकार देकर रेन्ट रेट फिक्स हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल नहीं है ? ओरीजिनल जो रेन्ट रेट आपने फिक्स की थी वह वसूल कर ली गई, प्रोवीजनली रेन्ट रेट वसूल हो गई। पहले जो रेट वसूल की गई वह अब एप्रूव्ड रेट्स के अनुसार कम होती है तो यह पहले से क्यों नहीं लागू करते है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब से नई रेट लागू होगी तब से नई रेट के मुताबिक वसूल होगी। इसके पहले लागू हुई ही नहीं, वैसी हालत में पहले का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : इसका पालन हुआ है और लोगों से वसूल हुई है। जिनको खातेदारी राइट मिले हैं उनको टेम्पोरेरी कल्टीवेटर मानकर उनसे तावान वसूल किया गया हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २२-१२-४६ को सेंक्शन हुआ, जनवरी के अन्दर पर्चे डिस्ट्रिब्यूशन के कार्य को स्टे कर दिया गया। ऐसी हालात में लगान की वसूली का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : उन पर टेम्पोरेरी कलटीवेशन के तौरपर तावान लगाया गया है १६ गुना।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह की कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो स्वयं जाकर देख कर आया हूँ। १५-१६ गुना तावान लगाया गया है इसलिये कि वहां सेटलमेन्ट हो गया, पर्चे नहीं दिये गये। आपके इस नये आर्डर का इफेक्ट चार वर्ष पहले से मिलना चाहिये ताकि जिनसे वसूल किया गया है उनको फायदा मिल सके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तावान लगा कर वसूल नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : तावान से वसूल किया है क्या ? उसको आप रिफन्ड करने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बिना जानकारी के जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : अगर वसूल नहीं हुआ है तो आप यह कह दीजिये कि नहीं वसूल हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नेहरू अवार्ड

२४. श्री अमरसिंह (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट, ५२ के तहत ५००० रूपये सालाना की आमदनी वालों को जो नेहरू अवार्ड के तहत राहत दी गई थी वह क्रियान्वित कब से होगी ?

(२) अगर वह क्रियान्वित हो चुकी है तो जयपुर जिले के बोन्ड्स क्यों नहीं वितरित किये जा रहे हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(१) पांच हजार रुपया सालाना तक की आमदनी वाले जागीरदारों को नेहरु अवार्ड के अनुसार अनुदान की गणना दावों में निर्णय करने के साथ साथ की जा रही है।

(२) उक्त अनुदान का भुगतान तारीख जागीर खालसा १५ वर्ष पश्चात् होगी। अतः अभी बोन्ड्स के वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अमरसिंह : रकम के बोन्ड्स इस्यू किये जाने में क्या ऐतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिनका निर्णय हो चुका है उनको स्लिप्स दी जा चुकी हैं।

बोन्डस अभी छप कर नहीं आये हैं, इसलिये बोन्ड्स नहीं दिये गये।

श्री गंगासिंह (जायल) : ये बोंड्स कब तक छप कर आ जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने रिजर्व बैंक को आर्डर दिया है, जल्दी ही छपकर आजायेंगे।

Page No 22

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि रिजर्व बैंक को बोन्ड्स नहीं छापने के आदेश दिये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही नहीं है। अभी स्लिप्स दे दी गई हैं, रकम १५ वर्ष बाद तक मिल सकेगी। बोन्ड्स के नहीं छपने से भी किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं।

श्री अमरसिंह : क्या आपको यह भी पता नहीं कि किसको कितना दिया जाना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुल २ लाख ३१ हजार ६१७ केसेज् हैं। उनमें से १ लाख ४६ हजार ३५६ केसेज् डिस्पोज अफ कर दिये गये हैं। ८० हजार केसेज् बाकी रहे हैं।

श्री गंगासिंह : ये बोंड्स कब तक छप कर आ जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी ही छपकर आ जाय।

श्री अमरसिंह : जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक केस भी तय नहीं हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में तहकीक तो नहीं कह सकता जैसा, मैंने पहले निवेदन किया कुल २,३१,६६७ केसेज हैं उनमें से १,४६,३५६ केसेज् डिस्पोज् कर चुके हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (अ सपुर): जिन लोगों के केसेज् तय हो जाते हैं उनको सूचना दी जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको स्लिप्स दी जाती हैं कि कितना अमाउन्ट पेएबल है नेहरु अवार्ड के तहत।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर) : राज्य सरकार एक तरफ तो जागीरदारी समाप्त करने का सोच रही है और दूसरी तरफ बोन्ड्स छपवा रही है, दोनों बातों में समन्वय नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मंत्रियों के दौरों पर व्यय

२५. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

मार्च १९६१ से मार्च १९६२ तक तथा मार्च १९६२ से अब तक राजस्थान के मंत्रियों के दौरों पर कितना व्यय हुआ है ? मंत्री वार सूचना दें।

गृह-मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : मार्च १९६१ से फरवरी १९६२ तक तथा मार्च १९६२ से जुलाई १९६३ तक राजस्थान के मन्त्रियों के दौरों पर टी० ए० व डी० ए० के रूप में जितना व्यय हुआ उसकी मन्त्री वार सूचना संलग्न तालिका अ और ब में दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सबसे ज्यादा किन मंत्री पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : किस ईयर में ?

श्री भैरोंसिंह : दोनों सालों में।

श्री मथुरादास माथुर : मैं पढ़ देता हूँ लिस्ट, उस पर आप हिसाब लगा लें।

श्री भैरोंसिंह : आपको नाम बताने में क्या ऐतराज है।

श्री मथुरादास माथुर : सन् ६१-६२ में श्री बरकतुल्ला खां के ११,३०७ रु० ८५ न० पै० हुए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने निजी कार यूज की, इस वजह से ज्यादा आये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि श्री बरकतुल्ला खां का अमाउन्ट मुख्य मंत्री से भी अधिक है, इसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : खुद की कार में ट्रेवल करते हैं, इसलिये ज्यादा आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि मंत्रियों के दौरे में जो स्टेट कार का यूज होता है, उसका खर्चा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो ब्यौरेवार जो खर्चा मांगा गया है उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर अपूर्ण है ?

श्री मथुरादास माथुर : टी० ए०, डी० ए० का पूछा है। टी० ए० के बिल्स देख कर, जोड़कर बता दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्रियों के दौरों पर कुल कितना व्यय हुआ, यह पूछा गया था। अब इसमें दौरों से मतलब सभी का आ गया है, प्राइवेट कार से भी जो जर्नी की जाय वह भी और सरकारी कार से की जाय वह भी और ट्रेन से और एयर कन्डीशन कोच से या फर्स्ट क्लास से, वह आ जाता है सब। तो इन सब का हिसाब लगाना चाहिये। इस तरह से बतायेंगे तो आप में से किसी किसी का २१ हजार का भी खर्चा बैठेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह सब तो बजट में प्रोवाइड होता है मिनिस्टरों के हैड में और वह आॅलरेडी प्रोवाइडेड है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, यह जानना चाहते हैं और चूंकि यह उत्तर इस दृष्टि से अपूर्ण है इसलिये दुबारा इसका उत्तर दिलाये जाने की व्यवस्था की जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टोटल सभी का इसमें आ जाता है। अलग अलग मिनिस्टर का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : श्री भवानीशंकर नन्दवाना का टी० ए० तो दिया नहीं है और डी. ए. दिया है तीन हजार का। तो बिना टी. ए. डी. ए. कैसे ले लिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तभी लिया है जब वे रेलवे से सफर करते हैं। रेलवे में सफर नहीं करते हैं तो जबरदस्ती कैसे टी. ए० लेते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसने स्टेट कार से यात्रा की है उसका भी हिसाब इसमें देना चाहिये। तब अन्दाज ठीक लग सकता है, नहीं तो सदन भ्रम में रह जावेगा कि उनका ११ हजार सबसे ज्यादा है। पर यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
नहीं मालूम सदन को कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास में एयर कन्डीशन्ड में और स्टेट कारों में खर्च किया है वह इसमें शामिल नहीं है और अगर यह शामिल कर दिया तो उनको और जनता को सही हिसाब का पता लग जायगा और यह हिसाब किसी न किसी का २१-२२ हजार तक भी जावेगा। इसलिये यह सारा हिसाब भी आप दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मन्त्रियों का कुल कितना खर्चा होता है वह तो बजट में दिया हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो टोटल है. हमने डिटेल मांगी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : फरजन्द-फरजन्द अलग बताना चाहिये. मन्त्रियों का और उप-मन्त्रियों का, दोनों का।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अलग अलग तो बताया गया है। सिर्फ कारों का कितना एडजस्ट किया जाना चाहिये वह शामिल नहीं होता है, वर्ना वे जितना ड्रॉ करते वह तो बताया गया है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उनका अलग अलग बताने में आपत्ति आपको क्या है? यह भी बता दीजिये न।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मुझे आपत्ति कुछ नहीं है। टी. ए., डी. ए. के फिगर्स से भी अन्दाज लगाया जा सकता है। इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि यह अलबत्ता सिस्टम नहीं है कि सबका अलग अलग रखा जाय इसलिये इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सके। अब कितना खर्चा होता है जहां तक इसका सवाल है, उसके आंकड़े सामने हैं और स्पष्ट हैं। बजट में प्रोवाइड किया हुआ है और हमने यहां भी दिये हैं। ऐसा भी सवाल नहीं है कि मिनिस्टर कोई यह रकम ड्रॉ करता हो, वह तो एक्चुअल जो खर्च होता है वह मोटर गैराज में एडजस्ट हो जाता है। इसलिये मिनिस्टर के पास में आने वाला कोई रुपया शो नहीं किया गया है, ऐसी बात नहीं है। अब जो मोटर गैराज में एडजस्ट होता है वह शो नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक एकाउन्ट वैसा नहीं रखा गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नहीं कहता कि खर्चा रूल्स के विपरीत खर्च हुआ है। परन्तु इस तरह हिसाब रखने के बजाय जैसे माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने कहा उनके कहने के अनुसार मैं तो यह समझा हूँ कि आप अगर फरजन्द फरजन्द अलग अलग अकाउन्ट रखेंगे तो इससे सहूलियत होगी और सदन के सदस्यों को जानकारी देने के लिहाज से और जनता को जानकारी होने के लिहाज से और आपके लिहाज से भी यह अच्छी बात होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बात को एग्जामिन करके देख लेंगे कि Whether it is possible or not.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

मांगरोल और विनौता में पीली मिट्टी की खुदाई

२६ श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No 25

(श्री अब्दुलजब्बार खां)

(१) क्या यह सही है कि मांगरोल और विनोता (तहसील निम्बाहेड़ा) में पीली मिट्टी (रामरज) हजारों टन निकाली जा रही है।

(२) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की खुदाई से मांगरोल के नए बन रहे रेलवे स्टेशन पर आने-जाने में असुविधा हो गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की खुदाई के लिए कोई एरिया लीज़ पर नहीं दिया गया है और न ही कोई रॉयल्टी जमा हो रही है ?

(४) इस प्रकार सरकार को कितनी हानि हुई है और भविष्य में होने की सम्भावना है।

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) इस प्रकार खुदाई के लिये एक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स दिया जा चुका है और इस क्षेत्र से निकाली हुई पीली मिट्टी की रॉयल्टी वसूल की जा चुकी है।

(४) स्वीकृत क्षेत्र से निकाली हुई पीली मिट्टी की आय की कोई हानि नहीं हुई है और न भविष्य में होने की सम्भावना है।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आन्सर दिया गया है वह कब की इन्फोर्मेशन पर आधारित है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न पूछने के बाद प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित है।

श्री अब्दुलजब्बार : अन्दाजन साल भर हुआ या छ महीने।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : लीज़ किस तारीख को दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यदि लीज़ की तारीख नहीं है तो लीज़ बाद में दे दी गई। सवाल पूछने के बाद और इससे पहले उधर खुदाई हो रही हो, ऐसा तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो आना चाहिये। हजारों टन मिट्टी खुदकर चली गई और रॉयल्टी का उसका एक पैसा सरकार के पास नहीं आया वे खोदने वाले कांग्रेस वाले हैं, इसलिये सरकार के खजाने में एक पैसा नहीं आता और घोटाले होते हैं। एक तरफ जनता करों के बोझ से और सरकार का खजाना भरने से दबी जा रही है और दूसरी तरफ सरकारी माल को इस तरह से ये लोग हड़प रहे है इसलिये मन्त्री महोदय इस तरफ सतर्कता बरतें तो ठीक है।

प्रश्न संख्या ७७

श्री मजलिसखां।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

कृषि विषय के ग्रेजुएट्स

२८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में जितने विद्यार्थी कृषि विषयों में ग्रेजुएटस हुए हैं उनमें से काफी संख्या में नौकरी न मिल पाने के कारण बेकार बैठे हैं ?

(२) उनकी शिक्षा के उपयोग के लिये और उन्हें रोजी दिलाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है।

कृषि-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। हो सकता है कुछ लोगों को 'सर्विस' न मिली हो।

(२) सरकार जितने लोगों को "सर्विस" में आवश्यकता है उनका उपयोग करेगी; बाकी शेष को अपने जीवन-यापन के साधन स्वयं ढूंढने होंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : विश्वविद्यालयों से निकले कितने छात्र बेकार बैठे होंगे ऐसे ? अन्दाज है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में कुल मिलाकर ५०-६० छात्र होंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान की एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी से निकलने वाले ग्रेजुएट्स को एब्जोर्ब करने की शक्ति राजस्थान सरकार में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि जितनी है उतनों को कर रहे हैं। पचास-साठ को नौकरी नहीं मिल पाई है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी शक्ति है राजस्थान सरकार की।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक साल में चालीस-पचास की।

श्री भैरोंसिंह : और एक साल में निकलते कितने हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सौ, सवा सौ।

श्री भैरोंसिंह : बाकी का क्या होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : बाकी के अपना और धन्धा करेंगे, अपना काम करेंगे, खेती करेंगे।

श्री मोहनराज (बाली) : जिस प्रकार ग्राम सेवा सहकार समितियों में सहकारी विभाग द्वारा अनुदान दिया जाकर प्रारम्भिक कार्यों में मैनेजर रखे जाते हैं. क्या उसी प्रकार कृषि विभाग इन कृषि ग्रेजुएट्स को जो भूमिहीन किसानों द्वारा गठित कृषि सहकारी फार्म हैं अथवा दूसरी और संयुक्त कृषि सहकारी समितियां हैं उनके अन्दर मैनेजर रखवाकर उनका उपयोग नहीं कर सकती ? मेरा यह ख्याल है कि इस तरह के उपयोग से बेकारी दूर होगी इनकी और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। सहकारी समितियां आहिस्ता आहिस्ता तीन साल के बाद ऐसी हो सकती है कि वे बाद में खुद ही इनको एब्जोर्ब कर लें। पर पहली बार सरकार अगर इस तरह की व्यवस्था हाथ में ले तो क्या इस पर सरकार सोचेगी। इससे बेकारी भी मिटेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस काम को सहकारी समितियां खुद कर सकती हैं। वे स्वयं ग्रोटोनोमस बाडीज हैं वे अगर उनको एम्पलोय करना चाहें और वे वहां जाना चाहें तो आपस में बातचीत करके हो सकते हैं। सरकार की ओर से कोई बाधा तो है नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो कृषि ग्रेजुएट्स हैं तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल प्रोवीजन सरकार करने का इरादा रखती है कि उनको जमीन मिले जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और वे उस जमीन पर खेती कर सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां,ऐसा विचार सरकार कर रही है कि ऐसे लोगों को जो कृषि ग्रेजुएट्स हैं और जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है उनको कृषि के लिए जमीन दी जावे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जैसा अभी आपने कहा कि हर साल सौ ग्रेजुएट्स निकलते हैं और सरकार की एब्जोर्ब करने का पावर पचास साठ की है। तो इस तरह से हिसाब लगाया जावे तो सात सौ, आठ सौ ग्रेजुएट्स बेकार हैं। पिछली बार भी एक पोस्ट के इन्टव्यू के लिए पांच सौ लोग आये थे। तो क्या यह ठीक है कि सात सौ, आठ सौ लोग बेकार हैं जब कि आपने सिर्फ चालीस-पचास बताये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपकी बिल्कुल कल्पना है कि सात सौ, आठ सौ ग्रेजुएट्स बेकार हैं। मेरे ख्याल से यह नम्बर साठ-सत्तर से ज्यादा नहीं है। बहुत सी जगह खाली होती रहती हैं। फिर ये जितने यूनिवर्सिटी से निकलें जरूरी नहीं कि सभी नौकरी ही करें; बहुत सी काश्त की जमीन है, वे अपनी काश्त कर सकते हैं। बहुत जमीन है। दूसरी स्टेटों में जगहें हैं, वहां जा सकते हैं। अब जितने निकलें उन सबको सरकार एब्जोर्ब करले, यह कल्पना भी ठीक नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): भाखरा कोलोनाइजेशन रूल्स में दर्ज है कि पढ़े-लिखे लोग जो हों, उनको जमीन दी जावे तो क्यों नहीं इन ग्रेजुएट्स को इन रूल्स के तहत जमीन दी जावे, जबकि आज एक भी पढ़े-लिखे के नाम पर जमीन नहीं है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसका उत्तर दे चुका।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : प्रश्न यह है कि ये जो पढ़े-लिखे ग्रेजुएट्स युनीवर्सिटी से निकलते हैं उन सबको एब्जोर्ब करने की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है और अगर है वह कोई जिम्मेदारी तो वह जिम्मेदारी कहां तक सरकार ने निभाई है? अगर नहीं है, तो फिर किन किन की है?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार की जिम्मेदारी निभाती है सरकार। सबकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय और गम्भीरता से सोचें। पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं के अन्तर्गत पर्सोनल्स निकलते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट्स से संबंध है। अब अगर उन सबको आप डिपार्टमेंट में एब्जोर्ब नहीं कर सकते हैं, जैसे कोआपरेटिव में है और जगहें हैं, तो लोजिकली कोई रास्ता निकालिये,बनिस्पत यह कहने कि यह जिम्मेदारी और फिक्र आपकी नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार जो प्लानिंग में विश्वास रखती हैं कम से कम उससे ऐसे उत्तर की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती।

(४-३० म. प.)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्लानिंग के विश्वास में ही तो सन्देह है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब 'जैसा आपने फरमाया है वैसा नहीं था कि कोई ठेका नहीं है। मैंने कहा कि सबके लिए एम्प्लयमेंट के और रास्ते भी खुले हैं। उनकी तहसील के एलीजीबल बनाया है, नायब तहसीलदार के एलीजीबल बनाया है। उनकी सर्विसेज़ का जितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है किया जाना चाहिए। कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जैसा माननीय मोहनराज जी ने सुझाव दिया उस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज़ उनका उपयोग करे तो ठीक है। जमीन देने के बारे में मैंने कहा था कि हम विचार कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो खेती करना चाहें उनको जमीन अलाट करने के बारे में विचार किया जाय और सरकार की तरफ से रूल्स बनाकर जमीन अलाट की जाये। 'ठेके' का मतलब यह है कि जिस साल जिन लोगों ने एग्जामिनेशन्स पास किये उनको नौकरी में ले लिया जाये, यह किसी तरह से सम्भव नहीं है। यह कृषि ग्रेजुएट्स के बारे में ही नहीं बल्कि, सिवाय मेडिकल डाक्टर्स को छोड़कर, सब सेक्टर में यही स्थिति है। यदि एडवान्स प्लानिंग के लिए नौकरी नहीं दे सकें तो यह कोई बैड प्लानिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सचित्र राजस्थान

२६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि उप-संचालक, सामाजिक शिक्षण ने यह एक आज्ञा जारी करके समस्त निरीक्षकों को यह आदेश दिया है कि 'सचित्र राजस्थान' को सभी स्कूलों में मंगाया जाये? यदि हां, तो कब और क्यों? आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

२. उपरोक्त आज्ञा जारी करने के बाद किस किस निरीक्षक ने इस प्रकार के आदेश जारी किये और कितनी प्रतियां स्कूलों में मंगाई जा रही हैं?

३. इन प्रतियों का भुगतान कौन करेगा? अभी तक कितना भुगतान किया जा चुका है? अभी तक किये गये भुगतान की तालिका भी सदन की मेज पर जिलेवार ब्योरे से रखें।

४. क्या यह सही है कि इस पत्र को मंगाये जाने हेतु राज्य सरकार ने कोई आदेश उप-संचालक अथवा अन्य किसी को दिये? यदि हां तो किसने और कब? राज्य सरकार के आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

५. इस पत्र का वार्षिक चन्दा क्या है? इतने चन्दे की और कौनसी पत्रिका इन स्कूलों में मंगाई जाती है?

६. इस पत्र का सम्पादक कौन है और प्रकाशक कौन है?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

७. क्या यह सही है कि इस पत्र के प्रकाशक के पिताजी श्री चैतन्य प्रकाश रंगा की फर्म जय अम्बे पुस्तक भंडार, जयपुर द्वारा पुस्तकों की गलत सप्लाई करने के कारण उक्त फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था ?

८. क्या यह सही है कि इस पत्र का वार्षिक चन्दा देश के सभी साप्ताहिक पत्रों से ज्यादा है ?

९. क्या यह सही है कि इस पत्र का वार्षिक चन्दा राजस्थान के दैनिक समाचार पत्रों से भी ज्यादा है ?

१०. क्या यह पत्र सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिये स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ?

११. यह पत्र कब से प्रारम्भ हुआ है ?

१२. क्या यह सही है कि यह पत्र नियमित रूप से संस्थाओं में नहीं पहुंच रहा है जिसकी शिकायत कई निरीक्षकों ने की है ? यदि हां तो किस किस ने और कब कब ?

१३ संचालक को कितने रुपये पत्र के लिये स्वीकृत करने का अधिकारी है ?

१४. इस पत्र का भुगतान करने की क्या व्यवस्था है ? एक जगह से होता है अथवा अलग अलग स्थानों से ?

१५. इन संस्थाओं में पत्रों के लिये कुल कितना बजट है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : १. जी हां । नवम्बर, १९६२ में आज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न हैं ।

२. उपरोक्त आज्ञा जारी करने के बाद निरीक्षक, जोधपुर, करोली, सिरोही, झुंझुनू, पाली, बाड़मेर, नागौर, भरतपुर, चूरु व सीकर ने इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं और प्राप्त सूचना के अनुसार ६६८ प्रतियां स्कूलों में मंगवाई जा रही हैं । निरीक्षक, बीकानेर, कोटा व गंगानगर से सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत करदी जावेगी ।

३. उच्च, उच्चतर एवं बहुउद्देशीय विद्यालयों द्वारा जो प्रतियां सचित्र राजस्थान की मंगवाई जा रही हैं उनका भुगतान संबंधित विद्यालयों द्वारा किया गया है । माध्यमिक विद्यालयों के लिये जो सचित्र राजस्थान मंगवाया जा रहा है उसका भुगतान संबंधित शिक्षा निरीक्षकों अथवा उपनिरीक्षकाओं द्वारा किया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक १७,६५४.२५ रुपये का भुगतान किया जा चुका है । किये गये भुगतान की तालिका जिलेवार निम्न प्रकार है :—

जोधपुर	२,१६६.००
उदयपुर	५०४.००
करोली	३६.००
सिरोही	४१६.१२
जयपुर	३,१६८.००
झालावाड़	१,०८०.००
भुगतान रोक दिया गया है ।	
झुंझुनू	१,०१०.१५
अलवर	१,७२०.८०
पाली	१८०.००
भीलवाड़ा	८०६.००
बाड़मेर	२१६.००

Page No 30

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नागौर	१,१८८.७५
चित्तोड़	७८२.००
बांसवाड़ा	१२६.००
चूरु	१,५२६.००
अजमेर	२,२३२.००
सीकर	१,६१०.००
भरतपुर, कोटा, बीकानेर, गंगानगर	सूचना प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।

४ जी हां। आज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न है।

५. सचित्र राजस्थान का वार्षिक चन्दा ३६ रु० है। अन्य साप्ताहिक पत्र-पत्रिकायें जो स्कूलों में मंगवाई जा रही हैं उनकी कीमत इस पत्रिका के बराबर नहीं हैं। परन्तु मासिक पत्रिकायें कई ऐसी मंगवाई जा रही हैं जिनकी कि कीमत प्रति प्रतिलिपि इस पत्रिका से भी अधिक है। ऐसी पत्र-पत्रिकाओं के नाम यह हैं :

सरिता १ रु०

प्रेरणा १ रु०

नवनीक १ रु०

ज्ञानोदय १ रु०

६ सर्व श्री चेतन्य प्रकाश रंगा और राम जन्म चतुर्वेदी इस पत्रिका के सम्पादक हैं। कृष्ण कुमार रंगा, जागती जोत प्रेस, जयपुर इसके प्रकाशक हैं।

७. जी नहीं, ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया था।

८. यह बताना सम्भव नहीं है कि देश के सभी प्रकाशित साप्ताहिक पत्रों से इस पत्र का चन्दा ज्यादा है जब तक कि देश की सभी पत्र-पत्रिकाओं की सूची मय इनके चन्दे की दरों के इस कार्यालय को उपलब्ध न हों।

६. राजस्थान के दैनिक पत्र 'हमारा हिन्दुस्तान' के अतिरिक्त अन्य दैनिक पत्रों राष्ट्रदूत, नवज्योति, लोकवाणी, मशाल व नवयुग से इस पत्र का वार्षिक चन्दा अधिक है।

१०. जी हां, दिनांक १८ जुलाई, ६३ से यह पत्र सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिये स्वीकृत है।

११. यह पत्र अक्टूबर, १६६१ से प्रारम्भ हुआ है।

१२. विभाग के पास केवल शिक्षा निरीक्षक, झालावाड़ से ही इसकी अनियमितता के विषय में एक पत्र प्राप्त हुआ है जो कि दिनांक ४-३-६३ को प्राप्त हुआ था। कुछ के प्रधानाध्यापकों ने भी इस पत्र के नियमित रुप से संस्थाओं में नहीं पहुंचने की शिकायत की है जो निम्न प्रकार है ;

१.	प्रधानाध्यापक, रा० उच्च० मा० विद्यालय, बल्लभनगर	२५.५.६३
२.	,, राज० उच्च० विद्यालय, नरेणा	१६.५.६३
३.	,, ,, ,, नापासर	१६.४.६३

निरंजननाथ आचार्य

४.	प्रधानाध्यापक	रा० उच्च०	मा० विद्यालय	रामसर	१६.४.६३
५.	,,	,,	,,	गिरण्डवाड़ा	१०.४.६३
५.	,,	,,	,,	जेतारण	८.५.६३
७.	,,	,,	,,	भदेसर	२७.४.६३
८	,,	,,	,,	मावां	६.५.६३
९.	,,	,,	,,	हरसोली	२१.५.६३
१०.	,,	,,	,,	ग्रमरसर	१८.५.६३
११.	,,	,,	,,	बसेड़ी	१६.७.६३
१२.	,,	,,	,,	डूगरपुर	१५.७.६३

१३. शिक्षण संस्थानों के हेतु पत्र-पत्रिकाओं का क्रय उपसंचालक द्वारा नहीं किया जाता है। उपसंचालक, समाज शिक्षा के कार्यालय द्वारा पत्र-पत्रिकाओं को शिक्षण संस्थाओं के हेतु केवल मान्यता दी जाती है।

१४. इस पत्र के शुल्क का भुगतान एक स्थान से न होकर संबंधित निरीक्षक, उप-निरीक्षकायें एवं उच्च, उच्चतर विद्यालयों के प्रध्यानाध्यापक रा० उच्च० मा० विद्यालय द्वारा किया जाता है।

१५. इन संस्थाओं में पुस्तकें, मानचित्र व पत्र-पत्रिकाओं के मद में २,११,५००) रू० का बजट है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से किसी और पत्रिका को भी सब्सक्राइब करने के आदेश दिये गये क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार से किसी और पत्रिका को सब्सक्राइब करने के आदेश नहीं दिये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर इसी पत्रिका को स्पेशल केस बनाकर शिक्षा विभाग ने ऐसे आदेश जारी क्यों किये !

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस पत्रिका के सम्पादक ने राज्य सरकार के सम्मुख संकटकालीन स्थिति के बारे में कुछ ऐसी विशेष बातें रखीं कि जवानों को प्रति माह १०० पत्रिकायें प्रस्तुत करेंगे, २० परसेन्ट डिस्काउन्ट इसकी कीमत पर देंगे, १२ हजार रुपये का विज्ञापन भारत सरकार को देंगे और १५ हजार रुपये का विज्ञापन राजस्थान सरकार को देगा आदि आदि ऐसी शर्तें इन्होंने राज्य सरकार के सम्मुख रखी कि जिससे उनका मन्तव्य यह स्पष्टतया प्रकट होता था कि यह सुरक्षा कोष को मदद देने के लिए इस पत्र को प्रसारित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने इस विशेष स्थिति को देखकर इसका मान्यता दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जितने भी आश्वासन दिये, वे सारे उसने पूरे किये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं अभी नहीं कह सकता कि पूरे हुए या नहीं, लेकिन मैं इसकी जांच करा रहा हूँ कि यह कहां तक पूरे हुए है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; अभी तक जो जांच करवाई उससे क्या साबित हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच आरम्भ हुई है उससे यह साबित हुआ कि अनियमितता इस पत्रिका में बहुत रही और माननीय सदस्य ने पहले सत्र में यह प्रश्न उठाया था उसके दूसरे रोज ही मैंने आदेश देकर यह सवाल पूछा है कि कहां तक उन आधारों और वादों को पूरा किया है, इसकी जांच की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपकी जांच से कोई तथ्य ही सामने नहीं आये तो आपने उसका पेमेन्ट क्यों स्टोप नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस समय तक यह प्रश्न सामने नहीं था कि ऐसी अनियमितताये हुई या नहीं और जो उन्होंने वादे किये हैं कि १४ हजार के विज्ञापन देंगे तो उसमें कोई पाबन्दी है या नहीं, ऐसा प्रश्न सामने नहीं आया था, नहीं तो रोक दिया जाता।

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इन शर्तों का ब्रीच करने पर क्या सरकार पेनल्टी इम्पोज कर सकती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानूनी तौर से जांच की जायेगी कि क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री भैंरोंसिंह : जब जांच नहीं की तो इस प्रकार की लीज देने का आधार किस प्रकार से मान लिया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आधार उस पत्र की मान्यता, पत्र की स्थिति- ये सब बातें देखकर हमने यह विश्वास किया कि यह स्थिति ठीक सी मालूम होती है।

श्री भैंरोंसिंह : यह पत्र अपनी कन्डीशन्स को फुलफिल करेगा, इस प्रकार की गारन्टी सरकार को किस प्रकार से दी गई थी, सरकार ने उस पर किस प्रकार से विश्वास किया !

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आधार पर किया।

श्री भैंरोंसिंह : क्या विश्वास लिखित रूप में दिया गया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां, यह लिखित रुप में सम्पादक ने दी थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, क्या यह पब्लिक के पैसे का मखौल करके बरबादी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह बड़ा अहम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष :- Order ! Order !! अहम प्रश्न तो और भी बहुत से हैं।

श्री भानुप्रसाद।

रेगर लोगों को आबादी की भूमि

३०. श्री भानुप्रसाद कराड़िया(चौमू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील जयपुर में खातीपुरा नाम का कोई ग्राम है ? यदि हां, तो वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के रेगर लोग काश्तकारों की भूमि पर रहते हैं ? यदि हां, तो उन्हें आबादी की भूमि में कब तक बसाया जावेगा और कहां ?

(२) क्या इन्होंने एक मिलिटरी एरिया में अपने कुछ बाड़े, घर व छप्पर डाले हैं और सम्बन्धित ऑफिसरों को प्रार्थना की है कि यह भूमि उन्हें आबादी के लिए दी जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया और भविष्य में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्रीरामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, इस ग्राम की कृषि भूमि पर शिड्यूल्ड कास्ट्स (रेगर) अनधिकृत रूप से रहते हैं । अत, कहां और कब तक बसाया जावेगा इसका प्रश्न ही नहीं उठाता ।

(२) इन व्यक्तियों ने कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर कुछ बाड़े, घर आदि बनाये हैं । इस भूमि को आबादी में देने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया । प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर जैसी सूरत होगी कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया: माननीय मंत्री महोय को मालूम हो कि मैं प्रार्थना-पत्र तहसीलदार जयपुर के पास लेकर गया हूं । उन्होंने 'नहीं' कही । और साथ ही साथ वहां पर मिलिट्री एरिया डिक्लेअर कर दिया गया है, तो वहां पर जिन लोगों ने बाड़े व कच्चे झोंपड़े वगैरह लगा रखे हैं उनको तहसीलदार ने तोड़ा है । उन गरीबों को बसाये जाने की तरफ ध्यान दिया जाय और आबादी के लिए उनको जमीन दिलाई जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मिलिटरी एरिया पर उनका नाजायज कब्जा है, इसलिए हटाने का प्रश्न वाजिब है ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : पुर्व टाइम से बसे हुए हैं तो उस रोज से क्यों नहीं हटाया गया है जब से कि वे बसे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

(४. ४५ म. प.)

सरकार के प्रति छः अविश्वास के प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव भेजे हैं । माननीय सदस्यों के नाम व उनके प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रखूंगा और कोई माननीय सदस्य यदि यह चाहें कि उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाय तो वे कृपया अभी सूचित कर दें ।

(विराम)

पहला प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास का है जो इस प्रकार है:-

"राज्य में फैले भ्रष्टाचार, प्रशासन की अयोग्यता, मंहगाई को रोकने में सरकार की असमर्थता, तथा फिजूलखर्ची एवं गरीब जनता

(श्री अध्यक्ष)
पर कमर-तोड़ टैक्स के कारण यह सदन मंत्रि मंडल में विश्वास का अभाव प्रकट करता है ''

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य इस मत के हों कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हों।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए)

मेरा ख्याल है कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए हैं उनकी संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के १।५ से ज्यादा है; अतः प्रस्ताव को विचारार्थ लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस पर बहस कब होगी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का सूचना दे दी जायगी।

(विराम)

एक प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल का इसी सम्बन्ध में है, जो इस प्रकार है:-

"यह सदन राजस्थान राज्य के वर्तमान मंत्रि-मंडल में अविश्वास प्रकट करता है, क्योंकि-

(१) यह राजस्थान के योजना-बद्ध विकास के प्रति ईमानदार नहीं है और अनावश्यक तौर पर राज्य की विकास योजनाओं में कटौती कर राज्य के विकास को रोक रही है।

(२) राज्य के विकास के लिए साधन जुटाने में, राजाओं की प्रिवीपर्स बन्द कराने में, उनकी निजी सम्पत्ति पर पुनर्विचार कराने में, उन्हें मिली नाजायज सहूलियत रोकने, तथा जमींदारों को मुआवजे की अदायगी रोकने में असमर्थ रही है,

(३) राज्य के आर्थिक साधनों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकरण का कार्यक्रम देश में लागू करने में असफल रही है,

(४) राज्य की आम गरीब जनता पर टैक्सों का भारी बोझ बढ़ाया है, तथा सामन्ती एवं साहूकार तत्वों को अनुचित रियायतें दी हैं,

(५) प्रशासन में फिजूलखर्ची रोकने में नाकामयाब रही है,

(६) राज्य में सच्चे भूमि सुधार लागू करने में असमर्थ रही है और भूमि की जोत की अधिकतम सीमा (सीलिंग) कानून को अभी तक लागू नहीं करके बड़े-बड़े पूंजी-पतियों को जमीन इधर-उधर करने का मौका दिया है तथा भूमिहीन किसानों को जमीन से वंचित किया है,

(७) शासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात व भाई-भतीजावाद को भारी प्रोत्साहन दिया है?

(८) जनता को आवश्यक वस्तुओं की मंहगाई से बचाने में असमर्थ रही है,

(९) मजदूरों को त्रिदलीय सम्मेलन में दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में असफल रही है,

(१०) राज्य में अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने में असमर्थ रही है,

(श्री अध्यक्ष)

(११) अपनी नीतियों द्वारा प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन दिया है ।"

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव.......

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चाइनीज़ का विरोध किया है, यह है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को विचारार्थ लेने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(केवल साम्यवादी दल के सदस्य खड़े हुए)

इस प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(विराम)

एक प्रस्ताव है महारावल श्री लक्ष्मणसिंह की ओर से, वह इस प्रकार है:-

"यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्रि-परिषद् पर अपना अविश्वास प्रकट करता है ।"

जो माननीय सदस्य इस विचार के हों कि इस प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाय वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(विपक्ष के माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मोहनलालजी सारस्वत और मोहरसिंहजी को छोड़ कर बाकी सब हैं

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव विचारार्थ लेने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(विराम)

एक प्रस्ताव श्री उमरावसिंह ढाबरिया द्वारा भेजा गया है, जो कि इस प्रकार है:-

"यह सदन राजस्थान के वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है ।"

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए)

प्रस्ताव को विचारार्थ लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(विराम)

श्री भैंरोंसिंह का प्रस्ताव इस प्रकार है:-

"यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्रि परिषद में अपना अविश्वास प्रगट करता है ।"

जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जावें ।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए)

इस प्रस्ताव को विचारार्थ लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(विराम)

एक प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री मुकुट बिहारीलाल का है जो इस प्रकार है :

(श्री अध्यक्ष)

"यह सदन राजस्थान सरकार की वर्तमान मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रकट करता है।"

जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जावें।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए)

इस प्रस्ताव को विचारार्थ लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(विराम)

जैसा कि मैंने पूर्व सूचना दी इन प्रस्तावों पर विचार किस तारीख को किया जायगा इसकी सूचना माननीय सदस्यों को बाद में दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं उनके स्वीकार होने से पहले ही विचार हो जायगा या बाद में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी जयपुर, बाजार): ये इस्तीफे तो स्टंट हैं; होना-जाना कुछ नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): तुम्हारे प्रस्ताव गिराने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): इस्तीफे मंजूर हों या न हों, इधर तो इस तरफ वाले ही बैठेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: I appreciate the courage of the Home Minster.

श्री मथुरादास माथुर : मैंने दे दिया है।

(४.५० म.प.)

बीकानेर डिविजन एवं अजमेर जिले में वर्षा के अभाव में अकाल की स्थिति सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्ताव हैं।

श्री कुमारानन्द, सदस्य, विधान सभा ने इस वर्ष वर्षा के अभाव के कारण अजमेर जिले में अकाल से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

इसी प्रकार श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा, सदस्य विधान सभा, ने भी बीकानेर डिवीजन में वर्षा के अभाव के कारण अकाल से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित एक स्थगन- प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इस पर विचार किया जावे; अत: मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं यह भी चाहूँगा कि इस विषय पर माननीय राजस्व मन्त्री स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दें।

स्वर्णकारों को रोजगार देने इत्यादि सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री विजयसिंह झाला सदस्य, राजस्थान विधान सभा, ने स्वर्ण नियन्त्रण कानून के फलस्वरूप राज्य में बेकार हुए स्वर्णकारों को रोजगार देने एवं आवश्यक सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित स्थगन-प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं।

Page No 37

(श्री अध्यक्ष)

यह मामला हाल ही में घटित किसी विशेष विषय से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इन स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

चूंकि इस सम्बन्ध में विधान सभा के गत सत्र में एक संकल्प पारित किया गया था, अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या निर्णय लिये हैं एवं उन निर्णयों के फलस्वरूप स्वर्णकारों को रोजगार एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होने में कितना लाभ पहुंचा है।

मैं माननीय श्रम मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कल या परसों, जब भी सम्भव हो स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य दें।

अनुपस्थिति हेतु अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री हरिदेव जोशी, सदस्य विधान सभा ने १६ अगस्त से लेकर सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने को अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)
अनुमति प्रदान की गई।

राज्यपाल से अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण

सचिव, राजस्थान विधानसभा (प्रनोपसिंह : महोदय, मैं गत सत्र में राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

१. राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १६६३

२. मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६३

३. राजस्थान वित्त विधेयक, १६६३

४, राजस्थान भू राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १६६३

५. राजस्थान होम गार्डस् विधेयक, १६६२

६. राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण विधेयक, १६६१

७. राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६६३

८. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक; १६६३.

राजस्थान कोटन ट्रान्सपोर्ट नियम, १६६३

(सदन की मेज पर रखना)

श्री **नाथूराम मिर्धा** (कृषि मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं कोटन ट्रान्सपोर्ट अधिनियम १६२३ की धारा ८ के अन्तर्गत राजस्थान कोटन ट्रान्सपोर्ट नियम १६६३ के प्रारुप को सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री **भीमसिंह** (उप मन्त्री यातायात) अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर व्हिकल्स अधिनियम,

(श्री भीमसिंह)

१९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत होम 'बी' विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(क) अधिसूचना संख्या एफ १ (३) (३४) एच. बी. जी. आर. १।६२, दिनांक २८ फरवरी, १९६३, निम्नांकित शुद्धिपत्रों सहित :

(१) शुद्धिपत्र संख्या एफ. १ (३) (३४) एच. बी. जी. आर. १।६२ दिनांक १९ मार्च, १९६३ तथा

(२) शुद्धिपत्र संख्या एफ. १ (३) (३४) एच० बी० जी० आर० १।६२ दिनांक १७ अप्रेल, १९६३

जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हिकल्स रूल्स, १९५१ की अनुसूची संख्या ८ में संशोधन किये गये हैं।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ० १ (३) (१९) एच० बी० १।६३, दिनांक २८ जून, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हिकल्स, नियम, १९५१ के नियम ८९ तथा अनुसूची संख्या ८ मे संशोधन किये गये हैं।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ० १ (१) ।९७। ऐच० (बी० जी० आर० १) ।६१ दिनांक ११ जुलाई, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हिकल्स नियम, १९५१ की अनुसूची संख्या १ में संशोधन किये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ओन, ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय जो मन्त्री महोदय ने अभी अधिसूचनाएं सदन के समक्ष रखी है उनमें से दो अधिसूचनाएं ऐसी हैं जिनमें से एक २८ फरवरी, १९६३ को और दूसरी १९ मार्च १९६३ को जारी की गई हैं। उसके बाद इस सदन की बैठक बजट सेशन के रूप में हो चुकी है और यह बात बार बार सदन के सामने लाई गई कि सरकार की ओर से जो भी सूचनाएं लाई जावें वे निकटस्थ सेशन हो उसमें लाई जावें और अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से भी यह राय दी गई थी और सरकार ने इसके बारे में आश्वासन दिया था कि इस बात का ध्यान रखा जायगा। बावजूद इसके भी सरकार इस बात का ध्यान नहीं रखती, इसका अर्थ यह है कि इस सदन के प्रति पूरी तौर से सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं रख सकी जिसका चेयर को नोटिस लेना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जानकारी करके आपसे अर्ज करूंगा कि क्यों देरी हुई।

श्री अध्यक्ष : देरी तो हुई है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये जो आदमी जिम्मेदार है उनको हिदायत कर दी जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोयलात) : जिन लोगों और अधिकारियों के कारण देरी हुई उनको हिदायत करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि सदन को अधिकार है कि जो सूचनायें जारी की जावें उसके बाद जो नजदीक का सत्र हो उसमें हाऊस की टेबल पर रखी जायं इसलिये उचित यह होगा कि विधान सभा की परम्परा को प्रारम्भ रखने के लिये मन्त्री महोदय इस बात की क्षमा मांगे कि इन्हें पिछले सत्र में पेश नहीं किया जा सका और भविष्य में ऐसी त्रुटि न करें।

Page No 39

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे क्षमा मांगने में ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह मानें कि आपने क्षमा मांग ली ?

५.०० म० प०

राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन जयपुर से सम्बन्धित प्रतिवेदनों, की प्रस्तुति

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं वेयर हाउसिंग अधिनियम १९६०, की धारा ३१ (११) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन जयपुर से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

Audit Report, together with copies of balance sheet and profit and loss account of the Rajasthan State Warehousing Corporation for the year ending 31st March, 1961.

Audit Report, together with copies of balance sheet and profit and lsos account of the Rajasthan State Warehousing Corporation for the year ending 31st March, 1962.

राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, १६६३

(पुर: स्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६३ को पुर: स्थापित करता हूं ।

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों को भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १६६३

(उपस्थापन एवं विचार-विमर्श)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजोशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १६६३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूँ ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजोशन ऑफ लैंड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १६६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि तीन संशोधन आये हैं इस प्रस्ताव पर। उन पर बहस हो जाय और सदन की कार्यवाई समाप्त हो, उससे पूर्व इस पर मतदान हो जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मतदान ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर। कन्सीडरेशन के लिए लिया जाय, आपका जो प्रस्ताव है, उस पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अभी नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जितना समय है इसी पर बहस होगी; संशोधन प्रस्ताव हैं उन पर होगी और उनसे सम्बन्धित विषयों पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यानी जनरल डिस्कशन ऑफ दी बिल होगा।

श्री अध्यक्ष : कंसीडरेशन की स्टेज पर सारी बहस होगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३, को जनमत के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है। जैसे जब प्रस्ताव की बात आती है तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। यह जो विधेयक है जिसमें कुछ प्रगतिशील कदम उठाये जाते हैं, उसमें विलम्ब क्यों किया जा सकता है ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : इसमें पहले नोट ऑफ डिसेन्ट वाला बोलेगा या अमेंडमेंट देने वाला।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पर अमेंडमेंट हैं। पहले तो वही बोलेगा। क्योंकि प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसके बाद अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे, उसके बाद सारा डिस्कशन होगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : नोट ऑफ डिसेन्ट कन्सीडरेशन के बाद में........

श्री अध्यक्ष : कन्सीडरेशन के प्रस्ताव पर ही विचार हो रहा है। कन्सीडरेशन के प्रस्ताव पर तीन संशोधन आये हैं। वे माननीय सदस्य पहले बोलेंगे उसके बाद अन्य माननीय सदस्य।

श्री मुरलीधर व्यास: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल पहले हाउस में आया उसके बाद में प्रवर समिति में आया। आज जो हम जनमत की बात करते हैं, उसके पीछे एक लक्ष्य है। जनमत जानना किन किन मुद्दों पर आवश्यक है। कुछ मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि उनमें किन किन लोगों की क्या राय होनी है और क्या विचार प्रकट करते हैं यह जानना आवश्यक होता है। जहां तक भू-संपदा अवाप्ति विधेयक का सवाल है, उसे प्रवर समिति के पास भेजने से पहले राज्य सरकार ने जो अपना मूलभूत बिल रखा था उस मूलभूत बिल को देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो अवाप्ति के बाद में समय निर्धारित किया था, जिस समय बिल सदन में पारित हो जाय उसी समय से लिया जाये। तो सरकार की मन्शा उससे जाहिर होती है कि सरकार अपने किसी एक कानून को बनाते समय कितनी चीजें रखती है। मैं समझता हूं कि इस बिल के बारे में सरकार ने समय समय पर जो कुछ भी परिवर्तन किए उन सारे परिवर्तनों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार किसानों के संबंध में, जमीन के संबंध में, समाजवादी समाज व्यवस्था के संबंध में आज तक अपने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और उसका नतीजा यह होता है कि उनके जितने बिल आते हैं, उस मूलभूत सिद्धांत, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, कानून बनाते समय उसका ख्याल नहीं रखते। उसका नतीजा होता है कि उसके बाद कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं; दो-चार खामियां रह जाती हैं। प्रवर समिति ने कुछ परिवर्तन किये और कुछ यहां किये। लगान के बारे में संशोधन हुआ है कि अब तक जमीन का जिन्होंने इस्तेमाल किया है और कई जगह लगान वसूल भी की है तो उस समय से, सन् १९५० से, जबसे हमारे देश में गणतंत्र राज्य हुआ, तबसे यह वसूल की जाय। इस प्रकार का इसमें संशोधन हुआ है। इसबात के लिए मुझे खुशी है, परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस समय जागीरदारी एवोलीशन की तो उस समय भी हमने ऐसी बातों पर जोर रखा है जो इस बिल के अंदर आना बहुत आवश्यक है। जागीरदारी रिजम्पशन के समय भी जागीरदारों की जो जमीनें थीं वे तो लीं पर जमीन के साथ कोई तालाब हों या प्लॉट्स हों, तो इस प्रकार को जो सम्पदा रही

(श्री मुरलीधर व्यास)

है उसके सम्बन्ध में उनके अन्दर कोई उल्लेख नहीं है। इसमें सरकार का जो कर्त्तव्य है वह ऐसा होना चाहिए एक कानून बनते समय, कुछ बातें छोड़ दीं और उस समय जो बातें आपको लेनी थीं वे नहीं लीं। नतीजा यह हुआ कि इतने साल के बाद फिर आपको यह बिल लाना पड़ा।

मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार को जो भी इस प्रकार की सम्पत्तियां जो व्यक्तिगत प्रोपर्टी के नाम से जागीरदारों के पास में ऐसी है जो जनहित की हैं, तो ऐसा प्रावधान नहीं जोड़ा गया, तो नतीजा यह होगा कि उसके बाद में कोई नया अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। आपकी इस मामले के अन्दर स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

इसके अन्दर आपने कुछ बातें और छोड़ दीं। जहां तक राजाओं के पास उस भूमि का सवाल है अब वह भूमि कौन कौन सी है, आप जोधपुर में चले जाइये, दूसरे स्थानों पर चले जाइये। राजाओं ने बड़ी बड़ी जमीनें अपने कब्जे में रखी हैं। आप छीतर पैलेस जोधपुर चले जाइये, वहां इतनी जमीन मिलेगी, अगर वहां पर सरकार ठीक ढंग से वहां के लोगों को बसाये तो उसके अन्दर १०,००० आदमी आ सकते हैं।

शहरों के अन्दर काफी जमीन लोगों ने नाजायज रूप से अपने कब्ज़े में रखी है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि शहरों के विकास में जमीन की आवश्यकता होती है तो जमीन मिलती नहीं है। जमीन की सही कीमत का इसमें प्रावधान रखा है लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बिल में चार चीजों को छोड़ रखा है। इसकी व्याख्या के अन्दर आपने प्लॉट्स को छोड़ रखा है। इस कानून के अन्तर्गत प्लॉट्स नहीं आये हैं। इसके अन्दर गढ़ हैं, पैलेसेज़ हैं और प्लॉट्स हैं—जहां तक इसका सवाल है इनको नहीं लेना है और नहीं देना है। इनको उसको मुआवजे के रूप में देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लॉट्स का जहां तक सवाल है, जहां तक शहरों के विकास का सवाल है – जब कि लोगों को जमीन मिलती नहीं है तो प्लॉट्स जहां रूल्स ने अपने कब्जे में कर रखे हैं उन्हें आपको इसके अन्तर्गत जोड़ देना चाहिए। अगर नहीं जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि विकास के अन्दर आगे दिक्कत आने वाली है।

इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि यह ऐसा मसला है कि आपने पहले कोई खामी कर दी और उसका नतीजा आप आज तक भोगते रहे हैं और उसके कारण आपको नया परिवर्तन करना पड़ा है। अब इसके अन्दर जो खमियां हैं, जो कि जागीरदारी अबोलिशन के बावजूद रह गई हैं, और जिन्हें आपको दूर करना हैं तो इस बिल को रूलर तक सीमित न रख कर, जो जन-सम्पदा जनहित में काम में आ सकती है, उस सम्पदा को भी लेने का अधिकार लेना चाहिए। हो सकता है, आज आपको जरुरत न पड़े परन्तु जरुरत पड़ने पर उसके लिए कानून लायें तो मैं समझता हूँ यह अच्छी व्यवस्था नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिससे आगे जाकर नया प्रावधान न करना पड़े।

दूसरी बात यह हैं कि एक ओर तो हमारी सरकार कहती हैं कि हमारे देश के अन्दर एमर्जेन्सी हैं और एमर्जेन्सी के नाम पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

गवर्नमेंट गरीब आदमी के ऊपर टैक्स का भार बढ़ाती जा रही है। जिस आदमी के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, पूरा पहिनने को नहीं है उसमे आप कहते हैं कि क्योंकि आज देश पर संकट आया हुआ है, इस संकट के समय हमें पैसे की आवश्यकता है इसलिए हर आदमी को थोड़ा बहुत त्याग करना चाहिए जहां टैक्स का सवाल आता है वहां आप गरीब से गरीब आदमी को नहीं छोड़ते हैं, और संकटकालीन परिस्थिति की बात करके अधिक से अधिक टैक्स गरीब आदमी से वसूल करने की बात कहते हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि संकटकालीन परिस्थिति के अन्दर, जिसको हमारी गवर्नमेंट मानती है और जिसके नाम पर गरीब से गरीब आदमी से टैक्स वसूल करती है वहां कम से कम आपको यह ख्याल करना चाहिए कि यह जो रूलर्स की सम्पदा है, या भूमि की सम्पदा है-जिसको आप समाप्त करना चाहते हैं और जिसके लिए आप मुआवजा देना चाहते हैं-उसको लेने के सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिए। मैं तो यह समझता हूँ कि जहां तक मुआवजा देने का सवाल है रूलर्स की सम्पदा के सम्बन्ध में, तो जब उनको प्रिवी पर्स दिया गया है, फिर मुआवजा देने की क्या आवश्यकता है ? आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टीट्यूशन के मुताबिक है और इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टीट्यूशन रोकता है, आपको ऐसा करने के अन्दर कॉन्स्टीट्यूशन बाधा पहुंचाता है।

तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो देश के सामने इस तरह का संकट है और दूसरी तरफ इस कानून के अन्तर्गत बहुत बड़ा मुआवजा देने का सवाल है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल निश्चित रूप से यह कह देना चाहिए कि हमारे देश में जब तक संकटकालीन परिस्थिति है तब तक कम से कम किसी प्रकार का कोई मुआवजा गवर्नमेंट नहीं देगी। यह बात निश्चित और स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर इस बात पर दृढता के साथ आप नहीं पहुंचते हैं तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा टैक्स लेने के लिए, टैक्स की राशि बढ़ाने के लिए, जो भूखा है, नंगा है और जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसको भर पेट रोटी नहीं मिलती है ऐसे लोगों से टैक्स वसूल करते हैं और जिसको प्रिवी पर्स मिलता है और जिसके पास कोई कमी नहीं है उसको मुआवजा देने की बात करते हैं-तो आपको ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। मैं समझता हूँ कि आज संकटकालीन परिस्थिति के अन्दर आपको अपनी बात कहनी है तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और उससे आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए, अगर सरकार वाकई गरीब लोगों के प्रति वफादार है और अपनी बात ईमानदारी के साथ कहना चाहती है। अगर यह नहीं होता है तो मैं कहता हूँ कि यह जो बिल है इसके सम्बन्ध में एक बात माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्टेटमेंट देते समय कही थी कि खातेदारी राइट इसमें दिया है। इसमें जो खातेदार की व्याख्या करते हैं, उसको पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि खातेदारी का क्या अधिकार उसीको होगा जो जमीन को जोतेगा। जमीन को जोतने वाले को ही जमीन देने का सवाल है। आप यह मानते हैं कि खातेदारी की यह व्याख्या है, उसके अनुसार वही जमीन लेगा जो जमीन को जोतेगा, आपकी इस प्रकार की मान्यता है तो आप जमीन को इसी मान्यता के आधार पर दें। परन्तु जिस

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार मुख्य मन्त्रीजी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि हम इन राजाओं को, जो प्रिवी पर्स प्राप्त कर रहे हैं, उससे अधिक किसी भी प्रकार कमाने का कोई मौका नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि एक ओर तो कहें कि उनको हरजाना मिलता रहे और दूसरी तरफ यह कहें कि इससे अधिक कमा नहीं सकते, तो मैं समझता हूं कि यह मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बिल्कुल विपरीत है और दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं इस बिल के द्वारा इस प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री, जो कि सदन के नेता हैं और जिनको आप मान्यता देते हैं, के वक्तव्य के खिलाफ आचरण करना होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर आप इस प्रकार का कानून जब बनाते हैं तो इस कानून के अन्तर्गत आप कोई इस प्रकार की बात न रखें कि आपको बार बार इसमें नया संशोधन लाकर व्यवस्था करनी पड़े। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की जमीन के ऊपर लोगों ने अपना कब्जा जमा कर उस जमीन को बेचा है और उससे लाभ उठाया है तो इसके अन्दर कम से कम यह चीज आ जानी चाहिए कि जिन लोगों ने इस प्रकार की जमीन ली है और उस जमीन को बेचा है और काफी लाभ उठाया है तो उनसे कम से कम आप कुछ न कुछ आज की इस संकटकालीन परिस्थिति में ले सकते हैं। जब आज इस प्रकार की स्थिति है कि आपको पैसा चाहिए तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि गवर्नमेंट संकटकालीन परिस्थिति में, जिनके पास ज्यादा तादाद में धन है, सम्पदा है उनसे अधिक से अधिक पैसा लेकर इस संकटकालीन परिस्थिति में लगा सके। लेकिन उस तरफ ध्यान न देकर उस गरीब से गरीब आदमी की तरफ ध्यान रखते हैं और उनको बांध देते हैं तो मैं समझता हूं कि समाजवादी समाज व्यवस्था, आज की देश की संकटकालीन परिस्थिति और देश को अधिक पैसे की आवश्यकता-इन सबके विपरीत आपका यह आचरण होगा। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अलग अलग दल अपनी बात अलग अलग रूप में कहते हैं, क्योंकि हर दल की अलग बात होती है लेकिन मुझे तो यह विचारना है कि जिन दो महानुभावों ने इस रिपोर्ट से असहमति प्रगट की है और उन्होंने जो कारण दिये हैं, उनको पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि उन कारणों के जरिये वे उन राजा-महाराजाओं का कुछ छूट दिलाना चाहते हैं-उनकी असहमति के पीछे मैं उनकी मन्शा के प्रति शंका नहीं करता लेकिन, जो चीज है उसका अल्टीमेट रिजल्ट यह होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ मिलता रहे।

आज ऐसे दल भी लोकतंत्र में काम करते हैं और जनता में वे किसानों की बात करते है, जब सदन में कानून बनाते हैं तो किसान मजदूर और गरीबों की बात करते हैं, परन्तु जहां त्याग की बात आती है तो ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे मालूम पड़ता है कि वे अपनी बात में कुछ और हैं और कार्यवाही करने और कदम उठाने में कुछ और हैं। इस तरह की बात किसी भी दल की तरफ से आती है तो उसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस प्रकार के विचार चलते हैं तो वे जनता में जाने चाहिए। अगर वे कहना चाहते हैं कि नहीं, जो जमीन है उसको कानून के अन्तर्गत नहीं लेना चाहिए और वह वैसी ही रहनी चाहिए, तो इस प्रकार की बात वे जनता के सामने कहें, ताकि लोगों कोमालूम पड़े कि

Page No 44

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऐसा भी दल है जो यह कहता है यह जमीन हर हालत में रूलर्स के पास रहनी चाहिए । अगर सरकार किसी प्रकार जमीन लेती है तो इस मन्शा से लेती है कि उस जमीन का लोगों में वितरण करना है । लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर में हजारों किसान इस प्रकार के हैं जिनकी जमीनपर जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है। अगर इस कानून के अन्तर्गत वहजमीन आती है तो वह जमीन उन लोगों को मिलती है । अगर नहीं आती है तो उनको वह जमीन नहीं मिलती है । तो एक तरफ तो किसानों के हित की बात करें और दूसरी तरफ किसानों को जमीन देने का सवाल आता है इसका विरोध करते हैं तो यह परस्पर विरोधी नीति है और इसको हर हालत में समाप्त करना चाहिए और ये बातें जनता के समक्ष जानी चाहिए, जिससे उनको मालूम हो कि हमारी सरकार क्या कहती है और क्या सोचती है । मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष की भावना है, इस बिल को बनाने में क्या भावना है और किस तरह बाद में यह प्रवर समिति में गया और कैसे संशोधन आये-यह सब सरकार की मन्शा जनता के समक्ष आयेगी । आज सरकार ने इसमें जो परिवर्तन किये हैं और जिसे उन लोगों ने मान्य किया है, मैं समझता हूं कि इसकी अपेक्षा सरकार की पहले बिल के अन्दर नीति थी वह ज्यादा प्रतिक्रियावादी थी, वह नीति शोषण की थी । परन्तु प्रवर समिति में दूसरे लोग पहुंचे और विचार-विमर्श के बाद कुछ परिवर्तन किये हैं । इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि आज इसमें जो व्यवस्था मौजूद है इसमें भी शोषण हो सकता है, और संकटकालीन स्थिति में लाभ नहीं मिल सकता है । वह स्थिति मौजूद है क्योंकि जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है, वह चाहे जागीरदारों के पास में हो या किसी और के पास हो-उसमें परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक समाज के हित में नहीं है और इसलिए यह अपूर्ण बिल है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय ताकि सबकी राय इस पर प्राप्त हो सके ।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड एक्विज़िशन ऑफ लैन्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ जिसको प्रवर समिति के पास भेजा गया था और प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसको एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने हेतु मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है :

"That the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Landowners Estates Bill, 1963, as reported by the Select Committee, be referred to a new Select Committee with the instructions to examine the question of payment of lesser quantum of compensation in view of the national emergency, conferring khatedari rights on the occupants and invalidating all transfers made after 1955.

The names of the members of the Committe will be given later on."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान भूमि-सुधार तथा भू स्वामियों की भू सम्पदा प्रवाप्ति विधेयक, १९६३ को जनमत जानने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हेतु अभी प्रजा समाजवादी दल के नेता, ने जो बीकानेर से आये हैं, अपने विचार व्यक्त किये। मैं तो ऐसा समझता था कि शायद वे इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित कराने का प्रयास करेंगे। जितनी भी दलीलें और तर्क उन्होंने दिये उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस विधेयक को पारित करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं करना चाहिये और इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह केवल इस दृष्टि से किया है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रवर समिति की आंखों से ओझल हो गये। यह बात सही है कि प्रवर समिति में जितने भी माननीय सदस्य थे वे बहुत ही योग्यता वाले, कानून के जानने वाले, विधि के जानने वाले थे और उन्होंने सभी दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया और मेरे दो माननीय मित्रों ने अपने असहमति-पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। उनको देखने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि कानून की बारीकियों पर उन्होंने विचार किया है और अपनी राय व्यक्त की है। लेकिन जो भी तर्क उन्होंने दिये हैं उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। मैंने अपना जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें कुछ विशेष रूप से बातें रह गई हैं उन बातों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको विशेष रूप में तीन पहलुओं में पंक्तिबद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विधेयक कांग्रेस की ओर से लाया गया है; कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के विधेयक का स्वागत किया गया। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिये था। मैं समझता हूँ कि राजा और महाराजाओं के पास जितनी प्रोपर्टी प्राइवेट थी, निजी सम्पत्ति थी, जो राज्यों के विलीनीकरण के समय उनको छोड़ी गई थी, उस सारी जमीन पर रेवेन्यू लैंड लॉ को लागू किया जावे और उस सारी जमीन पर उनसे लगान वसूल किया जावे। अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था उस समय यह व्यवस्था थी कि इस कानून के पास होने के बाद उनसे उस जमीन पर लगान वसूल किया जावे। मगर प्रवर समिति में जाने के बाद इसमें यह व्यवस्था की गई कि २६ जनवरी, ५० से लेकर आज तक इस प्रकार की व्यवस्था की जावे कि यह कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जावे। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान विधान सभा ऐसा नहीं कर सकती या सदन को ऐसा करने का अधिकार नहीं है कि जो कानून बने उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जावे। यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि राजस्थान की सरकार इन १३ वर्षों तक इस सम्बन्ध में सोती रही। राजस्थान सरकार का राजस्व विभाग व विधि विभाग इस सम्बन्ध में १३ वर्षों तक मौन रहे और उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि राजस्थान में हजारों बीघा जमीन राजा और महाराजाओं के पास है और हजारों लोग काश्त करते हैं उनसे लगान लिया जावे और इस प्रकार का कोई कानून लाया जावे। हमारी सरकार इतने सालों तक कान में तेल डाल कर सोती रही।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सन् १६५० से लेकर १६६२ तक हमारी सरकार ने इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं किया। सन् ५२ में पहली विधान सभा आई। और सन् ५७ में दूसरी और सन् ६२ में तीसरी विधान सभा आई इन १३ वर्षों में राजस्थान की सरकार ने भूमि सुधार के कई कानून बनाये और राजस्थान की सरकार ने हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा भूमि सुधार किये और मगर हिन्दुस्तान में इस सम्बन्ध

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल)

में कोई प्रगतिशील सरकार है तो राजस्थान की सरकार है जिसने भूमि सुधार किया है।

मैं जब इस कानून को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि १३ वर्षों तक सरकार चुप रही और १४ वर्षों के बाद यह कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से ला रही है, इससे उसकी नेक नीयती साबित नहीं होती। मैं यह नहीं कहता कि कानून अच्छा हो सकता है। मगर मैं यह कहूँगा कि आप १३ वर्षों तक कानून क्यों नहीं लाये ? १३ वर्षों के बाद कांग्रेस की सरकार अब यह महसूस करती है कि लोगों को सुविधा दी जाए। लोगों को सुविधा देने के लिये आपने यह कानून १३ वर्षों तक क्यों नहीं बनाया ? आप इस प्रकार का कानून सन् १९५१ और सन् ५७ को विधान सभा में क्यों नहीं लाये ? १३ वर्षों के बाद आप यह कानून ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि सन् १९५२ में कांग्रेस की सरकार को जो मत प्राप्त हुए उससे उनका साहस नहीं हुआ इस प्रकार के बिल को लाने का। सन् १९५७ के चुनावों में १०२ सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, इसलिये कांग्रेस सरकार ने सोचा कि हमें कोई भय नहीं है। सन् ६२ के चुनावों का परिणाम हमारे सामने आया। तब कांग्रेस सरकार ने यह सोचा कि इस प्रकार के लोग जो बने हैं उनका पोलिटिकल एक्सप्लोइटेशन होना चाहिए, उनका हैरेसमेंट होना चाहिये। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार और राजस्थान सरकार ने उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिये यह सोचा कि उन लोगों पर कोई ऐसा कानून लाया जावे जो तलवार की तरह हमेशा उन पर लटकता रहे। इसलिये यह कानून लाया गया है। कानून आप कहते हैं कि अच्छा है, अच्छा कानून है तो आपने उसे १३ वर्षों तक क्यों नहीं लागू किया और १३ वर्षों तक क्यों सोते रहे ?

राजस्थान में कुछ लोग जो आपके खिलाफ जाते हैं उनके लिये इस प्रकार का कानून लाया गया है।

आपने क्लॉज ७ में जो प्राविजनर रखा है उससे मालूम होता है कि भिन्न-भिन्न वर्ग की भू-सम्पदाओं के लिये, उनके बन्दोबस्त शुदा होने या न होने के अनुसार भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकेगी। क्लाज ७ को आप मुलाहिजा करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राजस्थान में कितना एक्विजिशन किया जायेगा उसकी अलग अलग तारीखें होंगी। इतना ही नहीं उसमें यह भी जोड़ा है, अवाप्ति जमीन का नोटिफिकेशन निकालने के बाद राजस्थान सरकार चाहे तो वेस्टिंग (Vesting) की डेट बदल सकती है, तब्दील कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार नेशलाइजेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट में जोधपुर में देखा, जो नीति घोषित की थी उसके अनुसार किस प्रकार से काम किया यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि किस प्रकार सौदेबाजी की गई मैं यह कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार की नीयत साफ है तो डिफ्रेन्ट डेट्स क्यों ? क्यों नहीं कोई डेफिनिट डेट रखती है ? मगर वह इसलिये है कि जो राजा-महाराजा लोकतन्त्र का उपयोग करेंगे और उनका विरोध करेंगे उनको हैरेस करने की कोशिश करेंगे। जो राजा-महाराजा आपका साथ देंगे उनको आप फेवर करेंगे व जो साथ नहीं देंगे उनकी भूमि को नोटिफाई करके उनका एक्विजिशन करेंगे। आपने सन् ६२ के चुनावों में यही किया। जागीर के

Page No 47

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
केसेज़ रेवेन्यू बोर्ड में पड़े थे उन केसेज़ को आपने वापिस लिया जिन जागीरदारों ने आपका समर्थन किया। जब आप केसेज को विद्ड्रा कर सकते हैं और महज इसलिये कि वे आपका (कांग्रेस का) समर्थन चुनावों में करें और इसके लिये राजस्थान सरकार को लाखों रुपयों का घाटा उठाना भी बर्दाश्त किया जा सकता हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज ७ में जो आपने यह प्रावधान रखा है, यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस आधार पर राजनैतिक दृष्टि से वातावरण बनेगा और इससे बहुत बड़ी बाधा पहुंचेगी। इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। और यह नई समिति के सामने जावेगा तो वह इस पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक प्रश्न हमारे सामने और है और वह है खातेदारी अधिकारो का।

माननीय मंत्री महोदय इस संबन्ध में यह कहेंगे कि जो लोग actual tillers of the soil है और काश्त करते आये हैं, उनके बीच से हम बिचोलिये हटाना चाहते हैं। मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि बिचोलिये नहीं होने चाहिये, लेकिन उनके यहां पर जो काश्तकारी करते है, उनको इस बात की क्या गारन्टी दी है कि जमीन उनको मिलेगी ? आप किस तरह से उन बातों का फैसला करेंगे। इसका कानून में कोई संकेत नहीं हैं। नतीजा इसका क्या होगा कि जो लोग आज तक काश्त करते आये हैं उनको बेदखल कर दिया जावेगा, इसको रोकने के लिये क्या गारन्टी है। कोई गारन्टी नहीं है। कानून में लिखा है कि खातेदारी राइट्स देने का विचार है। मगर किस प्रकार से यह सारी व्यवस्था होगी ? उस जमीन के बारे में जो रेकॉर्ड होगा उसके बारे में फैसला करेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हमने बिचोलियों को समाप्त किया है। जमीन को जो लोग काश्त करते हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये, इस पर विचार करना है और मैं समझता हूं कि हमारी प्रवर समिति को विचार करना चाहिये था। पर्सनल कल्टीवेशन के आधार पर विचार करना चाहिये।

(५.३० म. प.)

अध्यक्षमहोदय, हमने कुछ लोगों को अधिकार दिये है। मै निवेदन करना चाहता हूँ माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से कि सदन में मैंने पहले भी यह विचार प्रकट किये थे और आज फिर दोहराता हूँ कि राजस्थान में भूमिहीनों की समस्या को यदि हल करना है, राजस्थान में यदि सामाजिक न्याय सही माने में देना है, तो इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि जो काश्तकार नहीं हैं और जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं उनका कब्जा उन जमीनों पर नहीं रहना चाहिये। जमीनों पर आज मेहनत कोई करता है और उसका फल और ही भोगता हैं और जमीन पर मेहनत करने वाले किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता हैं। इस प्रकार के कानून आप क्यों पास करते हैं ? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो नौकरियां करते हैं, जो खेती नहीं करते, वे जमीनों के मालिक बने हुए हैं, चाहे वे इस वर्ग के हों या उसवर्ग के हों, उनके भूमि पर अधिकार नहीं रहने चाहिये।

आज राजस्थान में भूमिहीनों की एक बड़ी भारी समस्या बनी हुई हैं। जो लोग काश्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं करते उनके नाम के इन्द्राजात कागजों में हैं, गलत गिरदावरी, गलत इन्दराजात उनके नाम के कागजात में हैं, इस प्रकार के गलत इन्द्राजात को रोकने में राजस्थान सरकार असमर्थ रही हैं और जिन ईमानदार पटवारियों ने सही इन्द्राजात किये हैं उन पटवारियों को राजस्थान सरकार ने दण्ड दिये हैं। मैं इसलिये यह चार्ज इस सदन में रखता हूँ कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन को ठीक किया जाय, यदि वास्तव में बिचौलियों को समाप्त करना चाहते हैं, जो काश्तकार नहीं होते हुए जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं, उस जमीन को भूमिहीनों को देना चाहते हैं, तो हमें पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन में परिवर्तन करना होगा और वही आदमी काबिज़ माना जायगा जो काश्त करता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी कलकत्ता का रहने वाला है और दिल्ली में रहता है और सांगानेर में काश्त के लिये जमीन ले रखी है, इस जमीन पर काश्तकार काश्त करता है और पटवारी सही इन्द्राज करता है तो राजस्थान सरकार उस पटवारी को डिसमिस करदे। यह एक गहन सवाल है, राजस्थान सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। पर सही मानों में सरकार गरीब भूमिहीनों की समस्या को बनाये रखना चाहती है। भूमिहीनों की समस्या बनाये रखना उन गरीबों के ऊपर अन्याय है। अलवर में, गंगानगर में, जैसलमेर और जोधपुर के इलाके में भूमिहीन हजारों की तादाद में निवास करते हैं। ऐसी हालत में यह केवल ढोंग है, अखबारों में नाम देने के लिये दिखावा मात्र है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसे नई प्रवर समिति में भेज दिया जाय, नई प्रवर समिति के नामों की घोषणा मैंने नहीं की है। मैं ऐसे लोगों के नाम दूंगा जो इस सारी समस्या पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करके, राजस्थान में जो भूमिहीनों के साथ अन्याय किया जा रहा है उनके साथ जो एक प्रकार की साजिश की जा रही है और उस भारी साजिश में राजस्थान सरकार शामिल है, इन सब बातों पर विचार करके भूमिहीनों की समस्या को हल कर सकें। इस सब पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक सवाल और है और वह यह है कि सीलिंग के कानून को पास किया गया, सीलिंग के चैप्टर थ्री को लागू किया है। मैंने माननीय उप-राज-मन्त्री जी से कहा और उस सवाल का जवाब चाहता हूँ; मेरी व्यक्तिगत जानकारी के लिये नहीं, सदन की जानकारी के लिये। राजस्थान में सीलिंग का कानून बनाया पर इसे लागू नहीं, किया गया। यह सदन का कितना भारी अपमान है? यह बात तो जब अवसर आयेगा तब कही जायगी पर राजस्थान सरकार इस प्रश्न को लेकर बार्गेनिंग करती रही, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। अगर इस कानून की राजस्थान में आवश्यकता नहीं हैं तो आप इसे विदड्रा करिये। पर जब आप यह कह सकते हैं कि राजस्थान में सीलिंग का कानून लागू होना चाहिये तो फिर क्या कारण है कि आपने इसे लागू नहीं किया। राजस्थान की विधान सभा से कानून पास करके, विधान सभा की मोहर लगा कर, इसे लागू नहीं किया जाता है तो इसके पीछे बड़ी भारी साजिश है।

अभी एक बड़ी भारी साजिश चल रही है। कहा जाता है, हमने रूल्स बनाये हैं। सरकार ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोब्जेक्शन्स इन्वाइट किये हैं, लोगों ने प्रोब्जेक्शन्स दिये भी हैं। अब सरकार कोशिश कर रही है कि गंगानगर का इलाका इससे बड़ा प्रभावित है. वहां आन्दोलन हो रहे हैं। इसका अन्दाज इसलिये लगाया कि किसानों के पैरोकार, वकील बनने वाले लोग सार्वजनिक तोर पर मांग करने लगे हैं कि सीलिंग के कानून में संशोधन किया जाय, जो सीमा निर्धारित की है उसको बढ़ाया जाना चाहिये। इधर से अगर इस प्रकार की मांग की जाय तो सरकार कह सकती है कि वे प्रतिगामी हैं, पर जो लोग सरकार पर हावी हैं, जो अपने आपको किसानों के पैरोकार और सरकार के हामी कहते हैं वे यह मांग कर रहे हैं इसलिये सरकार कहती है कि वहां भूमि की सीलिंग की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिये। कितना पोलिटिकल प्रेशर है, जनता की मांग है, उसके अनुसार कानून में संशोधन होना चाहिये। पर इधर तो हमने नियम बनाये, गजट में प्रकाशित किया, आपत्तियां मांगीं, एक जगह से पोलिटिकल प्रेशर आया तो सरकार कहती हैं कि सीलिंग की सीमा को बढ़ाना चाहिये। मैं कहता हूं कि सरकार सीलिंग की सीमा को बढ़ायेगी क्योंकि गंगानगर से मांग आ रही है, क्योंकि वहां से पैसा इकट्ठा करना है। इस तरह पैसा इकट्ठा करना उचित नहीं। नियम प्रकाशित कर दिये, आपत्तियां मांग लीं, अब सरकार सीलिंग की सीमा बढ़ाना चाहती है क्योंकि ५ लाख रुपया गंगानगर जिले से इकट्ठा करने का निश्चय किया है। इस तरह का बार्गेनिंग करके विधान सभा में जो सरकार को अधिकार दिये हैं उनका वह दुरुपयोग कर रही है, इस पर हमें विचार करना होगा। १० मन की पैदावार इसमें रखी है पर अब सरकार यह कहने वाली है कि १० मन पैदा नहीं होता, ५ मन ही पैदा होता है और इस तरह ३० के बजाय ६० एकड़ हो जायगा और सरकार कहेगी कि ७ मन पैदा होता है तो ४५ एकड़ हो जायगा। जो आंकड़े अधिकारियों ने इकट्ठे किये हैं उनको सरकार गलत बतायेगी। इन सारे सवालों पर हमें विचार करना है। इस तरह यदि कानून के साथ खिलवाड़ और राजनैतिक सौदेबाजी सरकार ने की तो वह नहीं चलेगी। अगर सरकार की मंशा है कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिये तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि आपने इसमें परिभाषा दी है, वह परिभाषा है एस्टेट की, लैंड की और लैंड ओनर की। माननीय सदस्य जिन्होंने २ असहमति पत्र रखे थे उन्होंने संकेत किया है। लैंड ओनर की परिभाषा लिखी है :

"'landowner' means the Ruler of a Covenanting State in Rajasthan holding an estate under and in accordance with the settlement of his personal or private properties made in pursuance of the Covenant and finally Approved by the Central Government."

मैं माननीय उप-राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में कौन से रूलर हैं। राजस्थान में रूलर हैं तो राजस्थान की विधान सभा है, उससे छोटे दायरे में पूछना चाहें तो कांग्रेस पार्टी रूलर है, उससे भी छोटे रूप में लेना चाहें तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं, पार्टी के लिहाज से सोचें तो एक गुट्ट है; लेकिन राजस्थान के अन्दर कोई रूलर नाम की चीज नहीं है। आप हाईकोर्ट के फैसलों, सुप्रीम कोर्ट के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फैसलों को उठा कर देखिये, उनमें कहीं भी 'रूलर' शब्द का उपयोग नहीं है, किन्तु उसमें एक्स-रूलर रखा है। प्रवर समिति के चेयरमैन ने प्रवर समिति की ५ मीटिंग्ज़ सिर्फ कीं। तीन में एडवोकेट जनरल का इन्तजार करते रहे और बाकी २ में ये सब फैसले किये। उनकी निगाह में यह नहीं आया कि लैंड ओनर्स की यहां आवश्यकता है न कि रूलर्स की। वे कानून के जानकार, माहिर कहे जाते हैं लेकिन उनको इस कानून की बारीकी का भी ध्यान नहीं रहा। रूलर्स की परिभाषा में मंत्री महोदय को ध्यान न होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बासपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद ३६६, सब क्लॉज (२२) को तो उनको पता चलेगा कि 'रूलर' जैसी वस्तु अब वैधानिक दृष्टिकोण से है या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह व्हाइट पेपर है, इसमें रूलर की परिभाषा दी है।

महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह : I would draw the hon. Member's attention to Article 365[22] of the Constitution of India.

श्री सतीशचन्द्रअग्रवाल:And I would request the hon. Member, he should hear me. I am reading the same Article.

" Ruler in relation to an Indian State means the Prince, Chief or other person by whom any such Covenant or agreement as is referred to in clause [1] of Article 291 was entered into and who for the time being is recognised by the President as the Ruler of the State, and includes any person who for the time being is recognised by the President as the successor of such Ruler."

अध्यक्ष महोदय...

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री-राजस्व): Now you read the definition of 'land-owner'.

आप पढ़िये लैंड ओनर' के लिए डेफिनेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सेक्शन वही है। इसको लेकर यदि मैं आपको ज्यादा खींचूंगा तो आपको मालूम हो जायगा, " Ruler of a covenanting State ", Which covenanting State ? Alwar, Bhartpur or Dholpur ? There were three stages of the integration of Rajasthan.

कौनसे राजस्थान के लिए कहना चाहते हैं ? एक राजस्थान बना उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ आदि दस रियासतों को मिलाकर, जिसको फोर्मर राजस्थान कहते हैं, और एक राजस्थान बना जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और फोर्मर राजस्थान को मिलाकर, १४ रियास्तों वाला राजस्थान और एक मत्स्य की रियासतों को मिला कर राजस्थान बना १८ रियासतों का। आपको इतना पता नहीं, " covenanting State in Rajasthan" there is no State like Rajasthan. You should say United States of Rajasthan or former Rajasthan. लेकिन यह परिभाषा बना दी ड्राफ्ट करने वालों ने और प्रवर समिति का नाम था केवल कोमा,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फुलस्टॉप की गलतियां निकाल कर उसको शुद्ध करना । यदि उनके पास प्रतिलिपि न हो तो मैं उनको बता दूं कि कौनसी राजस्थान स्टेट कब बनी । फोर्मर राजस्थान बना वह १० स्टेट का उसके बाद १४ स्टेट को मिलाकर एक राजस्थान बना । उसमें फिर बाद में मत्स्य मर्ज हुआ और १८ रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान बना ।

अब प्रश्न खड़ा होता है कि कौनसी कोवेनेंटिंग स्टेट ? मत्स्य बना तो मत्स्य के राजप्रमुख ने दस्तखत किये । आपने जो कॉन्स्टीट्यूशन में परिभाषा दी है उसको अपनी परिभाषा से मत जोड़िये । मैंने आपकी शुरु २ में तारीफ कर दी कि आप बड़े विद्वान् हैं कानून में, लेकिन मैंने आपकी तारीफ डा० अम्बेडकर के मुकाबले में नहीं की । मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ । आप रूलर मान कर चलिये । एक हजार एकड़ जमीन उन्होंने अपनी पत्नि के नाम से निकाल दी, एक हवाला निकाल दिया १ हजार एकड़ का, अपने भाई- बेटे के नाम से वह जमीन निकाल दी । जो जमीन उसने निकाल दी उसके अन्तर्गत तो वह जमीन नहीं रही, उसका उस जमीन पर अधिकार नहीं रहा । एक हजार एकड़ में से ६५० एकड़ जमीन उसने अपने पत्नि, भाई वगैरह के नाम पर निकाल दी तो उनके अधिकार में वह नहीं रही । आपकी परिभाषा उस पर लागू होगी क्या ? यदि लागू होगी तो इसको विधि विभाग में भेजना पड़ेगा । फिर तो यह कह दीजिये कि जो जमीन जिसको गिफ्ट हो गयी, जो जमीन रूलर्स के नाम से थी वह उन्होंने दूसरों को गिफ्ट के रूप में दे दी, अब जो जमीन रूलर्स के नाम से नहीं रही. जिसको प्रोप्राइटरी-शिप, ओनर-शिप ट्रांस्फर हो गयी. कई साल पहले ट्रान्स्फर हो गई, यह परिभाषा उन पर कैसे लागू होगी ? कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा में 'रूलर्स' को रिकॉग्नाइज़ किया गया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा. अध्यक्ष महोदय, कि एक पोइन्टेड क्वेश्चन मैंने मन्त्री महोदय से किया था कि हजार एकड़ जमीन हैं, बदनियत से नहीं, मैं कह सकता हूँ नियत से अपनी उदारता से, अपनी कौटम्बिक परिस्थिति के अनुसार उसने अपने भाइयों, अपनी पत्नि, दास-दासियों में वह जमीन बांट दी, हवाला के लिए निकाल दो, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ? आप उनको हैरेस करेंगे जिनको कि वह जमीन दी गई है, क्या आप उनके नाम नोटिस निकालेंगे ? सरकार उनके नाम पर नोटिस निकालेगी, उनको उनसे बेदखल करेगी, वे लोग वकील करेंगे, पैसा उनको देंगे, फिर महीनों और सालों के बाद जाकर उन लोगों के दिमाग में आयेगा, सरकार के समझ आयगी कि यह उनके लिए लागू नहीं होगा । सालों समझाने के लिए कौन सेक्रेटेरियेट के चक्कर लगाये । यह परिभाषा में जो एम्बीगयुइटी है उसको दूर करना चाहिये । इस प्रकार के इन्नोसेन्ट लोग हैं, जिनको गुजारे के लिए चीज़ मिली है, जिन्होंने अनमेला फाइडी (बोना फाइडी निकाली है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिये और यदि मेलाफाइडी तौर पर जमीन निकाली है तो उस पर अंकुश लगना चाहिये । आपने इन बातों पर विचार नहीं किया । माननीय मन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार तो सीलिंग के अन्दर जो व्यवस्था है उसको लेकर १३ साल पहले जो चीज की गई उसका १३ साल पहले से लगान वसूल करने के लिए कदम उठा रही है । लेकिन आपने यह नहीं सोचा ।

Page No 52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

१३ साल के पहले लगान जमा कराने के लिए आप नोटिस निकालेंगे, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जमीन उसके पास नहीं रही। उसने उदारता के रूप में, गिफ्ट के रूप में, कौटम्बिक परिस्थिति के अनुसार बिना किसी मेलाफाइडी इन्टेन्शन के वह जमीन निकाल दी, यदि मेलाफाइडी रूप में किया है तो उस पर विचार करना होगा, उस पर इस प्रकार से अंकुश लगाना अच्छा नहीं है। इन्नोसेन्ट किसी प्रकार से हेरेस न हों, इस पर विचार करना होगा। बाकी यदि मेलाफाइडी रूप में यह किया है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय न लेते हुए सदन का ध्यान केवल इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि यह विधेयक सदन में आया है, जिस प्रकार प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मन्त्री महोदय चाहें तो इस पर गम्भीरता से विचार करें मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि इसके लिए पन्द्रह दिन का समय निर्धारित करदें, कानून जल्दी पास करना चाहते हैं, चाहे वे उसको लागू करें या न करें, इसको आप नई सिलेक्ट कमेटी में भेजिये, आप चिन्ता मत कीजिये, आप बहुत इच्छुक हैं तो आपको चेयरमैन की जगह पर रख दूंगा, चेयरमैन की जगह पर आपको अध्यक्ष महोदय नोमिनेट कर देंगे, लेकिन आप इस पर विचार करिये, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर नयी प्रवर समिति को विचार करना चाहिये क्योंकि कानून में कोई एम्बीग्युएटी नहीं रहनी चाहिए। कानून में ऐसी व्यवस्था भी न हो कि जिससे इन्नोसेन्ट लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अतः मैं सदन से निवेदन करूँगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर अपनी स्वीकृति व्यक्त करके अपना मत देने की कृपा करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अपना भाषण प्रारम्भ करें उससे पहले मैं माननीय सदस्यों और विशेष तौर पर विरोधी दल के नेता का ध्यान रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनेस के नियम ७० की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ....

"Scope of debate on report of Committe –The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration shall be confined to consideration on the report of the Committee and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill."

माननीय विरोधी दल के नेता ने चाहा था कि इस पर जनरल बहस किस तरह से होगी। इसमें स्पष्टीकरण है कि बहस किस प्रकार होगी। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं वे पहले बोलेंगे। उसके बाद अन्य माननीय सदस्य भी इसमें भाग लेंगे, उसके बादमूल प्रस्ताव व संशोधन प्रस्तावों पर आज ही आखिर में मतदान होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है....

Page No 53

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर): This clause gives wide latitude. We want to know whether there would be a general discussion on the Bill as a whole after the movers of the amendment have moved their respective amendments.

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल जनरल तो नहीं हो सकती, फिर भी जैसा कि क्लॉज ७० में लिखा है जिस ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया उसमें सब प्रकार के दृष्टिकोण आ सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह परम आवश्यक है कि जनरल डिस्कशन हो जनरल डिस्कशन इन्डीविजुअल क्लॉजिज के संबन्ध में हो यानी उस संबन्ध में भी बहस हो, यह मैंने आपके विचारार्थ निवेदन किया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बिल सदन में आया और सिलेक्ट कमेटी में रखने का प्रस्ताव आया उस समय इस पर बहस नहीं हुई थी। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि सिलेक्ट कमेटी से पास होकर यह बिल आ जाय उसके बाद फिर इस पर बहस होगी. उसमें जनरल डिस्कशन भी शामिल है। ऐसा होता आया है कि जिन बिल्स पर जनरल डिस्कशन नहीं हो पाता उन पर सिलेक्ट कमेटी से होकर आने के बाद जनरल डिस्कशन होता है और अमेन्डमेन्ट मूव करके भी बहस करना चाहें तो भी वह बहस होती है।

श्री अध्यक्ष : वह तो मैं स्वीकार कर चुका हूं। और इसी संबन्धमें मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान रूल ७० की ओर दिलाया है जिस में इस प्रकार की बहस हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति से अनुमोदित जो रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत हुई है उस पर निवेदन करने से पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह बिल इस सदन में लाया जा रहा है अगर आज से दस या बारह साल पहले इस प्रकार का बिल सदन में लाया जाता तो हमारी पार्टी और मैं शायद और अधिक स्वागत कर सकते थे। लेकिन बारह साल के बाद में भी यह जो बिल लाया जा रहा है और इसमें जो मूल सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उसको हमारी पार्टी समर्थन देती है।

(५.५५ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ ही मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर इस प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद में भी ध्यान दिलाये बिना नहीं रह सकता। जिस उद्देश्य को इस बिल द्वारा हम प्राप्त करना चाहते हैं वह यह है कि जिस प्रकार एक टीनेन्ट अपनी जमीन का लेन्ड रेवेन्यू देता है उसी प्रकार से एक्स-रूलर्स हैं जिनके पास जमीन है उनसे भी गवर्नमेन्ट लेन्ड रेवेन्यू ले। आज जिस प्रकार से बिना लेन्ड रेवेन्यू दिये एक्स-रूलर्स उन जमीनों का उपभोग करें यह एक डिस्क्रिमीनेशन है। जिन लोगों के पास हजारों बीघा जमीन है उन पर लेन्ड रेवेन्यू नहीं लिया जाय, यह डिस्क्रीमिनेशन है उसको दूर करके सब को समान किया जा रहा है, यह इस बिल का उद्देश्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लैन्ड रेवेन्यू उन जमीनों पर २६ जनवरी, ५० से कायम करना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहते हैं। यह तारीख इस ख्याल से डाली गई है कि हमारा संविधान २६ जनवरी, १९५० से लागू हुआ है, इसलिये इसकी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सन् १९५० से दे रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन रखा था उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिटाना चाहते हैं।

मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि क्या कांग्रेस सरकार इतने साल सोयी पड़ी थी जो उन्होंने राजाओं की जमीन पर लेन्ड रेवेन्यू कायम करने के लिये कोई कानून नहीं बनाया। मैं उनकी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। १३ साल तक कांग्रेसी सरकार सोती नहीं रही, १३ वर्ष तक मुतवातिर एक्स रूलर्स को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया किया, कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास किया। इस प्रयास का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि उनको कन्सेशन दिया गया। कोवेनेन्ट में तो स्टेट गवर्नमेन्ट को यह अधिकार दिया गया कि वे एक्स-रूलर्स की जमीनों पर लेन्ड रेवेन्यू ले सकते हैं, यह अधिकार स्टेट गवर्नमेन्ट को कोवेनेन्ट में दे दिया गया था लेकिन उस अधिकार का उपयोग हमारी राज्य सरकार ने नहीं किया। बहुत से रेवेन्यू मिनिस्टर्स राज्य में आये और चले गये, लेकिन कई अर्से से मुख्य मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनका यह दावा रहा है कि वे जागीरदारों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते प्रगतिशील हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों से मुख्य मंत्री महोदय, जो रेवेन्यू मिनस्टर भी होते हुए भी इस प्रकार के कानून को नहीं ला सके, इसका सरकार जवाब दे और मुख्य मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से इसका जवाब देने के जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से आप एक्स-रूलर्स की जमीनों को एक्वायर करना चाहते हैं उसका जहां रेफ्रेन्स है उसके साथ साथ जो कम्पेनसेशन देने की रेट निर्धारित की गई है जितना अमाउन्ट का किया है सात गुना कम्पेन्सेशन देने का फैसला किया हैं, मेरी पार्टी उससे एग्री नहीं करती। इसका कारण यह है कि कोई भी जमीन का मालिक हो किसी को भी कम्पेन्सेशन देने का सवाल हो उसमें संविधान के उसूलों और सिद्धान्तों की हत्या करके उसकी अवहेलना करके कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये। हमारे दिल में एक्स-रूलर्स के प्रति किसी प्रकार की घृणा नहीं है। हम उनको किसी कारण परेशान करना चाहते हों, यह भी बात नहीं। बात यह है कि जब कोवेनेन्ट में एन्टर किया गया उस वक्त एक्स रूलर्स की हजारों बीघा जमीन दी गयी। वह इस बात के लिये नहीं दी गई थी कि वे उसका मेन्टीनेन्स करेंगे या घर खर्च चलाने के लिये दी गई हो, यह भी बात नहीं। स्टेट्स की डिग्निटी कायम करने के लिये दी गई हो, यह भी बात नहीं। उसके लिये तो प्रिवीपर्स का इन्तजाम किया गया। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद डॉ० सी० एल० रमन आदि जो बड़े-बड़े नेता थे उनको इस बात के लिये नियुक्त किया गया कि वे यह बतायें कि राजाओं को कितना २ प्रिवीपर्स दिया जाय, वे इसके लिये फोर्मूला निकालें। जो फोर्मूला उन्होंने निकाला व्हाइट पेपर ऑन इन्डियन स्टेट्स में वह फार्मूला प्रकाशित किया गया है वह इस प्रकार है कि जिस स्टेट की रेवेन्यु एक लाख रुपया है कम से कम पहले एक लाख रुपये पर १५ प्रतिशत प्रिवीपर्स का दिया जाय यानि एक लाख पर १५ हजार रुपया। दूसरा चार लाख की आमदनी पर करीब १० प्रतिशत और पांच लाख पर ७।। प्रतिशत कायम किया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

गया। इसके साथ साथ यह भी फोर्मुला रखा गया कि जिनकी आमदनी १० लाख से ऊपर है उन रूलर्स को प्रिवीपर्स नहीं। इसके साथ ही साथ कुछ बहुत बड़ी स्टेट्स थी; जैसे जयपुर हैदराबाद आदि-उनको इस प्रिन्सिपल से एग्जेम्प्ट किया गया।

इस तरह से जब हम भूमि का कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट्स में किस आधार पर उनको जमीन दी गई। हमारे उप-मन्त्री महोदय अगर व्हाइट पेपर ओन इन्डियन स्टेट्स का अध्ययन करते तो उनको मालूम होता कि ये एस्टेट्स इसलिये नहीं दी गई कि इसका इम्प्रूवमेंट करें, इनके पास साधन बहुत हैं इसलिये वे उस पर मोर्डन एग्रीकल्चर करेंगे। किन्हीं राजाओं को एग्रीकल्चर का शौक है या होर्टीकल्चर का शौक है इसलिये इनको हजारों बीघा जमीन दे दी गई हो यह बात भी हो सकती है, किन्तु इसके साथ साथ वे मेकेनाइज्ड फार्मिंग का नमूना पेश कर सकें और अपने शौक को भी पूरा कर सकें।

(६ म० प०)

उसमें साफ लिखा है कि नीयत यह नहीं है कि उससे उनकी इन्कम बढ़े। पर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार समझती है कि ये एस्टेट्स भी उनके पास इसलिये छोड़ी गई हैं कि उनकी इन्कम बढ़ सके और हमारी स्टेट का ख्याल है कि इन्कम बढ़ाने का जो उनका सोर्स था उसे हम ले रहे हैं उनसे इसलिये उस रेन्ट से सात गुना मुआवजा, चाहे वह तीस इन्स्टालमेंट्स में हों, देने का प्रोविजन किया है। पर सिद्धान्त रूप से हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि हम जब आपके ओरीजिनल इन्टेन्शन को एग्जामिन करते हैं, जब कोवेनेन्ट को देखते हैं तो साफ तौर से जाहिर होता है कि रूलर्स की प्राइवेट प्रोपर्टी जरूर इसको माना गया, पर इसके पीछे मन्शा साफ यह थी कि इनको शान शौकत बनाये रखी जाय, पर आमदनियां बढ़ाने की गरज से वह कतई नहीं दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, तो जो प्रोपर्टी शान-शौकत और स्टेटस को बनाये रखने के लिये दी गई थी और इसके पीछे भारत सरकार को मंशा साफ थी कि आमदनियां नहीं बढ़ाई जावेंगी इनसे, आमदनी के रूप में, तो उनको प्रिवीपर्सेज दी जा रही हैं और उन प्रिवीपर्सेज के लिये फार्मूला भी है कि कितने लाख पर कितना पर्सन्टेज उनको दिया जावेगा। तो जो प्रोपर्टी प्रिवीपर्सेज देने के बाद उनको दी गई वह केवल उनकी शान-शौकत और स्टेटस बनाये रखने के लिये दी गई थी, तो मैं नहीं समझता कि उनके लिये आज कम्पेन्सेशन देने की क्या आवश्यकता सरकार को पड़ी।

माननीय उपमन्त्रीजी कह सकते हैं कि बहुत कम मुआवजा हमने उनको प्रोवाइड किया है। यह भी दलील वे देंगे कि सात गुना हमने उनको देना माना है, पर पिछले १३ सालों का लैंड रेवेन्यू भी कायम कर दिया है। १।४ कायम किया गया है यह रेंट तो १३ साल का हम लेंगे तो सवा तीन गुना रेंट तो ले ही लेंगे वापिस उनसे। तो हकीकत में तो ३।।। गुना ही उनको कम्पेंसेशन दिया जावेगा और वह भी तीस वर्षों में दिया जावेगा। तो इसके लिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक्स-रूलर्स अपना रेंट

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

तय कराने के लिये क्लेक्टर के सामने जायें और आपकी नीयत ३॥ गुना देने की है। पर इसका क्लेक्टर फैसला करें, फिर अगर वह रूलर्स को ठीक नहीं जचे तो अपील में जावें। तो इस सारे झगड़े में पड़ने की आपको आवश्यकता क्या है ? ३॥ गुना कम्पेन्सेशन ही देना चाहते हैं तो उसे साफ ३॥ ही कहिये न। २६ जनवरी, १९५० से लैंड रेवेन्यू वसूल करने की चक्कर की बात क्यों करते हैं ? यह आप करते हैं सिर्फ अपने आत्म-सन्तोष के लिये। इस प्रकार के प्रोवीजन को आप कैंसल करिये, उनसे साफ साफ कहिये कि हम तो ३॥ गुना देना चाहते हैं।

पर मेरी पार्टी तो, चूंकि बिना मुआवजा दिये संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार हम कुछ ले नहीं सकते और चूंकि कोर्ट्स को भी ऐसा अधिकार नहीं है, इसलिये हम ३॥ गुना तो देना नहीं चाहेंगे, सिर्फ एक गुना टोकन आप दे दें, या आधा गुना दे दें, ताकि संविधान के अनुच्छेदों की पूर्ति की जा सके। तो हमारी पार्टी यह चाहती है कि एक गुना या आधा गुना टोकन कम्पेन्सेशन देकर इन लैंड ओनर्स से जो इनके पास हजारों बीघा जमीन पड़ी है, वह उनसे ले ली जावे, एक्वायर कर ली जावे।

तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का कम्ब्रस (Combrous) प्रोवीजन जिसमें एक हाथ से देते हैं और दूसरे से ले रहे हैं, मैं स्ट्रोंग वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर कहना जरूर चाहूंगा कि यह काम आपका कानूनी बेईमानी का है। आप इसके द्वारा कानूनी बेईमानी पैदा करना चाहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से।

एक समाजवादी की हैसियत से मुझे इसमें भी ऐतराज नहीं कि बिना कम्पेन्सेशन दिये आप ले लें, पर कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया को देखते हुए, और ट्रीटीज आदि को देखते हुए उनको सेटिस्फाई करने की दृष्टि से सिर्फ टोकन के रूप में एक गुना या आधा गुना देने के हम पक्ष में हैं, आपकी तरह सात गुना देने के पक्ष में नहीं हैं। इसके साथ ही आप एक क्रूअल ला बनाने जा रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगान लगा कर। जब आपने उस वक्त लगान कायम नहीं किया तो अब लेना किस बात है ? कुछ तो फेयर प्ले होना चाहिये। लैंड रेवेन्यू आज तय करते हैं तो आज से लीजिये। १३ साल पहले क्यों लागू करते हैं ? कुछ तो फेयर प्ले होना चाहिये। कानून तो यह कहता है कि जो किराये पर नहीं दी जमीन, पर उसको भी आप किराये पर दी हुई मानेंगे और इस आधार पर लगान लेंगे तो यह लीगल कॉम्पलीकेशन आपने क्रिएट किया है। हम इसके हामी नहीं हैं और साफ कहना चाहते हैं कि इस तरह की चीज पैदा करने की आवश्यकता नहीं है।

एक डिस्क्रिमिनेशन भी आपने किया। १३ सालों तक आप उनसे समझौते करते रहे, आपकी सरकार में ये राजा लोग मौजूद भी हैं। मुझे याद है, आपने इसके आधार पर ही गत चुनावों में बीकानेर के महाराजा के खिलाफ अपना केन्डीडेट भी खड़ा नहीं किया। तो ये सारे उदाहरण हैं। एक समझौता आप में चल रहा था। अब १३ साल बाद आप गलती करना चाहते हैं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि कि यह आपका फेयर प्ले नहीं है। फेअर प्ले यह है, मैं समाजवाद और प्रगतिशीलता की बात कहना चाहता हूँ कि आप एक गुना और आधा गुना उनको दे दीजिये कम्पेन्सेशन, जो

Page No 57

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कॉन्स्टीट्यूशन की पूर्ति कर दे। यदि कॉन्स्टीट्यूशन की बाधा न हो तो मेरी पार्टी तो मांग करती है कि बिना कम्पेन्सेशन के एक्वायर कर लिया जावे। हमने ये हजारों बीघा जमीनें आज तक उनको भोगने को दीं, उनका शौक और स्टेटस बढ़ाने को दीं, उनमे कोई आमदनी करने के लिये नहीं दीं, आमदनी के लिये तो हमने उनको भारी-भारी प्रिवी पर्सेज़ दी हैं, लोगों पर आज भी उनकी प्रिवी पर्सेज़ का भार कम नहीं हुआ है, देश के ७०० के लगभग एक्स-रूलर्स को ५,८० लाख रुपया हर साल सरकार दे रही है। मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान की उस गरीब जनता पर जिसकी औसत आमदनी दैनिक चार आना है और जिस पर आज भी प्रिवी पर्स के रूप में ५,८० लाख का बोझा पड़ा हुआ है, और कोई बोझा पड़े और ये एक्स-रूलर्स इस बात की मांग करें कि हमको इस शौक और स्टेटस बनाये रखने के लिये जो जमीनें दी गई थीं उनका भी कम्पेन्सेशन दिया जावे या एक्वायर न किया जावे।

मैं तो विरोधी दल के नेता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको, एक्स-रूलर्स होते हुए भी, विचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तान की एकोनोमी में आज की हालत में हम एक्स-रूलर्स को कितना कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है, हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी हो, एक्स-रूलर्स हों या कोई साधारण लोग हों, कोई भी हों, अपनी मेहनत से मजदूरी से और काम की योग्यता से देश को फायदा दें, स्वयं मेहनत करें, मजदूरी करें और अपनी मेहनत और योग्यता का लाभ स्वयं लें और देश को दें, और अगर वह मेहनत नहीं कर सकता है तो जो प्रिवीपर्स की एक्स-रूलर्स को इन्कम है उस पर बैठा रहे और उनसे अपना काम चलाता रहे। काबलियत है उनमें तो वे शासन करें, राज चलावें, कांग्रेस में रहकर वे राज्य चलाते हैं या आगे भी चलावें तो हमें तो इसमें भी ऐतराज नहीं है। पर अधिक लेने की जद्दो-जहद करना, कम्पेन्सेशन जमीनों के लिये कम है तो उसको बढ़ाया जावे, तो इस तरह से सरकार को परेशान करना वाजिब नहीं है, न आपकी यह दलील चलने वाली है, न इस समाजवादी राज्य में इसके लिये कोई जस्टिफिकेशन है।

स्वतन्त्र पार्टी के नेता के आधार पर भी विचार करेंगे इस पर, तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि अमेरिका में भी इस तरह की प्रिविलेज क्लास नहीं है जिसको स्टेट के फण्ड से करोड़ों रूपया मुफ्त में, घर बैठे मिल जाता है।

इसलिये निवेदन करूंगा कि जो सात गुना भी प्रोवीजन सरकार ने रखा है हम उसके विरुद्ध हैं। हम मांग करते है कि यह एक गुना या आधा गुना टोकन के रूप में दिया जाय और कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूँ जो आपने २६ जनवरी, १६५० से लगान लेने का प्रोवीज़न रखा है, कानून बनाया है, वह प्रोवीज़न रखा जाय। हो सकता है हाई कोर्ट कहता हो कि यह लॉफुल है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रोवीज़न बहुत ही गलत है, फेयर प्ले के अनुसार नहीं है। फिर आप जो कम्पेंसेशन को अपने ढंग से ७॥ गुना पर ले जाना चाहते हैं यह ढंग भी गलत है, इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सेक्शन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

८ में यह प्रोवीजन रखा है कि जिस दिन आप एक्वायर करेंगे उस दिन उस जमीन पर राइट्स, टाइटल ऑफ इन्टरेस्ट जिस किसी में भी वेस्ट होंगे या किसी और जरिये से किसी भी दूसरे व्यक्ति को वे मिले होंगे तो वे सारे के सारे राइट्स, टाइटल और इन्टरेस्ट समाप्त हो जावेंगे और वह प्रोपरटी फ्री फ्रोम ऑल एन्कम्ब्रेन्सेज़ (eucumbrances), सब तरह के चेलेन्जेज से बरी होकर स्टेट में वेस्ट [vest] होगी। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा और उप-मन्त्रीजी से इस बारे में कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोवीजन पर विचार करें कि यह कहां तक उचित है। जो राइट्स, टाइटल या इन्टरेस्ट इन पिछले १३ वर्षों की अवधि में सेल के जरिये या गिफ्ट के जरिये या दूसरे ट्रान्सफर के जरिये किसी दूसरे को मिल चुके हैं और जिनको मैलाफाइडो घोषित नहीं किया गया है उन ट्रान्सफर्स के जरिये ये इन्टरेस्ट उन लोगों के हो चुके, वे इन्टरेस्ट आप उनके किसलिये समाप्त करना चाहते हैं? इस बिल में आप यह प्रोवीजन डाल सकते हैं कि यदि इस बिल के आने के दौरान में या इस बिल के प्रोवीजन्स को नलीफाई करने के दृष्टिकोण से कोई भी ट्रान्सफर किया गया है तो वह रद्द समझा जावेगा और ऐसा ट्रान्सफर लीगल्ली हुआ नहीं माना जावेगा, लेकिन आपका सिर्फ एक जनरल प्रोवीजन के रूप में यह कहना कि जिस दिन आप इस प्रोपर्टी को एक्वायर करेंगे उससे १३ साल पीछे के जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं और उस कारण से कोई भी दूसरा आदमी उस जमीन पर काबिज है तो उनके सारे टाइटल, राइट्स और इन्टरेस्ट्स समाप्त हुए समझे जायेंगे और प्रोपर्टी स्टेट में वेस्ट समझी जायेगी, मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। सिर्फ वही प्रापर्टी वेस्ट कर सकते हैं जो कि लैण्ड ओनर्स के कब्जे में है और जो प्रोपर्टी कब्जे में नहीं है उस प्रोपर्टी को भी अपने में स्टेट कैसे वेस्ट करेगी जब तक कि मालिक जमीन उसको बेच न दे या ट्रान्सफर न कर दे।

इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि इस बिल मे जो क्लॉज ८ के प्रोवीजन्स हैं उचित नहीं हैं, जिससे बीसियों तरह के कॉम्प्लीकेशन्स खड़े होंगे इसके साथ ही यह निवेदन है कि यदि सेक्शन ८ के प्रोवीजन्स को कायम रखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन यह है और आपकी यह दलील हो कि इस प्रोवीजन को, राजस्व आय को कायम रखने के लिए मेन्टेन करना जरूरी है तो आप जागीरदारी और जमींदारी एक्ट में भी इसी तरह का प्रोवीजन डालने का कष्ट करें, क्योंकि यदि राज्य को राजस्व आय का प्रश्न ही तो हमारे सामने नहीं होना चाहिए, और भी हजारों ट्रांसफर्स जो मेलाफाइडी या बोनाफाइडी किसी तरह से भी किये हों, आपके रूल्स ने एक चक्करदार मान्यता प्रदान कर दी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लैंड ओनर और जमींदार में किसी तरह का डिफरेन्स करेंगे जब कि दोनों खातेदार टोनेन्ट की परिभाषा में आ गये हैं तो वह भी उचित नहीं होगा; जिस तरह का व्यवहार आप जमींदारों के साथ करना चाहते हैं, हालांकि उसकी जमीन आपमें वेस्ट हो गयी है तो उसी को ध्यान में रखकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आप लैंड ओनर और जमींदार दोनों में दो तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए दोनों प्रोवीजन्स को एग्जामिन करके दोनों को बराबर लाने की कोशिश करें और इस निवेदन के साथ मैं यह अन्त में निवेदन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करते हुए कहूँगा कि यह जो कम्पेन्सेशन दिया है यह बहुत ज्यादा है और बहुत भारी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप यह कह सकते हैं कि ३० साल बाद देंगे और धीरे धीरे देंगे। लेकिन धीरे धीरे देने की दलील का मैं कोई फोर्स नहीं समझता हूँ क्योंकि ३० साल बाद न तो आपकी सरकार ही रहेगी और न सरकार में आप रहेंगे। क्या होगा, क्या नहीं, यह भविष्य की बात है। आप सिर्फ एक गुना कम्पेन्सेशन देकर उनको घर बिठा दीजिए।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर जो प्रवर समिति बनी उस प्रवर समिति का सदस्य होने का सौभाग्य मुझे मिला। इस प्रवर समिति में इस विधेयक के ऊपर विचार-विमर्श हुआ और उसमें जिस भावना के साथ इस विधेयक के ऊपर विचार होना चाहिए था, मैंने यह अनुभव किया कि वहां वह भावना नहीं थी; बल्कि केवल एक भावना थी कि कुछ राजाओं की जमीन के लिए जो कानून आया उसको पास करना है बल्कि उसको और कड़ा करने के लिए जो संशोधन हो सकें वे कर दिये जायें।

श्रीश्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आप जरा गैरहाजिर थे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : नहीं। मैं आपके सामने यह बतला देता हूँ कि किसी विधेयक को पास करने के लिए हम सदस्यों का एक कर्त्तव्य है कि विधेयक कानून बनाया जा सकता है या नहीं और कानूनी दृष्टि से इस लेजिस्लेचर के जरिये उसका प्रावधान रखा जा सकता है या नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस विधेयक के अन्दर यद्यपि कुछ दृष्टिकोण से यह प्रतिगामी माना कि कुछ लोग केवल इसलिए इसका समर्थन करें कि इसमें एक मूलभूत दृष्टिकोण निहित है कि राजाओं की जमीनों को या जागीरदारों की जमीनों को या जो उनकी पर्सनल प्रोपर्टी है उसको भी हम हथिया रहे हैं। मैं बतलाता हूँ कि मेरी आपत्ति मेरे नोट ऑफ डिसेन्ट में अधिकांशतया इस विषय पर है कि आपने इस बिल को लाने के अन्दर अपने अधिकारों को, अपनी कानूनी समस्याओं को नहीं सुलझाया और न अपने उसके ऊपर विचार किया। आज आपने जो लैंड ऑनर की डेफीनिशन दी है उसके अन्दर आपने, अपनी लैंड ऑनर की डेफीनिशन के अन्दर, साफ तौर से यह लिखा है :—

"'landowner' means the Ruler of a Covenanting State in Rajasthan holding an estate under and in accordance with the settlement of his personal or private properties made in pursuance of the Covenant and finally approved by the Central Government."

आज इस विधान सभा को अपनी कॉम्पीटेन्स, अपने अधिकारों पर यह विचार करना है कि जब आप डेफीनिशन के अन्दर, अपने विधेयक के अन्दर यह कह कर आते हैं कि कोवेनन्टिंग स्टेटस और उनके सेन्ट्रल गवर्नमेंट से करार हुए हैं, उसके विषय में आप कानून बना रहे हैं तो आपको अपनी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में या अपने रीजन्स के अन्दर यह बताने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अभाव मुझे इसमें मालूम पड़ता है कि इस लेजिस्लेचर की कॉम्पीटेन्स कैसे है; यह प्रश्न हमारे सामने है। इसके लिए कहा जा सकता है कि १९५० के अन्दर व्हाइट पेपर निकला था, उस व्हाइट पेपर के

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

आधार पर लेजिस्लर को कॉमन लाज से रेगुलेट करने का प्रावधान है रूलर्स के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि कॉमन लाज से रेगुलेट करने का मतलब दूसरा है। बल्कि इस व्हाइट पेपर का मतलब यह नहीं हो सकता कि जो कॉवेनेन्टिंग स्टेट्स के कॉन्ट्रेक्ट्स हैं उनको आप वापिस हथिया लें।

आपने तीन चीजें रखी हैं और तीनों चीजों को मिगल करके कोई विधेयक ला सकते हैं या नहीं, यह लेजिस्लेचर पास कर सकती है या नहीं, यह विचाराधीन है। इसमें पहला प्रावधान रखा है :

'Assessment and realisation of land revenue from landowners.'

दूसरा है :

"Confirment of khatedari rights to the tenants"

तीसरा है :

"acquisition of estates by payment of compensation."

और चौथा जो प्रवर समिति ने आपके सामने अमेण्ड करके रखा है वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का है २६ जनवरी, १६५० से। इन चारों प्रावधानों को मिगल करके एक व्हाइट पेपर की दलील देकर कोई विधेयक बनाना चाहते हैं तो यह वैधानिक भी है या नहीं, इस पर विचार करना होगा। शायद दलील यह दी जाये कि हमने एडवोकेट जनरल को बुलाकर राय ली थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो यह ऑब्जेक्शन प्रवर समिति में भी रखा गया था और वहां भी रखा कि जब कि "कॉवेनेन्टिंग" की डेफीनिशन यह दे रहे हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट और एक्स रूलर्स के अन्दर कोई करार है तो आप इसके अन्दर कॉम्पीटेंट हैं या नहीं, इसके लिए कोई दलील दीजिए। हो सकता है कुछ डिस्कशन हुए हों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आई उसमें एक संकेत इस बात का नहीं दिया कि एडवोकेट जनरल ने कॉम्पीटेन्सी ऑफ दी लेजिस्लेचर के ऊपर क्या कहा है। आज हम यह दुहाई दें कि वह एडवोकेट जनरल की राय है तो मैं यह कहूँगा कि एडवोकेट जनरल की राय इस तरह की है इसमें कोई नजर नहीं आती कि उन्होंने कॉम्पीटेन्सी के ऊपर क्या राय दी और उसका खण्डन भी किसी रूप से हो सकता है तो उसके लिए कौन पाबन्द है। मैं आपके समर्थन के अन्दर बतलाऊं कि इसी तरह का प्रश्न..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर): Does the Hon'ble Member suggest that the Advocate General did not give any advice.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : I may submit that when the Advocate General submitted his advice, I was not persent.

मेरा ऑब्जेक्शन तो यह था कि सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें मूलभूत जो ऑब्जेक्शन था उसके विषय में एक लाइन या एक वर्ड भी नहीं लिखा गया है। डेफिनिशन का जनरली यह अर्थ था कि इस सदन को इस बात का कानून पास करने का अधिकार है। यह एक आवश्यक विषय था जिसके ऊपर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर चेयरमैन साहब के द्वारा उसका रेफरेन्स दिया जाना

(श्री मथुरेश.बिहारी माथुर)

चाहिए था और हो सकता है कि यह उनकी प्रोसीडिंगज़ में हो, हो सकता है कि उनके माइन्ड में हो, हो सकता है कि वे अपने जवाब के अन्दर कोई बात ऐसी बतलायें जिसके लिए हम आपके सामने बाद में जवाब दें, लेकिन आज हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और इस खास चीज़ को इसके अन्दर छिपाया गया है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूं कि यह यहां पहली मर्तबा हो आ रहा हो, यह प्रश्न राजस्थान विधान सभा में ही पहली बार उठा हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उड़िसा के रूलर्स के तहत में इसी किस्म का पर्सनल प्रोपर्टी का प्रश्न उठा था कि लैंएड रेवेन्यू ले सकते हैं या नहीं। यह प्रश्न वहां की हाई कोर्ट के सामने आया और १९६१ में वहां की आनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात के ऊपर विचार करके निर्णय दिया, और उन्होंने इस व्यू को माना कि अगर लैंएड लॉर्ड के रूप में, सुप्रीम लैंएड लॉएर्ड के रूप में, राज्य की प्रोवीन्शियल गवर्नमेंट उनसे रेन्ट ले सकती है जिस तरह से कि दूसरे काश्तकारों से ले सकती है, तो ले सकती है, लेकिन उसमें यह प्रश्न नहीं आया कि उनकी पर्सनल प्रोपर्टीज़ को आप दूसरे विधेयक में, एक ही विधेयक के एक सेक्शन में तो लिखते हैं कि लैंएड रेवेन्यू लेंगे और दूसरे नेक्स्ट क्लाज़ में कहते हैं कि हम काश्तकारों को खातेदारी देंगे। दोनों को एक दूसरे से मिगल करते हैं कि हम इसको एक्वायर करेंगे। एक चीज में किसी आधार को लेकर, १९५० के व्हाइट पेपर को आधार लेकर बनाते हैं तो उसी तक सीमित रहें। आप उड़िसा के डिसीजन को आधार बनाते हैं तो वहां तक सीमित रहें। यह प्रश्न इस बात के लिए साफ है। यह जो आप मिगल करते है कि एक विधेयक को एक रूप देकर, एक अच्छी बात किसी को बनाकर आप आज इसी सदन में इसको पास कराने का प्रयास करते हैं, यह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भी इस पर विचार हुआ है, आर्टिकल ३६३ के लिए.... ..

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : कौन सा ?

श्री मुथरेशबिहारी माथुर : अभी बताता हूं। मैं राय भी पढ़कर सुनाता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Citation ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : १९५८ सुप्रीम कोर्ट, पेज २:६ और पेज ८१६ दोनों सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ हैं, और इन व्यूज़ के अन्दर जिस प्रश्न के ऊपर यह विचार किया गया इसमें यह साफ किया गया है कि आर्टीकल ३६३ जिसमें कि यूज़ और एन्डॉयमेंट ऑफ दी रुल्स को किया है वह इसमें आता नहीं इन फेक्ट्स के अन्दर, इसलिए यह चीज़ उस तरह से फैसल की। लेकिन इसमें यह साफ तय किया गया है कि ओनरशिप ऑफ दी पर्सनल प्रोपर्टी इसमें नहीं है इसलिए हम ऐसा तय करते हैं। मैं इस रूलिंग का आधार देते हुए यह बतलाऊंगा कि इस रूलिंग के अन्दर प्रश्न तय किया गया है जिसके लिए आर्टीकल ३६३ ऑफ दी कांस्टीटयुशन में जो कुछ आया है उसमें सुप्रीम को व्यू के मुताबिक आप उनकी ओनरशिप में मदाखलत करने के लिए इन्टरफियर करने के लिए या उन कांट्रेक्टिंग पार्टीज में जो कॉन्ट्रेक्ट हुए हैं, सोलेम प्रोमिसेज

Page No 62

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(solemn promies) हुए हैं, उनको ब्रीच करने के लिए जो जा रहे हैं, उनका आधार कहीं नहीं है। सिर्फ यह आधार मिलता है कि आप लैंड रेवेन्यू ले सकते हैं, आप कॉमन लॉज़ के मुताबिक अपना लगान ले सकते हैं। यह तो आधार मिलता है। लेकिन आप उसका अलग कानून बताकर ज़ब्त करना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं, यह चीज़ आपके सामने नहीं है। इसके लिए हमें मूलभूत यह विचार करना है कि आज जिस संविधान में हम किन्हीं पार्टीज़ के सॉलेम कॉन्ट्रैक्ट्स का मान्यता देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि जनरल है उसमें भी दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के लिए यह है कि जिस दिन यह विधान सभा बनी है, जिस दिन यह एक राज्य बना तो जिस ऑथोरिटी ने जिस विधान के तहत उससे मुआहिदा किया है, तो क्या उसको यह लेजिस्लेचर तोड़ सकती है कोई एक कानून को बनाकर ? यह बात विचारणीय चीज है। आपके सामने केवल व्हाइट पेपर के तहत एक जगह टीनेन्सी लॉज़ को कर देने से जो दूसरे प्रोविज़न्स हैं उनको नहीं ले सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। सदन के समक्ष मेरी यह दलील है।

इसके साथ-साथ मैं आपके सामने यह भी प्रश्न रखूंगा कि आपके सामने लैंड एक्वीज़िशन एक्ट मौजूद है। टीनेंसी एक्ट को तो आप व्हाइट पेपर के आधार पर यह मानते हैं कि टीनेंसी के कानून को हम इस पर लागू करके लगान ले सकते हैं। वहां तो टीनेंसी एक्ट को एप्लाई करते हैं। उसके आधार पर आप लेने की अपनी दलील रखते हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू एक्वीज़िशन एक्ट को फिर भूल जाते हैं, यानी यही आपकी मान्यता है कि आप एक टीनेंसी एक्ट को एप्लाई करके उनसे लैंड रेवेन्यू ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत में सुभीता कर सकते हैं ? अगर आपकी यह दलील है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वह क्यों नहीं किया गया ? संभवतः लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के अन्दर आपको पब्लिक युटिलिटी का आधार देना पड़े, क्योंकि पब्लिक युटिलिटी के बगैर आप किसी चीज़ को एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन इस एक्ट के अन्दर आपने एप्लाई किया तो आपने उसमें कहीं ये लफ्ज़ नहीं लिखे जिसको सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग ने तय किया है कि पब्लिक युटिलिटी क्या है। किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए कानून के आधार पर आपको पब्लिक युटिलिटी और पब्लिक पर्पज़ बतलाना पड़ेगा, लेकिन उसको आपने संभवतः जान बूझकर उड़ाया है, और आपने तो केवल एक भावना से प्रेरित होकर, मेरे विचार में तो एक चीज़ है कि एक सेक्शन है जो कि ऊधम मचाता रहता है इसलिए उनकी चीज को लेने के लिए कानून बना दें, वर्ना उन आधारों का कहीं काम नहीं और न लिखा है जैसा कि आपने इस चीज़ के लिए लिखा है। एक चीज मुझे यह मिलती है कि "एस्टेट" और "लैंड-ओनर" की डेफिनिशन देने के लिए तो सेक्शन १ इनकॉरपोरेट किया है। इस एक्ट के तहत टीनेन्सी एक्ट की धारा डेफिनेशन की, और लैंड रेवेन्यू की डेफिनिशन की धारा में आपने एमेंडमेन्ट करने का प्रावधान रखा है। मैं नहीं समझ सकता और आशा करता हूँ कि इसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। उस एक्ट के तहत में तो एमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन एक एक्ट में दूसरे एक्ट के तहत में एमेंडमेंट किया जाय और वह उस पर लागू है, और वह केवल डेफिनिशन पर लागू हो और

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

वह भी केवल दो डेफिनिशन्स पर लागू हो और अन्य प्रावधानों पर वह लागू नहीं हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। आपके सामने अगर टीनेन्सी एक्ट को एप्लाई करना था इस एक्ट के अन्दर तो सारे प्रावधान करने चाहिए और एक-दो चीजों को डिफाइन करके एमेंडमेंट करते हैं और कुछ चीजों में एमेंडमेंट नहीं करते हैं। 'एस्टेट' और 'लैंड-ओनर' की जो डेफिनिशन हैं उसके तहत जो संशोधन किया गया है वह कानून की दृष्टि से सही नहीं है।

इसके बाद एक्वीजिशन के लिए जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया था, आपत्ति की थी, कि एक्वीजिशन के लिए जिस तरह के प्रावधान रखे हैं उनमें कहीं पब्लिक युटिलिटी या पब्लिक पर्पज जैसा कि मैंने आपसे कहा वह तो रखा ही नहीं, बल्कि उसके तहत में आपने कहीं यह भी नहीं रखा कि कम्पेन्सेशन देने का आधार क्या हो मार्केट वेल्यू हो कि और कुछ? और उसके लिए क्या प्रावधान है, यह कुछ नहीं है, बल्कि उसके लिये गोल है और उस ऑथोरिटी पर आपने छोड़ दिया है और उसमें बतलाया है कि अन्डर दी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के आधार पर करेंगे। नेक्स्ट में आप कोई आधार देते हे कि उसके तहत में गवर्नमेंट करने के लिए सब्सीक्वेन्ट-वे में रूल्स तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें उन आधारों को कायम रखने के लिए रूलर्स का प्रावधान प्रेस-क्राइब्ड-वे के अन्दर तय करेंगे, ऐसा भी सेक्शन ७ व ८ के अन्दर नहीं लिखा है। तो मैं यह कहूंगा कि कम्पेन्सेशन देने का ढंग कहीं पर डिफाइन करना चाहते हैं, वह भी सही नहीं है।

(६.३० म प.)

इसके साथ ही साथ एक चीज आपके लिये विचारणीय यह भी है कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिये किस तरीके से आपने इसके अन्दर काम किया है। कई चीजें तो ऐसी लगती हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कानून को अच्छा दिखाने के लिये पास भी कर दें और उसमें कामियें भी ऐसी लगा देते हैं कि वर्षों तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे नेशनलाइजेशन का कानून बनाया, जान-बूझ कर उसमें ऐसी कामियें रखीं, नोटिस वगैरह की, जिनके कारण हाई कोर्ट में गये, गवर्नमेंट के रुपये खर्च हुये...

एक माननीय सदस्य : यह तो आपके हक में है ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं हक के तौर पर नहीं कर रहा हूं। एक सदस्य होने के नाते, कानून के नाते, अपने नोट ऑफ डिसेन्ट पर बोल रहा हूँ। आप अपनी भावनाओं के तौर पर बोलें, यह आपको शोभा दे सकता है। मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। उससे प्रेरित होकर अपने विचार रख रहा हूँ। भावनाओं से प्रेरित होकर आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं।

आपके सामने दूसरी चीज रखी गई है एक्वीजिशन की, जिसे आप २६ जनवरी, सन् १९५० से लागू कर रहे हैं। इस विधेयक के प्रेमोटर्स ने इस बात को पसन्द नहीं किया कि जिस दिन पास कर रहे है उस दिन से लागू किया जाय। १३ वर्ष तक खामोशी रखने की गलती को महसूस करते हुए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का प्रावधान रखा है। यह जनरल लॉ है कि जिस दिन कानून पास हो उस

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

दिन से काम में आये, यही रूप इसमें लाना चाहिये था लेकिन भा नाओं से प्रेरित होकर १३ वर्ष पूर्व से इसे लागू करने का प्रावधान रख दिया। इस कानून से प्रभावित लोगों को विक्टीमाइज़ करने की दृष्टि से ऐसा किया गया। इससे ज्यादा अच्छा टीनेन्सी एक्ट था, उसको आपने पुरानी कोवेनेन्टिंग स्टेट्स थीं उस टाइम से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया। जो एग्रेरियन रिफोर्म्स जनता के हित में किये उनको आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया। जागीर रिजम्पशन एक्ट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया, लेकिन आज इस कानून को पास करने के लिये १३ वर्ष पूर्व से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते है, तो यह भावनाओं से प्रेरित होकर ही ऐसा किया है: यह मेरी मान्यता है।

इसके साथ साथ इसमें वैधानिक दृष्टिकोण भी है। वह यह है कि आपके इस तरह के कानून से आपको अड़चनें हो सकती हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ ट्रान्सफर्स हो चुकी हैं, आपने उन पर विचार नहीं किया कुछ एन्ट्रीज हो चुकी है उन बातों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर जिन चीजों को नहीं लेने के लिये आप सप्लूलर्स निकाल चुके हैं उस फैसले में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का हवाला दिया हुआ हैं; "Rights and privileges of the Rulers will not be disturbed." इस तरह के सेन्टर और होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन्स हैं, जिनको उड़ीसा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाइड मान लिया है। है। एक तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पार्टी है और दूसरी तरफ रूलर्स पार्टी हैं। उसमें हवाला दिया था कि किस कंसीडे्शन से हमने चीज ली है। आज भी कहते हैं कोर्ट में प्रोविजन लाना चाहते है, सीलिंग के प्रोविजन से इस तरह का प्रोमिस ब्रेक करना चाहते हैं जिससे ओनरशिप ब्रेक हो। लैंड रेवेन्यू एक्ट में, अमेन्डमेन्ट करके ला सकते हैं तो लाइये, लेकिन आप इस तरह का प्रावधान करके प्रोमिसेज़ को तोड़ रहे हैं या ब्रीच कर रहे हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरा ही ओब्जेक्शन नहीं है बल्कि यह कानून का ओब्जेक्शन है जो मैंने प्रवर समिति के सामने रखा, बल्कि मेरे इस ऑब्जेक्शन की पुष्टि १७ वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेन्ट में हो रहा है वह भी करता है। इसलिये मैं आपके इस प्रावधान को प्रीमेच्योर (Premature) मानता हूं। १७ वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन का पेश हुआ है पार्लियामेन्ट में, उसमें स्टेट्स को अधिकार दिया है कि वे किसी जमीन को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते है। तो सेन्टर ने जिस चीज के लिये आज विचार किया है, संशोधन आया है, संशोधन पास नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की आवश्यकता समझी गई है। लेकिन इसमें लीगल कॉम्पलीकेशन भी है कि स्टेट्स को अधिकार है या नहीं, चाहे स्टेट सब्जेक्ट है आपने सेन्टर से एक माइन ली है या किसी आदमी ने एक माइन ली और सेन्टर उसमें से रोड बनाता है और आप अपने अधिकारों को तोड़ते हैं, यह कहेंगे कि हमारी विधान सभा या लेजिस्लेचर इन अधिकारों को ब्रीच करे ऐसा कानून नहीं बनायेगा। यह हो सकता है कि आप उनको रेगुलेट कर दें, लेकिन आप उनको खत्म कर दें या ओनरशिप के राइट को खत्म कर दें, यह नहीं हो सकता। जो माइन सेन्टर से ली है उसको आप खत्म कर सकें, एसा मेरी मान्यता के अनुसार नहीं हो सकता। संविधान के

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

अंदर जिसकी चर्चा है उसको लाये हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट को यह अधिकार दिया जाय। १७ वें संशोधन के अंतर्गत जब तक यह अधिकार स्टेट्स को नहीं मिलता उससे पहले आप यह कानून पास करते हैं तो मेरे विचार से यह सही नहीं है। इससे आप वैधानिक अड़चन इन्वाइट करेंगे, लीगल कॉम्प्लीकेशन्स होंगे, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन्स होंगी। हमने देखा है कि पिछली रिट पिटीशन्स में गवर्नमेन्ट के लाखों रुपये केवल पैरवी करने के लिये खर्च हुए हैं। आप इससे बचने के लिये इस बात पर विचार करें।

इस विधेयक पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको आँपोज करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड एक्वीजिशन आफ लैंड ओनर्स एस्टेट बिल १९६३ सदन में विचारार्थ है। राज्य संचालन करने वाले यह चाहते हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय और इस बिल को पेश करने से पहले जैसा कि हर कानून में प्रिएम्बल दिया जाता है और उसमें कानून की विशेषताएं बताते हैं और यह बताते हैं कि जनता में सद्भावना के साथ कानून को ला रहे हैं, आज इस कानून को लाने में हमारी भावनायें यह हैं कि इस कानून के द्वारा सरकार भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्त करना चाहती है, कुछ भूमि-सुधार करना चाहते हैं और इनके परिणाम स्वरूप कतिपय अन्य अधिनियमों में संशोधन करना चाहते हैं, ये तीन बातें बताई। इन बातों को लेकर यह कानून पास करना चाहते हैं। जहां तक नियमों के रूप में संशोधन चाहते हैं और लैंड ओनर्स के एस्टेट्स की एक्विजिशन करना चाहते हैं, जैसा कि प्रिएम्बल है, उसमें शब्द "एक्विजिशन" है उस पर विचार करना चाहिये।

एक्विजिशन इस बात का द्योतक है और पूर्ण प्रकाश डालता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति लेना चाहते हैं तो उस पर किसी प्रकार के नियम या कानून इम्पोज करना चाहते हैं, सम्पत्ति पर अधिकार दूसरे का है; लेकिन कुछ आवश्यक कारणों से हम अवाप्त करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। ये भावनायें हैं तो शब्द को नहीं भूलना चाहिये। लेकिन अवाप्त करने से पहले मूलभूत सिद्धान्त या फंडामेंटल राइट्स हैं जो कांस्टीट्यूशन के द्वारा हर सिटिजन को गारन्टी दी है उस पर विचार नहीं करते हैं और मूलभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल कानून बनाते हैं तो उससे न्याय नहीं होगा, इस पर विचार करना चाहिये। जैसा अभीपूर्व वक्ता बता रहे थे यदि इस प्रकार की कमियें कानून में रखी जाती हैं तो यह शोभनीय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कानून बनाने से पहले इस प्रकार की भावना रखी जाती है कि एक तबके का शोषण किया जाय और इस भावना को लेकर किसी कानून का निर्माण करते हैं? इस भावना को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि जिन भावनाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि जिन भावनाओं को लेकर प्रजातन्त्र में शोषण का प्रश्न रहे ये भावनायें दूर होनी चाहिये। जो 'बहुजन सुखाय बहुजन हिताय' हो, यदि ये भावनायें नहीं होती हैं तो वे जनता के लिये अच्छी नहीं मानी जातीं। यह बड़े शर्म का विषय है। यह गर्व करने की बात नहीं है, शर्म करने की बात है। इसे हम

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

गर्व से नहीं कह सकते। जहां तक इस एक्वि-जीशन का सवाल है तो उसके लिए कौनसा इस प्रीएम्बल में प्रोवीजन रखा गया है। कोई पब्लिक पर्पज़ है, कोई बहुत से जनता के हित के लिये हमें इस सम्पत्ति की आवश्यकता है और इस कारण हम इस संपत्ति को लेंगे? राजस्थान में जहां कि रूलर्स की एस्टेट्स एक्वायर का सवाल है, आप अंगुलियों पर गिनती कर करने सकते हैं। कितने रूलर्स होंगे और कितने रूलर्स की प्रोपर्टी को आपने लिया है? उनकी प्रोपर्टी लेने के बाद में उस प्रोपर्टी से कितनी जनता का आप हित कर सके हैं, इसकी गिनती करना चाहेंगे तो यह एक मसला होगा। जो स्टाफ, जो खर्चा और बहुत सी बातें आपको इस संपत्ति की अवाप्ति करने में और उसके बाद वितरण करने में जो व्यय करना पड़ेगा अगर उसके आंकड़े लगाने की कोशिश करेंगे तो संपत्ति करोड़ों, लाखों रुपये की हो जायगी। मैं जानता हूँ कि राज्य सरकार किस प्रकार से शासन संचालन करती है। बड़े अफसरों की नियुक्तियां करनी पड़ती है। हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। लेकिन यदि उस पर विचार करें तो भ्रष्टाचार नीचे से या बीच से उत्पन्न नहीं होता बल्कि चोटी से नीचे आता है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये हो सकते हैं तो ये चोटी के नेता हो सकते हैं, टोप रैंकिंग मिनिस्टर्स हो सकते हैं। यदि उनके अन्दर सद्भावना आ जायेगी तो निस्संदेह भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मेरी अपनी मान्यता इस प्रकार की है कि भ्रष्टाचारको जन्म देने वाले ये मिनिस्टर्स लोग हैं। ये टोप-रैंकिंग नेता हैं जो भ्रष्टाचार को पनपाते हैं।

तो ये लोग आज सदन को बतायें कि किस पब्लिक पर्पज के लिये, किस प्रोपर्टी के लिये जाने का सवाल पैदा होता है, जहां हमने पूर्व कानूनों में परिवर्तन रखे और उन परिवर्तनों के आधार पर एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उपभोग करने का पूरा अधिकार दिया, तो कौनसा ऐसा कारण हो जाता है कि यदि कोई राजा या रूलर अपनी भूमि को अपने खुदकाश्त में रखता है तो ऐसी कौनसी आपत्ति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण उस भूमि को लेकर हम उसके सामने विभिन्न बाधाएं उपस्थित करना चाहते हैं? मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक आप निस्संदेह रूप से यह स्पष्ट नहीं करते कि पब्लिक पर्पज़ के लिये सम्पत्ति का क्या मतलब है, तब तक एक्वीज़िशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जहां इस प्रकार का कानून बनाकर आप आसानी से कानून का रूप दे देते हैं, संपत्ति अवाप्त करना चाहेंगे, लेकिन जब तक वैधानिक दिक्कतें आपके सामने आयेंगी, तो मेरा मतलब है कि आप ऐसे कानून की चेष्टा क्यों कर रहे हैं कि जिस कानून में बहुत सी अड़चनें हैं, आपत्तियां हैं।

आपका कानून निर्दोष नहीं हो सकता, यह प्रमाणित बात है। मैं आपको बताऊं, आपने राजस्थान टीनेंसी एक्ट बनाया, उसके प्रीएम्बल में आपने यह बताया कि राजस्थान की विभिन्न स्टेट्स के अन्दर कई प्रकार के टीनेंसी कानून चल रहे हैं उनको कंसालीडेटेड करने के लिये हम कंसोलिडेटेड रूप में नया कानून राजस्थान टीनेंसी एक्ट बना रहे हैं। १५ अक्टूबर, १६५५ में यह कानून फोर्समें आया और १५ अक्टूबर, १६५५ से लेकर आज १६६३ तक ले लीजिये। यह स्वयं सिद्ध बात है कि १६ से ज्यादा तरमीमें

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आप इस कानून में कर चुके हैं। आप सदन में कानून पास करते हैं, उसके दस दिन बाद ही आपको तरमीम करने की जरूरत होती है। इस प्रकार का कानून बनाकर आप चलते हैं।

आप इस अधिकार के साथ नहीं कह सकते कि जो कानून आप बनाते हैं वह निर्दोष है। आपने एक कानून बनाया, उसमें १९ तरमीमें कर चुके हैं, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हैं; जिन्होंने कानून बनाया वे संतुष्ट नहीं हैं, जिन पर लाद रहे हैं वे संतुष्ट नहीं हैं, तो बताइये यह किस आधार पर कह सकते हैं कि आपमें कानून बनाने की क्षमता है।

मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो अपना नोट ऑफ डिसेंट वर्तमान कानून में दिया है उसका भी कोई मूलभूत कारण है। आप भूमि के सुधार के प्रश्न को लेकर यह कानून बनाने जा रहे हैं। अब आपको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि भूमि में सुधार करने के दृष्टिकोण से आपने रेवेन्यू लॉज़ कमीशन की स्थापना की, राजस्थान सरकार की ओर से रेवेन्यू लॉज़ कमीशन बना हुआ है और वह कमीशन भूमि से संबंधित जितने भी कानून हैं, उन सारे कानूनों पर विचार करने जा रहा है। टीनेन्सी एक्ट के बारे में रेवेन्यू लॉज़ कमीशन सोच चुका है और रेवेन्यू एक्ट है उसके बारे में यह कमीशन विचार कर रहा है। इसके अलावा जितने भी भूमि से संबंधित कानून हैं, उन सारे कानूनों के विषय में यह कमीशन विचार कर रहा है। जब आपने इस प्रीएम्बल में यह बात रखी है और यह बात बताना चाहते हैं कि इस कानून की एक मंशा इन सारे कानूनों को सुधार करना है तो आप बताइये, इस कानून को इस वक्त लाने का क्या मतलब होगा ?

कमीशन इस बात पर विचार कर रहा है कि हमारे कंट्री के ऊपर जो लॉ होगा, जो रूलिंग पॉवर होगी, कानून की वह एक ऐसी पॉवर होगी कि जिससे हम सब लोगों पर स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र माने में कानून का नियंत्रण कर सकें, तो फिर इस कानून की कौनसी आवश्यकता रह जाती है। जहां तक सुधारों का सवाल है मैं आपको बता चुका हूँ कि दृष्टिकोण में सुधार नजर नहीं आता।

राज्य सरकार की निगाह में वे इन्स्टान्सेज़ आने चाहिए। पर क्यों नहीं राज्य सरकार विचार करती, यह राज्य सरकार के सोचने का सवाल है। सम्भवतः उसकी यह आदत पड़ गई है कि चिल्लाने वाले चिल्लाते रहते हैं, उनको चिल्लाने दो, हमें तो अपने कान बन्द रखने हैं। इसमें एक और चीज है और वह है कि अगर शिकायत आती है, उस पर विचार करते हैं और फिर सुधार करने की चेष्टा करते हैं तो उसमें दिक्कत आने की सम्भावना है! इसलिए राज्य सरकार ने सोच रखा है कि कानों में रुई डाल कर कान बन्द कर लो, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहें, उसे सुनने की जरूरत नहीं है।

मैं यह कहूंगा कि आप अलॉटमेंट रूल्स ले लीजिये, भूमि के अलॉटमेंट का कानून आपका बना हुआ है और यह जो कानून मौजूदा है इस कानून के अन्तर्गत भी आपकी भावना यह है कि एक सम्पति एक व्यक्ति से हम लेंगे और उस व्यक्ति से उस सम्पत्ति को लेने के बाद हम उसका वितरण करेंगे, इन

Page No 68

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लोगों के बीच में जिनके पास भूमि नहीं है, वो भूमिहीन कृषक हैं। लेकिन मैं आपको विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आज भी काश्तकारों की हालत इस प्रकार की है कि काश्तकार जो वास्तव में जिस भूमि पर खेती करते हैं, जो वास्तव में उस भूमि पर काश्त करते हैं उन लोगों के नाम पर भूमि नहीं है बल्कि क्योंकि इस कानून के अन्दर कुछ डिफेक्टिव प्रोवीजन्स अब तक चले आ रहे हैं जिन प्रोवीजन्स के आधार पर जो व्यक्ति वास्तव में काश्त नहीं करता है उसी का अधिकार रहता है और दूसरे आदमी का नहीं। सबसे बड़ी बात तो आपने रेवेन्यू कानून में इस किस्म की रख रखी है, जैसे इन्तखाब गिरदावरी के इन्द्राजात के बारे में कहते हैं। यह क्या चीज है? इसके बारे में मैं बड़ी विनम्रता से कहने के लिए तैयार हूं कि आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी, जो इस प्रकार मामलों का निर्णय करते हैं, वे भी एकमत नहीं है। वे भी विभिन्न मतो के आधार पर इस इन्तखाब गिरदावरी के मामलों का निर्णय करते हैं वे एक निर्णय में एक चीज तय कर देते है तो दूसरे निर्णय में दूसरी चीज तय कर देते हैं। वे स्वयं इस बात को पुष्ट रूप से नहीं कह सकते कि intkhab Girdawari is a part of the Record of Rights माना जाये, या पार्ट ऑफ दी एनुअल रजिस्टर माना जाय या पार्ट ऑफ दी क्रोप रजिस्टर माना जाय या क्या बला माना जाय? इन्तखाब गिरदावरी क्या चीज है? यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हालत है! यह उस डिपार्टमेंट की हालत है जो इस कानून के मसले को तय करता है। इस सम्बन्ध में मैं विभिन्न जजमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बात मैं मंत्री महोदय के ध्यान में वैसे भी प्राइवेट रूप से ला चुका हूं कि आपको इस बात पर विचार करना चाहिये। आपको सोचना है कि आप किस तरह का सुधार करने जा रहे हैं, आपका सुधार किस तरह की प्रगति की बातों को ले कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो किसप्रकार आपआगे बढ़ सकते हैं? आप इन्तखाब गिरदावरी के इन्द्राजात के प्रश्न को लीजिए। इस प्रश्न पर एक निर्णय नहीं, हजारों निर्णय दिये जा रहे हैं। इन्तखाब गिरदावरी किसके नाम हो जाय, इसके सम्बंध में आपने दफा १६ को तरमीम किया है और उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जिस दिन जो व्यक्ति इस एनुअल रजिस्टर में उप-कृषक के......

श्री रामप्रसाद लढ़ढा (उप-मंत्री, राजस्व): It has no relevancy with the report in the House.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I am not discussing in respect of the report. I want to show to the Ruling Party what sort of amendments they are bringing. In past you have committed wrongs and the same thing is going to be done now. Therefore, I am pointing out this.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा सब्मिशन है.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के दायरे में ही रहें।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग में कब हाजिर रहे हैं इसलिए ये बातें कह रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I may respectfully submit that I have taken one of the arguments that I have taken in my note of dissent. I am confining my arguments to that.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : डीसेन्ट नोट में तो ये बातें हैं नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इन्तखाब गिरदावरी के इन्द्राजात का सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि आज का सबसे बड़ा मंत्री या मुख्य मंत्री भी उतना सक्षम नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि साधारण पटवारी है। वह किसी को सम्पत्ति बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से इन्द्राज करने के बाद दूसरे पक्ष को दे देता है। जहां तक बोर्ड आफ रेवेन्यु के निर्णय का प्रश्न है मैंने बताया कि दफा १६ में अमेंडमेंट हुआ, १९५५ के उस कानून में उसमें एक तिथि से जिस व्यक्ति का एनुअल रजिस्टर में सब टीनेन्ट के कॉलम में नाम दर्ज था, वह स्वयं ही खातेदार मान लिया जायगा। यद्यपि वह प्रोवीजन है उस सब-टीनेन्ट के लिए, लेकिन आप यह नहीं जानते कि अगर कोई ट्रेस्पासर है, अतिक्रामक है, जबरदस्ती भूमि पर कब्जा करने वाला आदमी है, वह किसी जमीन पर काश्त कर देता है और उसकी एन्ट्री उस साल सब-टीनेन्ट में हो जायगी। अब उसमें यह विचार करने वाला नहीं है, कानून का सीधा-सादा अर्थ लगाने वाला कोई प्रतीत नहीं होता जो यह विचार करके देखे कि ये शब्द क्यों लिखे हैं। सब टीनेन्ट का कानून है, उस कानून को बनाने वालों के दिमाग में नहीं आया कि जबरदस्ती एक साल कोई जमीन पर काश्त कर देता है और उसका इन्द्राज हो जाय और उस ट्रेस्पासर का, उस अतिक्रामक का तीन-चार साल लकड़ी की जोर से, अपनी ताकत के जोर से जमीन पर कब्जा रह जाय, तो क्या उसे खातेदार का अधिकार प्राप्त हो जायगा ? यह कानून बनाने की चीज है और इसी पर आपने ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है और जिसका अधिकार जायज़ है, उसका अधिकार कराने का प्रावधान इस कानून में होना चाहिए था। लेकिन वह न करके यह प्रोवीजन इसमें रखा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने अपनी ताकत के जोर से जमीन पर कब्जा कर लिया वह कर लिया। ट्रांजीशनल पीरियड में, यह सब जानते है, एक दूसरे की सम्पत्ति पर जबरदस्ती कब्जा हो जाता है। आप एक दूसरे की सम्पत्ति की बात जाने दीजिये, राज्य सरकार की सम्पत्ति पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, लेकिन राज्य सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी और उसको उस सम्पत्ति से बेदखल करने के बजाय, कोई कानूनी प्रोवीजन होने के बजाय राज्य सरकार ने एक नोटीफिकेशन निकालना शुरू कर दिया कि राज्य सरकार कमजोर है, वह कानून का सहारा नहीं ले सकती, चुनांचे वह सबको रेगुलेट और वेलीडेट कर देती है। यह नोटीफिकेशन निकलता है कि जिसने कब्जा कर लिया, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धान्त पर कब्जा हो गया वह हो गया और उसे खातेदारी के अधिकार देते हुए चले जाते हैं।

इस प्रकार की भावना के साथ मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो आप कानून बनाते हुये चले आ रहे हैं, और जिसकी पाबंदी करने का आपका पहला धर्म होना चाहिए उसकी पाबंदी आप नहीं कर सके। इसलिए मैं बड़ी

Page No 70

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि ये शब्द केवल क्रोकोडाइल टीग्रर्स हैं, जिनको दुनियां के सामने दिखाकर आप कहना चाहते हैं कि यह कानून में तरमीम करने की भावना से, रेवेन्यू लॉज़ की भावना से इन कानूनों को बना रहे हैं, ये शब्द आप इसमें से हटा दीजिये, आप दुनिया को धोखा देने की चेष्टा न कीजिये क्योंकि हमारे सामने सब बातें मौजूद हैं। आपने कानून में आवश्यक तरमीमें नहीं की हैं और तरमीमें करके सुधार नहीं किया है— आपने सुधार के नाम पर ये आपत्तियां पैदा की हैं, जिन आपत्तियों को जनता भोग रही है और उसका परिणाम आप स्वयं जानते हैं। आप जानते हुए भी अनजान बने बैठे हुये हैं। इसका इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि अज्ञानी का अज्ञान दूर किया जा सकता है; अगर जो ज्ञानी है और जो समझता है, और फिर भी अज्ञानता के काम करता है, उसको समझाने की शक्ति भगवान् के पास भी नहीं है, विधाता के पास भी नहीं है। वही हालत आज हमारे मंत्रियों की है, यह मैं निवेदन कर रहा था।

इसके बाद तीसरी बात इस कानून के बारे में आपको प्रस्तुत करता हूं। कानून बनाने से पहले हम कोई भी स्टेच्यूट, जिसका हम निर्माण करते हैं, के बारे में यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत से ऐसे स्टेच्यूट होते हैं, बहुत से ऐसे कानून होते हैं, जो फिस्कल स्टेच्यूट कहलाते हैं, पीनल स्टेच्यूट कहलाते हैं। और उन कानूनों का निर्माण करने के लिए कुछ बेसिक प्रिन्सिपल्स बने हुए हैं। यदि हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को फोलो नहीं करते हैं और प्रोवीज़न्स ऑफ लॉ, उन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की खिलाफत करते हैं और उस कानून को मान्यता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सम्पत्ति को अवाप्त करने जा रहे हैं, वह लैंड ओनर की सम्पत्ति कहलाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कोवेनेन्ट है, एक व्हाइट पेपर है उसमें एग्रीमेंट हुआ, वह एग्रीमेंट उस गवर्नमेंट के साथ हुआ, जो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है; वह गवर्नमेंट कहलाती है जिसकी शक्ति आज की गवर्नमेंट की शक्ति से ज्यादा है। जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इन राजा लोगों के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय जो एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट की भावना के यह बिल्कुल प्रतिकूल है। जब यह आपत्ति सिलेक्ट कमेटी के सामने उठाई तो यह समझा गया कि सदन सक्षम है और वह इस प्रकार का कानून बना सकता है और उस कानून को बनाने के लिए, उस पर मोहर लगाने के लिए राजस्थान के एडवकेट जनरल को बुलाया। उनकी जहां तक राय है, मैं निवेदन करूंगा......

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय सदस्य कोवेनेन्ट की कोनसी धारा का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य कावेनेन्ट की कोनसी धारा का विचार करके ऐसी बात कह रहे हैं कि ऐसा एग्रीमेंट है कि किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं ले सकते।

श्री दुर्गालाल बाढदार: I am reading it. Don't be impatient. If you keep patience you will hear everything. Every thing requires patience.

श्री उपाध्यक्ष : Please listen to the hon. Member.

श्री दुर्गालाल बादादार : Let me have my submission and you will listen everything.

मैं बताना चाहता हूं कि सदन इस बात की शक्ति देता है, कोई भी लेजिस्लेचर यह शक्ति रखता है कि जो कानून बनेगा वह रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन रखेगा। इस शक्ति को कोई चेलेंज नहीं करता है और इस शक्ति के प्रतिकूल कोई इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। यह वैधानिक प्रोवीजन है, लेकिन किन्हीं सरकम्स्टान्सेज में, किन्हीं परिस्थितियों में किस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दे सकते है उन परिस्थितियों को मद्दे नजर रखना परमावश्यक हो जाता है। क्या उन परिस्थितियों पर विचार किया गया है इसे रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने के लिए ? मैं आपको कोवेनेन्ट के आर्टीकल १२ को पढ़ कर बता देता हूं। वह सारी चीजें क्लीअर कर देगा।

(७ म. प.)

Article 12 of the Covenant इस तरह से रन करता है :

" The Ruler of each Covenanting State shall be entitled to the full owneriship, use and enjoyment of all private properties, as distinct from the State properties, belonging to him on the date o f making over the administration of that State to the Rajpramukh of the former Rajasthan State or, as the case may be, to the Rajpramukh of the United State under the covenants. If any dispute arises as to whether any item of property is the private property of the Ruler of covenanting State, other than the new covenanting State, or State property, it should be referred to such person as the Government of India may nominate in consultation with the Rajpramukh and the decision of that person shall be final and binding on all parties concerned:

Provided that no such dispute shall be preferable after the First day of May, 1949. The private properties of the Rulers of each covenanting state shall be as agreed between the Government of India in the States Ministry and the Ruler concerned and the settlement of properties thus made shall be final ."

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : Please read the definition of 'land' together with this.

श्री दुर्गालाल बादद्दार : I am sorry the objection is coming from a lawyer who should know the general provisions of law where property has been defined. It is defined in the General clauses Act.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): The word 'property' covers 'land' also. The definition of property is very wide.

श्री दुर्गालाल बाददार : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो हमारा सोलेम कम्प्रोमाइज है, जो हमारा सोलेम एग्रीमेंट है

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उसके प्रतिकूल यदि हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो आप विश्वास रखिये कि जिस महानता के साथ, जिस विश्वास के साथ जिस सद्‌भावना के साथ उन लोगों ने, जिनको आप रूलर्स के नाम से कहते हैं उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति आपके हाथों में सौंप दी, सोलेम कॉम्प्रोमाइज के साथ...

श्री श्योपतसिंह : कौनसी सम्पत्ति उनकी थी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार . Covenant has defined it.

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : यह तो सब जनता की सम्पत्ति है। कौनसी सम्पत्ति को, मर जावेंगे तो साथ लेकर जावेंगे ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह तो विचारों का फर्क है। मुझे एक अंग्रेजी कहावत याद आ गई :

"Even Devil may cite scriptures in his favour."

It is not a new thing.

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसकी हिन्दी बतायें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : शास्त्रों की शरण तो असुर भी कभी कभी ले लिया करते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो सोलेम कॉमप्रोमाइज है उसके प्रतिकूल हम जो कानून बनाने जा रहे हैं उसका कितना महत्व होगा, इस पर आपको विचार करना चाहिये। कुछ व्यक्ति इस कानून से अवश्य प्रभावित होते हैं। मगर इस कानून से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं वे मुश्किल से १०-५ व्यक्ति होंगे और आप उन १०-५ व्यक्तियों को इस कानून से प्रभावित कर सकेंगे। लेकिन इस कानून का असर जनता पर किस प्रकार से पड़ेगा.......

श्री मुक्तिलाल मोदी : जनता पर क्या असर पड़ेगा ? मेरे कपड़े हैं वे भी ले लो।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह जो आपका सीलिंग है वह भी एक बड़ी दिलचस्पी रखता है। आपके कांग्रेस के लोग इस सीलिंग के बारे में आपके तबके की तरफ से जो सुझाव आते हैं तो बड़े सद्‌भाव से और बड़े विश्वास के साथ उसको छाती से चिपकाते हैं और कहते हैं कि हम सीलिंग में संशोधन करने जा रहे हैं, हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम इसकी बीघोड़ी या रेट में कमी-बेसी करने का विचार रखते हैं। यदि इसी को लेकर दूसरी पार्टी के व्यक्ति आकर कहते हैं तो आप अखबारों में इस बात का प्रचार करते है कि विरोधी दल के लोग आकर इस तरह से कहते हैं; मैं यह कहूंगा कि मेरे भाई, जब आप राज्य का संचालन करने जा रहे हैं तो अपने और विरोध के लोगों की क्या बात है ? आपके लिये न कोई बुरा है न भला। हम तो आपके सामने अपने विचार सद्‌भावना से रखते हैं। उन विचारों को आप मानें या न मानें, हम तो आपको आपके फायदे के लिये ही कहते हैं। यदि आप जनता के आराम के लिये सोचें तो आपका यह जो विरोध हो रहा है वह विरोध कम नहीं हो रहा है। विरोध कम नहीं होता वह प्रबल ही होता है। आपके कारनामे ऐसे हैं जिसके कारण यह

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विरोध हो रहा है मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार का आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको मिटा नहीं रहे हैं। आप तो अपनी जिद्द पर अड़े हुये है जिस प्रकार कोई नॉटी चाइल्ड [naughty child] जिद्द पकड़ लेता है तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकता।

इन सब बातों को छोड़ दीजिये। केवल मूलभूत बात रखी है, केवल उसी मूलभूत बात को लेते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक लैंड ओनर्स का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि राजस्थान के जितने भी कानून हैं उनमें कहीं भी इसकी डेफिनिशन नहीं दी हुई है। जब इसकी डेफिनिशन नहीं है तो आपने एक प्रोविज़न कानून में ऐसा रखा है कि लैंड रेवेन्यू रियलाइज़ करने के लिये आप इसमें कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। मूलभूत विरोध मेरा यही है। मैं यह कहूंगा कि अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन आप इतना करें कि लैंड रेवेन्यू को रिट्रोस्पेक्टिव फेक्ट से वसूल नहीं करें, आपको इसको रिट्रो-पेक्टिव इफेक्ट से वसूल करने में बहुत कठिनाइयें आवेंगी। राज्य सरकार को पहले ही काफी रुपया खर्च करना पड़ रहा है, इसलिये यह निवेदन करूंगा कि पब्लिक एक्सचेकर : यह आयन्दा इस प्रकार का बर्डन नहीं हो, इसलिये मैं आपको सही सुझाव देना चाहता कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिलाइजेशन का प्रोविज़न है उसको दूर कर दिया जाए। इससे बहुत सी मुश्किलें दूर हो जायेंगी और आपके सोलेम कॉम्प्रोमाइज़ जो आपकी और सरकार के बीच में हुआ है उसका पालन हो जाएगा। मैं यह कहता हूं कि लैंड रेवेन्यू रियलाइज़ करने का सरकार को पॉवर है। कितनी लैंड रेवेन्यू रियलाइज़ पहले हुई उसका जवाब न तो आपके पास पहले था और न अब भी आप कोई जवाब दे सकते हैं।

मैं यह विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि लैंड रेवेन्यू जिन एरियाज़ में और जिन जमीनों पर असेस नहीं की गई, रेंट रेट कायम नहीं किया गया, उस लैंड रेवेन्यू को रियलाइज करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बहुत सी जमीनें अब भी ऐसी थीं, आज भी वही स्टेज आई है, जिस पर लैंड रेवेन्यू असेस कर दी; पर जिस जमीन का लैंड रेवेन्यू आज असेस किया, उसकी आज से ७ साल पहले यही लैण्ड रेवेन्यू थी और यही होनी चाहिये, इसका आपके पास क्या प्रमाण है?

एक प्रश्न और पूछना है, उस जमीन का लैंड रेवेन्यू, रेंट रेट के नाम से एक पैसा भी सात साल पहले आप वसूल नहीं कर सकते थे और न आज तक आपने वसूल किया, इस नये कानून के द्वारा आप चाहते हैं कि सात साल पहले जिसका कोई लैंड रेवेन्यू असेस नहीं किया, सेटलमेंट नहीं हुआ, रेंट रेट कायम नहीं हुआ उस भूमि पर आज के बाजार भाव से आज इस कानून से लैंड रेवेन्यू असेस किया जाता है, उसको सात साल पहले से वसूल करेंगे, इस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का आधार किस कानून पर आधारित है? कानून बनायें, पर रीजनेबल स्टेच्यूट, जो एक एसेंशियल फीचर है उस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। रीजनेबलनेस ऑफ ला है उस पर भी क्या आपने विचार किया है, यह सोचने की बात है। आप कहते हैं कि हम अपने कानून में प्रोग्रेसिव लॉ बनाना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चाहते हैं और हो सकता है कि इसमे कुछ लोगों को नुकसान हो जाय पर उस नुकसान की हम पर्वाह नही करते, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने निर्धारित की है उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। हर लेजिस्लेचर पर आप इस तरह विचार न कीजिये। बड़े बड़े कानून के विद्वान् बैठे हैं, जो कानून आप बनाते हैं, वह केवल आपकी ही सम्पत्ति नहीं, आपके यहां से पास होने के बाद वह जनता की संपत्ति हो जाता है, उस पर आपत्ति करने वाले हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जूरिस्ट्स बैठते हैं, हेग्रर स्प्लिटिंग करते है, बाल की खाल निकालते हैं। जब ये बातें उनके सामने आती हैं तो वे लोग आपके ऐसे लॉ की मखौल उड़ाते हैं, वे कहते हैं कि राजस्थान विधान सभा में ऐसे ऐसे लोग जाकर बैठ जाते हैं जो कानून नहीं जानते। तो आप अपना उपहास करने का दुनिया को मौका देना चाहते है, उससे आपको बचाने के लिये मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने से बड़ी आपत्तियां आती हैं और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रहता तो इस कानून को बनाने की क्या आवश्यकता है, आपके हाथ में कानून बनाने का अधिकार है, इस प्रकार का कानून बनायें तो हाई कोर्ट इसको रद्द कर देगा, पर आप तो जिद्दी, नॉटी बोय जैसे हैं, सोचते हैं, दुबारा मौका आयेगा तो तरमीम कर देंगे। मातमी रूल्स को ले लीजिये, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया तो हाई कोर्ट ने उसे इल्लीगल करार दिया, पर आप कब मानने वाले है ? आपको जुडिशियरी का सम्मान करना चाहिये। पर आप नॉटी बोय, जिद्दी लड़के की तरह जुडिशियरी का सम्मान नहीं करते। एक ठोकर खाकर बुद्धिमान सम्हल जाता है, पर उसी गलती की पुनरावृत्ति करते हुए आपको लज्जा नहीं आती।

तो जो यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस कानून में रख रहे हैं वह उचित नहीं है। कानून जनता पर उसी दिन से लागू किया जाना चाहिए जिस दिन से कि कानून बनता है। यह कोई तरीका नहीं है कि कानून आज बनाते हैं और १० साल पहले या सात साल पहले से लागू करते हैं। यह गलत धारणा है, इसका आपको परित्याग करना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्त करने के सम्बन्ध में है। 'भू-स्वामी' शब्द का प्रयोग कानूनी legal parlance दायरे मे यहां पहली ही दफा हो रहा है। यह सर्व विदित है कि जो कुछ भू-सम्पदा नरेशों के कब्जे में रही है एक समझौते द्वारा रही है और मैं उनको रूलर्स यों कहूंगा यह मानते हुए कि वास्तविक रूप से वे एक्स रूलर्स हैं लेकिन कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया, भारतीय संविधान के आर्टिकल २९१, ३६२, ३६१, ३६६ के सब-क्लॉज (२२) में सब जगह इनको रूलर के नाम से संबोधित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया इन लोगों को आज भी उन्हीं पुराने अल्काब और आदाब के अनुसार सम्बोधित करती है। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और इन रूलर्स के दर्म्यान जो मुआहदा हुआ, ठहराव कलमबन्द हुआ और जो कॉवेनेन्ट के नाम से अमल में आकर प्रसिद्ध हुआ। उस कोवेनेन्ट

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

को गारन्टीज़ और आश्वासनों के अनुसार यह व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, कॉवेनेन्ट रूलर्स ऑफ दी कॉवेनेन्टिंग स्टेट्स ऑफ दी युनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के दर्म्यान और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के बीच अमल में आया और तय पाया। हर एक कोवेनेन्टिंग रूलर के हस्ताक्षर उस कॉवेनेन्ट के ऊपर हैं और उसको तस्दीक और गवाही के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया, भारत सरकार के प्रतिनिधि के भी उसके ऊपर हस्ताक्षर हैं। ऐसा कॉवेनेन्ट और (or) इन्स्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर समस्त भारतवर्ष के नरेशों और भारत सरकार के दर्म्यान कलमबन्द हुए हैं और जो तय पाया है कि यह एक ऑल इन्डिया प्रश्न है, समस्त भारतवर्ष के नरेशों का प्रश्न है न कि राजस्थान के नरेशों के सम्बन्ध में ही यह प्रश्न हो सकता है।

उन राज्यों का विलय हुआ, उस सम्बन्ध में भी मैं कुछ विवेचन करना आवश्यक समझूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, विभाजन के बाद अवशेष भारत की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। नरेश भी अकेले अपने आपको अरक्षित समझते थे। भारत को जीवित रहने के लिये देशी राज्यों को मिलाना नितान्त आवश्यक था और बहुत कुछ हद तक देशी नरेशों का घनिष्ठ सम्बन्ध ऑर्गेनिक युनियन भारत के साथ अनिवार्य हो चुका था। यह एका नरेशों ने माना कि, आवश्यक था, उभय पक्ष के लिए हितकर था और इसी ध्येय को लेकर नरेशों ने अपने राज्यों की आहूतियां दे डालीं। पार्टिशन (विभाजन) के पश्चात् देशी राज्यों का क्षेत्रफल अवशेष भारत के मुकाबले में आधा था और इन देशी राज्यों की जन-संख्या अवशेष भारत की जन-संख्या के मुकाबले में एक तिहाई थी जब कि उपाध्यक्ष महोदय, उन राज्यों की जन-संख्या ९३ मीलियन थी, ९ करोड़ ३८ लाख थी, तो पाकिस्तान की जनसंख्या ७२ मिलियन्स थी, अर्थात् ७ करोड़ और २० लाख थी।

अपने राज्यों का विलय कर नरेशों ने जो उदाहरण देश के सामने रखा था वह, मैं समझता हूं कि, विश्व के किसी देश के अन्दर इस बीसवीं शताब्दी के अन्दर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं यह भी अनुभव करता हूं कि यह त्याग जो नरेशों ने बताया यह भारतवर्ष के उज्जवल इतिहास के अन्दर गत तीन सौ वर्षों में एक भी ऐसा उदाहरण त्याग का, देश भक्ति का नहीं मिलेगा। इस सम्बन्ध में सरदार पटेल, जो कि केन्द्रीय स्टेट्स मिनिस्टर थे और उस समय होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ने भारत की विधान निर्मातृ परिषद् (कॉन्स्टिट्यूएन्ट असेम्बली) में भाषण देते हुए देशी राज्यों के और उनके नरेशों के सम्बन्ध में जो शब्द कहे हैं वे मैं इस सदन के सामने दोहराये बिना नहीं रह सकता। सरदार पटेल ने कहा है :

"Human memory is proverbially short. Meeting in October, 1949 we are apt to forget the magnitude of the problem which confronted us in August, 1947. As the Hon. Members are aware, the so-called lapse of paramountcy was a part of the plan announced on June 3, 1947, which was accepted by the Congress. We agreed to this arrangement in the same manner as we agreed to the partition of

Page No 76

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

India. We accepted it because we had no option to act otherwise. While there was recognition in the various announcements of the British Government of the fundamental fact that each State should link up its future with that Dominion with which it was geographically contiguous, the Indian Independence Act released the States from all their obligations to the British Crown. In their various authoritative pronouncements, the British spokesmen recognised that with the lapse of paramountcy, technically and legally the States would become independent. They even conceded that theoretically the States were free to link their future with whichever Dominion they liked, although in saying so, they referred to certain geographical compulsions which could not be evaded. The situation was indeed fraught with immeasurable potentialities of disruption, for some of the Rulers did wish to exercise their technical right to declare independence and others to join the neighbouring Dominion. If the Rulers had exercised their right in such an unpatriotic manner they would have found considerable support from influential elements hostile to the interests of this country.

It was against this unpropitious background that the Government of India invited the Rulers of the States to accede on three subjects of Defence, External Affairs and Communications. At the time the proposal was put forward to the Rulers, an assurance was given to them that they would retain the status quo except for accession on these subjects. It had been made clear to them that this accession did not imply any financial liability on the part of the States and that there was no intention either to encroach on the internal autonomy or the Sovereignty of the States or to fetter their discretion in respect of their acceptance of the new Constitution of India. These commitments had to be borne in mind when the States Ministry approached the Rulers for the integration of their States. There was nothing to compel or induce the Rulers to merge the identity of their States. Any use of force would have not only been against our professed principles but would have also caused serious repercussions. If the Rulers had elected to stay out they would have continued to draw the heavy Civil Lists which they were drawing before and in a large number of cases they would have continued to enjoy unrestricted use of the States revenues. The minimum which we could offer to them as quid pro quo for parting with their ruling powers was to guarantee to them privy purses and certain privileges on a reasonable and defined basis. The privy purse settlements are, therefore, in the nature of consideration for the surrender by the Rulers of all their ruling powers and also for the dissolution of the States as separate units.

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

We would do well to remember that the British Government spent enormous amounts in respect of the Mahratta settlements alone. We are ourselves honouring the commitments of the British Government in respect of the pensions of those Rulers who helped them to consolidate their Empire. Need we cavil then at the small-I purposely use the word small price we have paid for the bloodless revolution which has affected the destinies of millions of our people...."

एक माननीय सदस्य : Are you reading the whole book ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It is most essential that I should go through the whole of this extract.

I have the right to hold the floor and I would beg the Hon. Member not to interfere.

एक माननीय सदस्य : किताब ही दे दो इनको।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : किताब आपको बाद में दे दूंगा, बड़ी खुशी से।

"The capacity for mischief and trouble on the part of the Rulers, if the settlement with them would not have been reached on a negotiated basis, was far greater than could be imagined at this stage. Let us do justice to them, let us place ourselves in their position and then assess the value of their sacrifice. The Rulers have now discharged their part of the obligations by transferring all ruling powers and by agreeing to the integration of their States. The main part of our obligation under these Agreements is to ensure that the guarantees given by us in respect of privy purse are fully implemented. Our failure to do so would be a breach of faith and seriously prejudice the stabilisation of the new order."

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार कृपा करके सोचे कि इन रूलर्स ने अवशेष भारत को अपने त्याग के रूप में क्या अर्पण किया और उसके बदले में as quid pro quo उनको क्या प्राप्त हुआ है ? सरदार पटेल की नीति दूरदर्शिता की थी, 'गिव एण्ड टेक [give and take] की थी। Democracy is a Government of compromises. जहां गिव एण्ड टेक नहीं है वहां पर, मेरे खयाल में, डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो एक फिर :

Fascist steam roller of brute majority.

सरदार पटेल ने जो बातें कहीं वे अभी स्पष्टतया जो कोंगो (Congo) में हुआ और अभी भी कुछ हद तक हो रहा है, वह स्मरण दिलाता हूं। संभवतः हमारे देश के अन्दर भी ऐसी ही आपत्ति आ सकती थी।

(७.३० म. प)

विभाजन के समय, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ, यह मै सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूं। लाखों आदमी बेघरबार हो गये, लाखों आदमी एक नव-निर्मित देश में, दूसरे नव निर्मित देश में भागे और लाखों आदमी

Page No 78

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मारे गये, कत्ले-ग्राम हुआ। यहां पर कहीं-कहीं लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था का नामो-निशान नहीं रहा और उसके साथ ही साथ अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नाश हुआ। विन्स्टन चर्चिल जैसे एक महान् स्टेट्समेन ने हाउस ऑफ कामन्स में विभाजन के संबन्ध में भाषण देते हुए कहा था: "The partition was a major war"

इस समय में इस सदन में शायद अकेला ही हूं जो इन रूलर्स के संबन्ध में कुछ कह रहा हूं। उस समय कई लोग कई बातें उन भूतपूर्व नरेशों के सामने कहने को आये थे, उनको उत्तेजना, प्रलोभन देने आये थे। जो जीवित हैं उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया, चूंकि दी स्टेट इवेन्ट्स, इतना नजदीक है कि मैं इस पर ज्यादा न कहता हुआ मैं दो व्यक्तियों के बारे में कहना चाहूंगा, महाराणा श्री हनुवन्तसिंहजी और महाराणा भोपालसिंहजी की देश भक्ति के बारे में। बहुत से कांग्रेसी महानुभाव श्री हनुवन्तसिंहजी के सम्बन्ध में कहते हैं कि वे पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। संभवतः वे कुछ हद तक उद्दंड हों, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन वे देशभक्त, वे दूरदर्शी और शूर थे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई घर के ऊपर आकर के और मिलने को कहे तो खास तौर से एक सद्‌गृहस्थ के नाते कोई कैसे कह सकता है कि मेरे घर से हट जाओ और अगर कोई आपको बुलावा भेजे और कहे कि आप कृपा करके आकर मुझसे बातचीत करो तो एक सद्‌गृहस्थ के नाते कैसे आप कह सकते हैं मैं आना नहीं चाहता। महाराजा हनुवन्तसिंहजी मिस्टर जिन्ना से मिलने अवश्य गये, मैं भी मिस्टर जिन्ना से दिल्ली में मिला हूं। उनको जो कुछ श्री मिस्टर जिन्ना ने कहा वह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसके बाद वे दिल्ली गये और उन्होंने सरदार पटेल से उन सब बातों का जिक्र कर दिया जो उनके और जिन्ना के बीच हुई थीं। और उन्होंने इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किये और उन्होंने जो त्याग बताया है मेरे ख्याल से सर्वोपरि और परम सराहनीय है। वे जवान थे, गलत रास्ते पर भी चल सकते थे, किन्तु उनमें देशभक्ति थी। जो उनकी मारवाड़ स्टेट थी जिस भौगोलिक स्थिति के अन्दर वह राज्य था, समस्त राजस्थान जिस भौगोलिक स्थिति के अन्दर था वह भौगोलिक स्थिति उस समय विस्फोटक स्थिति का महत्व रखता था। अन्य किसी देशी राज्य की स्थिति चाहे, हैदराबाद हो, मैसूर हो यहां का मुकाबला नहीं रखती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक रियासतों का ग्रुप सौराष्ट्र इसी स्थिति में था। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि हमने जो कुछ टूटी-फूटी देश के लिए सेवा की, मेरे ख्याल से उसका महत्व है और राजस्थान जिस तरह में शान्त रूप से पाकिस्तान के बोर्डर पर होते हुए हजारों शरणार्थी इधर आये और हजारों उधर गये और बिना मार-काट के जो शान्तिपूर्ण ढंग यहां था रहा और सन् ४७ के पश्चात् राज्यों का विलय हुआ तत्पश्चात् कॉविनेन्ट अमल में आया उसका श्रेय सरदार पटेल को अवश्य है, किन्तु मैं सदन में यह निवेदन करूंगा कि आप अनुदार न हों अगर सरदार पटेल को १० आनी श्रेय देते हैं तो इन लोगों को भी छः आनी श्रेय दें, जिनकी प्रिन्सिपेलिटीज़ हजार हजार और आठ आठ सौ साल की थीं। जिनके पास फौजें थीं, जिनके पास विस्फोट करने की शक्ति थी, वे...

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : उन्होंने अंग्रेज गवनमेन्ट को यहां कायम रहने दिया, उनके पीठ पीछे अंग्रेजी हुकूमत थी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं स्वामी जी के जो विचार हैं उनको आदर की दृष्टि से देखता हूं । लेकिन अंग्रेजों की परेमाउन्सी लेप्स हो चुकी थी । नरेश ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली थे, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं । हजारों आदमी जिन लोगों ने रिक्रूट करके मर-मिटने को भेजे उनको कठपुतली नहीं कह सकते, वे राजा थे और उनको इन्टर्नल ऑटोनेमी प्राप्त थी ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : इस तरह से राजाओं को जनता ने ठीक किया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनता की कृपा से ही वे राज करते थे । जब उनका यह ढोल बजना बंद हो गया तो उस हुकूमत के रस्से को ढीला किया और ढोल के लात लगाई । लेकिन लात लगाने के पश्चात् उनकी जगह जो उत्तराधिकारी आये उनके कुशासन से आज फिर उनका थोड़ा बहुत महत्त्व और पूछ बढ़ती जा रही है ।

उस समय विलय के लिये सौराष्ट्र के राजाओं को सरदार पटेल ने बुलाया । सौराष्ट्र और राजस्थान का घनिष्ट संबंध था । एक रूपरेखा जो सरदार पटेल की थी वह हमने देखी । हमने कहा, यह भारत स्वतंत्र नहीं रह सकता जब तक कि देशी राज्यों का और अवशेष भारत का ऑर्गेनिक युनियन न हो । यह नितान्त सत्य है कि जब नरेशों ने यह देखा और अनुभव किया तब अपने राज्य की आहूति हंसते-हंसते दी । इन्स्ट्रूमेन्ट ऑफ मर्जर और कॉवेनेन्ट पर तो बाद में दस्तख्त हुए, बाद में वे तकमील पाये लेकिन सरदार पटेल को नरेशों ने यह आश्वासन दिया कि हम पूर्णतया आपके साथ में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कॉवेनेन्ट जिस रूप में अमल में आया जैसा कि समस्त सदन को निवेदन किया है । बाईपार्टाइट एग्रीमेन्ट हैं । दो सॉवरिन पॉवर्स के बीच में अमल में आये हैं । ब्रिटिश इंडिया जो बिल्कुल नोन-सोवरिन था जो इन्डिपेन्डेन्ट हो करके सोवरिन बना । रूलर्स जो इन्टर्नल सोवरिन थे उनके दर्मियान यह कॉवेनेन्ट अमल में आया जो बाई पार्टाइट एग्रीमेन्ट है, पवित्र समझौता है, सोलेम एग्रीमेन्ट है । इसका समावेश विधान के अन्दर है, क्योंकि कॉवेनेन्ट पहले अमल में आया और विधान बाद में बना, इसलिये कॉवेनेन्ट सर्वोपरि दस्तावेज है; Covenant is the overriding document.

यह बाई पार्टाइट एग्रीमेन्ट नेगोशियेशन्स द्वारा अमल में आया । उनमें लिखे हुए अधिकारों को कानून के द्वारा खत्म करना जैसा कि सरदार पटेल कह चुके हैं, मैं समझता हूं ब्रीच ऑफ फेथ, ब्रीच ऑफ कोन्ट्रेक्ट-विश्वासघात होगा । यह बात कॉवेनेन्ट के आर्टीकल १२ जो मेरे माननीय साथी,जो हवामहल निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये हैं उन्होंने सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया, उसके फाइनल वर्ड्स थे ' the settlement so reached shall be final"

अब इस फाइनल स्टेटमेन्ट को टेम्परिंग करना, इसके अन्दर तरह २ के डिवाइसेज़ लाकर लेजिस्लेशन द्वारा टर्मिनेट करना मैं समझता हूं कॉवेनेन्ट के आर्टिकल १२ और संविधान के अनुच्छेद ३६२ के बिल्कुल विपरीत है ।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक पार्टनर के नाते, रूलर्स को अधिकार है दूसरे पार्टनर को यह पूछने का कि सरकार को क्या आवश्यकता हुई क्या आपत्ति उसने अनुभव की कि जिसके द्वारा एक पार्टी को कतई अन्धकार में रखकर उसने यह विधेयक सदन के समक्ष रक्खा । जिन लोगों ने त्याग किया है, जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने "Friend in need is friend indeed" के नाते आपका साथ दिया है एन वक्त पर, बड़ी से बड़ी कुर्बानी की है, उनको साथ लेकर अगर आप चलें और खूबसूरती से इस समस्या का हल निकालें तो मैं समझता हूं कि यह कोई असम्भव चीज नहीं है । पर उनको साथ लेकर अगर सरकार नहीं चली और इस बिल को पारित ही करने पर तुली रहो तो इससे कटुता फैलेगी और मेरे खयाल से वह अपनी प्रतिष्ठा घटायेगी ।

रूलर्स ने भारत सरकार के लिये जो त्याग किया है, उतना त्याग ब्रिटिश सरकार के लिये १२५ वर्षों के लम्बे अर्से के उनके साथ के सम्बन्धों के अन्दर भी कभी नहीं किया । ब्रिटिश के और हमारे सम्बन्ध १२५ सालों तक ट्रीटीज के जरिये से रेगुलेट हुए थे ।

उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटेन और स्पेन के बीच में गोवा के सम्बन्ध में एक ट्रीटी हुई वे ४०० वर्षों तक कायम रहीं । आज १५ वर्षों के बाद, वही सरकार, खैर, वही सरकार तो है ही, किन्तु वही प्रधान मन्त्री, जिनके शासनकाल के अन्तर्गत ये दस्तावेज, ये कांवेनेन्ट, यह प्रोवीजन आॅफ दी कान्स्टीट्यूशन का इनेक्टमेन्ट हुआ वही, वही सरकार, आज इस समझौते को इकतरफा कार्यवाही करके कानून के द्वारा भंग कर रही है, यह मैं समझता हूं कि खेद का विषय है ।

रूलर्स ने (सन्) ४७ में जो साथ सरकार को दिया वह मेरे ख्याल से जो लोग उस समय तीस साल के थे वे सत्तर और पिचहत्तर वर्ष के भी होंगे तब भी उस घटना को नहीं भूल सकते । जो स्थिति देश की सुरक्षा के लिहाज से, रक्षा के लिहाज से, आन्तरिक, वाह्य और आर्थिक समस्या के लिहाज से उस समय उत्पन्न हुई थी वह समय, अगर सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखा जावे तो मैं यह समझता हूं कि १९४७ की समस्या जो देश के सामने थी वह कई गुना विशेष भयंकर थी, आज की एमर्जेन्सी केमुकाबले में । मैं आज निवेदन करूंगा सरकार से कि नरेश सरकार का साथ वाजिब हद तक देने के लिये तैयार है, इससे वे इन्कार नहीं होंगे । उनको सम्मानपूर्वक आप बुलाइये, आमन्त्रित करके बिठाइये और आप बातचीत करके इस प्रश्न को हल करिये । इसका हल निकालिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेजोरिटी और माइनोरिटी का नहीं है । सभी प्रश्न डेमोक्रेसी के अंदर केवल मात्र अल्पमत और बहुमत के इश्यू पर तय नहीं हुआ करते । डेमोक्रेसी मे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि बातचीत के, काॅम्प्रोमाइज के द्वारा हल होती हैं और कांवेनेन्ट और ट्रीटीज नेगोशियेशन के द्वारा पैदा और हल होती हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वह जुलूस किस चीज से ताल्लुक रखता था आज का ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जुलूस किसानों से ताल्लुक रखता था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : या आपकी जायदादों से ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपके मुरब्बों से रखता था।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): आपके एरिया से एक हजार आदमी आये थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका सिद्धांत तो आतंक [Yellow menace] को यहां पर लाकर विस्फोट करा के और सत्ता को हस्तगत करने का है। अगर वह समय आवे तो आपका प्रिविलेज होगा, देहली के प्रेसीडियम में बैठने का और हमें गैलोज़ और कंसेन्ट्रेशन कैम्पों में जाने का।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह आपकी इच्छा से नहीं होगा, जनता की इच्छा से होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी इच्छा से तो हर्गिज नहीं होगा, इस देश की इच्छा से होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देश की इच्छा ही यह कर रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी इच्छा देश की इच्छा नहीं हो सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनता की इच्छा ही देश की इच्छा होगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पर आपकी इच्छा तो देश की इच्छा हर्गिज नहीं होगी अब देश की इच्छा, जनता की इच्छा क्या होगी, यह तो भविष्य ही बतावेगा कि देश की क्या इच्छा होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर हमारी इच्छा देश की इच्छा है।

श्री मानसिंह महार : आपकी इच्छा चीन की इच्छा है, देश की नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी इच्छा तो अकबर की इच्छा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार के जो वचन हैं, सरकार को उन वचनों पर अटल रहना चाहिये, जो एग्रीमेंट उसने किये हैं उन पर पाबन्द रहना चाहिये और सरकार को कोवेनेंट और ट्रीटीज़ के बारे में समझना चाहिये कि वह उसकी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज्ड क्लासेज के लिये वह समय विपरीत है, यह मैं मानकर चलता हूँ। मैंने बचपन से ही यह सुना है कि times are heavily arrayed against privilege. लेकिन मैं यह पूछना चाहूँगा कि विश्व-नियम के अनुसार एक प्रिविलेज्ड क्लास समाप्त होती है और उसकी चिता या उसकी कब्र पर दूसरी प्रिविलेज्ड क्लास उठ खड़ी होती है और ऐसी प्रिविलेज्ड क्लासेज़ कहां नहीं है ? एक्स प्रेसीडेंट हमारे देश में आज प्रेसीडेंट गवर्नर्स, मिनिस्टर्स जजेज़ ऑफ दी हाई कोर्ट, पब्लिक सर्वेन्ट्स, डिफेंस फोर्सेज़ वाले, शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑफीशियल क्लास और आफीशियल क्लास नहीं कहकर ऑफीशियल कास्ट कहूँ तो भी मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा और यदि मैं यह भी कहूं कि कांग्रेस पार्टी यह कास्ट है, तो भी अनुपयुक्त नहीं होगा। तो वे सब प्रिविलेज्ड क्लासेज़ हैं आज की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तो भीलों को मारने की बहुत कोशिश की है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : देश भक्तों को जमीनें, वजीफे, स्टेटस यहां मिलते हैं। लेकिन आज की आॅफीशियल क्लास जैसी कभी भी हमारी देश की आॅफीशियल क्लास नहीं रही होगी कि जिसके हाथ में इस हद तक सत्ता का बल रहा हो कि जैसा आज है। वे आज भारत के विधाता हैं, वे भविष्य के निर्माता है और ७५ प्रतिशत सत्ता आज उनके हाथ में है।

देश में कांग्रेस सरकार के कानून आज सबके लिये लागू हैं, लेकिन कांग्रेस के लिये वे कानून नहीं हैं। They can get away with almost anything.

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : कांग्रेस के लिये क्यों नहीं है साहब, कांग्रेस के लिये कोई नया विधान बना हुआ है ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : इम्प्लाइड है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

आज जो विरोधी दल का ध्येय है कि पांच वर्ष तक एक पार्टी का शासन रहे, १० वर्ष रहे, १५ वर्ष तक रहे; पर आपने क्या कोई मोनोपोली कर रखी है।

श्री प्रतापसिंह : आप बहुत अर्से तक रहे।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order!!

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विचार प्रकट करने का सबको अधिकार है।

श्री बृजसुन्दरशर्मा : He is repeating the history of his own experience.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पर अब तो ये स्वयं त्यागपत्र दे रहे हैं, साहब।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मरते दम तक भी वे सत्ता छोड़ेंगे नहीं, साहब।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह त्याग-पत्र का प्रस्ताव 'पार्टी बिफोर पोस्ट' से भी मुझे बड़ा एम्यूज़मेंट सा पैदा होता है। यह भी काॅवेनेंट की तरह मैजोरिटी और माइनोरिटी का प्रश्न नहीं रहा। यह मैजोरिटी और माइनोरिटी का प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, अब इस हद तक इस महान् संस्था और महान् प्रतिष्ठित संस्था को गिरावट पर ले आया है कि अब कुल अधिकार एक ही व्यक्ति को दे दिये कि जिसको रखना हो उसको रखें और जिसको नहीं रखना है उसको न रखे.

श्री प्रतापसिंह : यह तो गर्व की बात है। आप तो एक आदमी पर विश्वास नहीं करते हैं और एक दूसरे पर हमारा तो विश्वास है। पण्डित नेहरू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हम सबको विश्वास है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप नेहरू जी की प्रशंसा करते हैं तो हम कौनसी उनकी बुराइयां करते हैं ? उनकी नीति की बराबर आलोचना करते हैं? मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो आप कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयांतर न हों तो अच्छा रहे।

Page No 83

महारावलश्री लक्ष्मणसिंह : क्षमा करें, मुझे कन्सेन्ट्रेशन ही नहीं करने देते माननीय सदस्य ।

श्री प्रतापसिंह : I am soory for that.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय कि जिन लोगों को प्रिवलेजेज़ प्राप्त होते हैं और हर एक सरकार का यह नियम है कि कम से कम उनके जीवनपर्यन्त उनके प्रिवलेजेज़ में हेरफेर नहीं होते हैं चाहे वह कम्पेन्सेशन हो, चाहे स्टेटस हो या चाहे कुछ भी हो । आज बहुत से नरेश मौजूद हैं जिन्होंने कॉवेनेन्ट पर दस्तखत किये हैं। उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। It is unilateral termination of solemn guarantees.

हम देख रहे हैं कि जो कोवेनेन्ट नेगोशियेसन्स के जरिये अमल में आया उनको लेजिस्लेशन के द्वारा टर्मीनेट किया जा रहा है यह सरकार के लिए सोचने की सी समस्या है। भारत के ४० करोड़ नागरिक हैं उनमें से सिर्फ ५४४ लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल ३६६ के सब-क्लॉज़ (२२) ऑफ दी कॉन्सटीट्यूशन की परिभाषा के अन्दर रूलर्स की गणना में आते हैं । उनके लिए कानून बनाना और १॥ करोड़ जनता इस राजस्थान की है उसमें २२ व्यक्तियों के लिए यह विधान सभा कानून बनाये और उस समस्या पर बातचीत करने के लिये भी विचार न करे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: २२ व्यक्ति २२ लाख का माल खाते हैं इसलिए कानून बनाना पड़ रहा है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज तो पता नहीं कितने अपने सामने बैठे हुए बिना टैक्स दिए हुए कितना माल खा रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे १ लाख ६८ हजार का प्रिवीपर्स मिलता है, मैंने १५ महीने में १ लाख ७५ हजार का सोना रक्षा कोष और दूसरी चीजें टैक्सेज़ वगैरह में दी हैं। माननीय सदस्यों ने क्या दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री प्रतापसिंह : मैं एक बात कहूंगा, "Charity that hastens to proclaim as such ceases to be a charity"..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Mr. Dy. Speaker, sir, I believe in Charity but there is a very good saying that charity begins at home.

मैं तो यह नहीं मानता उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन बहुत सों को यह धारणा है कि यह विधेयक उन नरेशों को दण्ड देने के लिए लाया गया है जो कांग्रेस का विरोध करते हैं। यदि यह है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं है। जो विरोध करते हैं मेरे ख्याल से वे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा हित करते हैं, देश की सेवा करते हैं। जो नरेश कांग्रेस के अन्दर हैं वे भी सेवा कर रहे हे, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मैं यह समझता हूँ कि जो नरेश कांग्रेस का विरोध करते हैं वे देश की अधिक सेवा कर रहे हैं और इस बूढ़ी संस्था को जीवित रखने के लिए भी चेष्टा कर रहे हैं।

जन-हित के संबंध में, पब्लिक इन्टरेस्ट के संबंध में पहले कानून जानने वाले मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

साथी ने विवेचन किया है। मैं यह मानता हूं कि नोर्मली 'एक्वीजीशन ग्रॉफ प्रापर्टी इन पब्लिक इन्टररेस्ट' हर एक मोडर्न गवर्नमेन्ट के पास अधिकार है और होने भी चाहिए, लेकिन प्रीएम्बल में या ग्रॉबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में या मेमोरेन्डम के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है और कहा गया है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में या किसी कारण से यह विधेयक लाया गया है।

सीलिंग के संबंध में जिसका इस विधेयक से घनिष्ट संबंध है, उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग का कानून बन गया। मैं समझता हूं कि वह कानून अनावश्यक है। पहले हमारे राजस्थान के अंदर पड़त भूमि है उसे आप काश्तकारों को दीजिए। लाखों बीघा भूमि पड़त पड़ी हुई है। अगर सीलिंग भी आता है तो कॉम्युनिस्ट कन्ट्रीज़ के अंदर भी सीलिंग हैं। पोलेण्ड के अन्दर सीलिंग आया है, लेकिन वहां सीलिंग २२५ एकड़ पर हैं और हमारे यहां पर ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के ऊपर सीलिंग का कानून लाकर आपने उसको ज्यों का त्यों वहां पर छोड़ दिया और उस कानून के अन्दर एक्सेप्शन्स और एग्ज़ेम्पशन्स भी रखे और उनके अंदर मेकेनाइज्डफार्म, टी, कॉफी, शुगरकेन, फूड प्लानटेशन को एग्ज़ेम्प्ट किया तो........

श्री प्रतापसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछने की प्रार्थना करूंगा कि पोलेण्ड का एरिया क्या है और वहां की जनसंख्या कितनी है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पोलैण्ड का एरिया हिंदुस्तान से कम है और जनसंख्या भी बहुत कम है।

यदि ये एक्सेप्शन्स और एग्जेम्पशन्स सीलिंग के कानून में भी हैं तो मेरे ख्याल से इन नरेशों को भी जो उन्होंने त्याग बताया है उसके कारण कोई न कोई सम्माननीय स्थान देश के अंदर प्राप्त करने के योग्य समझना ठीक होगा। यदि आप नरेशों के पास कुछ भूमि रखेंगे तो मेरे ख्याल से खाद्य उत्पादन की समस्या भी सुलझेगी, बिगड़ेगी नहीं।

१७ वें अमेन्डमेन्ट के संबंध में भी मेरे साथियों ने प्रकाश डाला है। यह १७ वां अमेन्डमेन्ट, जो संविधान में संशोधन करने आया है यह हमारे ७५ प्रतिशत भारतवर्ष के किसानों के विरुद्ध है। उसकी फॅमिली और फार्म के विपरीत है। उसके नागरिक अधिकारों के हनन करने का गवर्नमेंट ने साधन बनाया है। उसको भी आप पारित नहीं होने देते। 'That is putting cart before the horse' की तरह से आप इस विधेयक को इस सदन में लाये हैं। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित और अन्नेसेसरी है।

इन्टरमीजियरीज़ का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखें तो आज गवर्नमेन्ट और टीनेन्ट के बीचमें सीधा संबंध, डाइरेक्ट रिलेशन है। उसी तरह से जब रूलर्स थे और अपने राज्यों के हैड ऑफ दी स्टेट थे तो उनका सीधा संबंध काश्तकारों से माना जाता था। आज की परिवर्तित स्थिति में मैं यह अनुभव करता हूं कि कोई भी रूलर इन गावों को खुद इन्टरमीजियरी बन कर नहीं रखना चाहता है। लेकिन मैं यहां पर यह निवेदन करना आवश्यक समझूंगा कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरी छोटी-मोटी पर्सनल प्रोपर्टी में ३ गांव हैं, उसमें एक काश्तकार को १५ वर्षों में वेदखल नहीं किया। गत १५ वर्षों में मैंने एक पाई भी लगान की उनसे नहीं ली। आज वस्तु स्थिति यह है कि वहां पर पंचायत के जरिये से जितने भी आपसी झगड़े थे वह निपटाने की कोशिश की:....अब वहां पटवारी का आधिपत्य होगा। तो वहां पर रिश्वत, लड़ाई फिसाद, पता नहीं, वहां क्या शुरु होंगे आखिर। यह तो होगा ही यह एक दुर्भाग्य की बात है किसानों की....

एक माननीय सदस्य : किसानों के या आपके ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे और किसानों के दुर्भाग्य की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके दुर्भाग्य की बात अधिक है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने एक पैसा लगान का नहीं लिया है, और आप समझते हैं कि मेरे दुर्भाग्य की बात है, तो मेरे ख्यालसे 'good ridence of a bad rubbish' है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिल के क्लाज ६ (२) में विवेचन किया है कि नरेश खातेदार टीनेन्ट्स हैं। वस्तु-स्थिति यह है कि वे खातेदार टीनेन्ट्स नहीं हैं। वे फ्री होल्ड लैण्ड के कम्प्लीट ओनर्स हैं। वे उन लैण्ड्स पर पूर्ण स्वामित्व का आज भी अधिकार रखते हैं। वह जमीन कभी भी प्रिडीसेसर गवर्नमेंट थी उसकी नहीं थीं और न वर्तमान सरकार की है। यदि उनको लेना ही है तो बातचीत के जरिये से लें। आप बात करके कुछ न कुछ इसका हल निकाल सकते है, लेकिन अगर आप हमको तंग करेंगे तो फिर वह तो जगत् विख्यात मिसाल है 'तंग आयद-ब-जंग आयद' फिर चींटी भी हाथी को काट लेगी। तो फिर शान्तिमय वैधानिक तरीकों से जो उपाय होंगे तो उनसे लड़ेंगे और हमारे सिद्धान्तों को प्राप्त करेंगे।

आप कहते है कि normal land revenue laws apply to the Rulers land: तो नॉर्मल लैण्ड रेवेन्यू लॉज इस जमीन पर एप्लाई करते तो इस पर लगान क्यों नहीं लिया ? एक जगह भी प्रोवीजन नहीं है, आपके टीनेन्सी लॉज और कोई लाज के अन्दर जहां कि नरेशों की लैण्ड एसेसमेंट के सब्जेक्ट हुई हैं। बहुत से नरेशों की जरखरीद जमीनें हैं, बहुत से नरेश पहले से ही लगान देते आये हैं, कुछ-एक ऐसे हैं जो कि लगान नहीं देते हैं तो आर्टीकल १३ एक विश्व मान्य जुरिसप्रूडेन्स के सिद्धांत को मानते हैं और सब्जेक्ट टू दी एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ इन्डिविजुअल रूलर्स जो उनके पूर्व से अधिकार थे उनको मान्यता देता है। वह आर्टीकल भी मैं पढ़कर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष सुनाना चाहूँगा।

"Rulers of each Covenanting State, as also the members of his family shall be entitled to all the privileges and dignities enjoyed by them whether within or outside the territories of the State immediately before 15th August, 1947."

१५ अगस्त, १९४७ के पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि बहुत कम नरेश

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ऐसे होंगे कि जो लगान देते थे। यह भूमि जो नरेशों के पास है यह फ्रीहोल्ड लैंड है। इसको अगर आप इसकी समानता का कोई उदाहरण रखें तो ब्रिटिश का उनकी क्राउन लैण्ड्स के जो फार्म्स और फोरेस्ट्स हैं उनकी समानता इन लैंड्स के ऊपर आप घटित कर सकते हैं और इसको भी सरकार ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। आप इस विधेयक को कोवेनेन्टिंग रूलर्स के नाम से, उनकी पर्सनल प्रोपर्टी के नाम से पारित कराना चाहते हैं और आप इसको बाद्सर उस समय से कराना चाहते हैं जब कि पर्सनल प्रोपर्टीज़ भी नहीं थीं, कॉविनेन्ट भी नहीं था और कान्स्टीट्यूशन भी नहीं था जब कि भारतवर्ष भी आजाद नहीं था। आप १९४६-४७ को बेसिक इयर मान कर कहते हे कि इस समय की जो आमदनी होगी उसके आधार पर नरेशों को मुआवजा देना चाहिए तो यह 'cart before the horse' है, जब कॉविनेन्ट भी नहीं था, पर्सनल प्रोपर्टी भी नही थी। सारी रियासत की रेवेन्यू आप लें तो उस पर हमारी आमदनी निर्धारित होनी चाहिये मुआवजे की। सन् ४७-४८ में कॉविनेन्ट कलमबंद नहीं हुआ था, सन् ४६ में कॉविनेन्ट कलमबन्द हुआ। उसको आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दें सन् ४६ से तो अत्याचार की पराकाष्ठा है, मखौल सा है कॉविनेन्ट का। किसको आप प्रोपर्टी में इन्कलूड करेंगे? जागीरदारों को १४ मल्टीपल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और उनका प्रोस्पेक्टिव प्रोवीजन के जरिये से उनको आपने मुआवज़ा दिया और लगान लिया। हमारे लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रोवीजन करते हैं कि जब no normal land law applied to these lands, but you say normal land laws apply यह व्हाइट पेपर के अन्दर लिखा हुआ है, इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए एक एक्सट्रा ऑर्डिनरी और एब्नोर्मल मेथड और डिवाइस आपने अपनाई है। वह क्या है कि सन् ४६-४७ की बेसिक आमदनी को आपने माना है। स्टेटों के फोरेस्ट डिपार्टमेंट की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ग्रोस इनकम जो है वह आपके पास में है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आपके पास में है; उससे अगर कम्पेन्सेशन का जो कुछ करना है वह सरकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, जागीरों की ग्रोस आमदनी लेकर उनको मुआवजा दिया गया तो फिर इस सम्बन्ध में नरेशों के साथ विभिन्नता का क्यों व्यवहार हो? हम अपनी ओर से कुछ नहीं मांगते, हम आपके कानून की रूह से मांग करते हैं। आपका कानून है। आप कानून के अनुसार आपके सिद्धांत के अनुसार क्यों हमको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट देते हैं यह मैं आपको निवेदन करूंगा। व्हाइट पेपर के अन्दर कई मिस्टेक्स हैं। व्हाइट पेपर कानून नहीं है, लेकिन कॉविनेन्ट कानून से भी अधिक सोलेम और सेन्क्टिटी रखने वाला डाक्यूमेंट है। व्हाइट पेपर एक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी है। उस स्टेटमेंट ऑफ पालिसी के अन्दर कई जगह गलतियां की गई हैं। व्हाइट पेपर के अन्दर लिखा है कि रूलर्स ने अपनी जागीरें दे दीं। रूलर्स के पास जागीरें नहीं हैं, रूलर्स के पास उनकी सम्पत्ति है। जागीरें वे कहां से लाने को थे? जागीर स्वामी से सेवक को जो ग्रांट दी जाती है वह है। अधिपति और अधीनस्थके सिद्धान्त के ऊपर जागीरों की उत्पत्ति हुई है। यह कहना कि the Rulers have surren-

Page No 87

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

dered their jagirs, यह एक गलत स्टेटमेन्ट है

माननीय मुख्यमन्त्री ने एक बयान शाया किया ७ जुलाई को | उसमें उन्होंने कहा कि रूलर्स की इन्कम रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आज बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी यही कहा। मैं तो समझता हूँ कि यह तो वैधानिक दृष्टिकोण फण्डामेंटल राइट्स के विरुद्ध है कि आप किसी एक व्यक्ति की आय को सीमित कर सकें, अगर उसके पांव में बल है या अगर उसके दिमाग में शक्ति है तो वह कमायेगा, खायेगा और अपनी आमदनी बढ़ायेगा और विधान उसके अन्दर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लायेगा। वह तो जो प्रिवी पर्स मिला करती है उसकी इनकम वह एक सीमा में थी उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर ले जाकर माननीय मुख्यमन्त्री ने अगर स्टेटमेंट को शाया किया तो मेरे ख्याल से वास्तविकता के विपरीत है। व्हाइट पेपर में यह कहा है कि नरेशों के वृक्षों के ऊपर जो विशेष अधिकार थे वे एक्सटिंग्विश्ड किये हैं। उनकी फेमिली मेम्बर्स की जागीरें प्रिवीपर्स से बिल्कुल पृथक कर दी हैं, वहां पर उनके अधिकार नष्ट किये हैं और अब जो कुछ उनको दिया it shall neither be increased nor decreased for any reason whatsoever.

इन सिद्धान्तों को लेकर व्हाइट पेपर ने अपनी पोलिसीज़ को दोहराया और रिसाइट किया। इस पर यह कहना कि रूलर्स को कोई अधिकार नहीं हैं अपनी आमदनी बढ़ाने का, कोई मोटर चलायेगा, कोई चाहे तो एरेबियन सी में डूब जाय या होटल चलावे। इससे आपका क्या लेना-देना ? गवर्नमेन्ट चाहेगी उसकी आमदनी कैसे छीन लेगी ? आप टैक्स के जरिये सब ले सकते हैं आय का १०० परसेंट या ११० परसेंट ले सकते हैं। लेकिन यह कहना कहां तक उचित है कि जब तक स्वतंत्र देश में विधान मौजूद है, आपको प्रोपर्टी रखने का या आय बनाने का अधिकार नहीं है। ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं जो विधान में विश्वास नहीं रखते, एक पार्टी में विश्वास रखते है, रक्त रंजित क्रान्ति में विश्वास करते हैं, वे यह कानून बनायेंगे रूस और चीन की तरह, यह अलग बात है। लेकिन जब तक संविधान विधान है, मैं समझता हूं विधान सभा बहुत हद तक क्रियेशन ऑफ कोवेनेंट है, तो मेरा यह निवेदन है .....

श्री मानिकचंद सुराणा (लूणकरणसर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके वक्तव्य को ऑपोज़ करता हूं कि विधान सभा कोवेनेंट का क्रिएशन है। यदि विधान सभा क्रियेशन है तो कॉंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का क्रियेशन है। आपके कोवेनेंट को भी कॉंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया है, इसलिये उसकी मान्यता हो सकती है। इसलिये जो सदन के अधिकार हैं उसके बारे में आपने जो शब्द कहे हैं वे अनुचित हैं; अतः उन शब्दों को सदन की प्रोसिडिंग्ज़ में से निकाल दिया जाय ..

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!! विधान सभा न कोवेनेंट का क्रियेशन है और न कॉंस्टिट्यूशन का क्रियेशन है। Constitution is an expression of the Peoples' will and it is the supreme expression.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस ऑगस्ट असेम्बली के संबंध में मेरा कभी यह इन्टेन्शन

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

या डिजायर नहीं हो सकता कि मैं इसके बारे में कोई एस्पर्शन कास्ट करूं। यदि मेरे शब्द ऐसे निकल गये हों तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा याचना करता हूं, मेरा यह कहना है कि कांवेनेन्टिंग स्टेट्स के रूलर्स ने जो त्याग किया उससे कुछ हद तक राजस्थान का निर्माण हुआ। इसमें शक नहीं कि कांस्टीटयूएन्ट असेम्बली द्वारा विधान बना और उसके अंतर्गत इस ऑगस्ट एसेम्बली का गठन हुआ। यदि इस संबंध में कोई गलत शब्द मुझसे निकल गये हों तो मैं पुनः करबद्ध क्षमा-याचना करता हूं।

तो मेरा यह कहना है उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की ३६२ वां अनुच्छेद है; वह चंद चीजें इन रूलर्स को देता है और उसका ३६३ वां अनुच्छेद देकर वापिस लेता है :

"issues arising out of the Covenant are non-justiceable in character."

तो जो समस्याएं कोवेनेन्ट से उत्पन्न होती है, दूसरे शब्दों में वे बहुत कुछ हद तक भारत सरकार की मर्जी मुबारिक पर मुन्हसर थीं। जो कोवेनेन्ट आपसी निर्णयानुसार कलमबद्ध हुआ उसके लिये लेजिस्लेशन लाना अनुचित है। ३६३ के अनुच्छेद में जो सिद्धान्त है उसके अनुसार मैं समझता हूँ यह लेजिस्लेशन अनुचित है। मैं आपको उदाहरण के रूप में कहूं, एक थोड़ी सी उलझन पैदा हुई, वह उलझन थी, अवश्य थी। जिनको आश्वासन दिया था कि आजन्म पर्यन्त आप राजप्रमुख रहोगे, उनको बुलाया गया और उनसे कहा कि जब संविधान के अनुसार पार्लियामेन्ट की अवधि ५ वर्ष की होती है तो कोई आजन्म राजप्रमुख रहे, यही ठीक नहीं। उस पर उन रूलर्स ने पूछा कि आप क्या चाहते है, कहिये ? जो वहां पर बातचीत हुई उसका परिणाम आपको विदित है। अभी थोड़े दिन पहले भोपाल की गद्दी का मामला लेजिस्लेशन से तय नहीं हुआ, बल्कि आपसी बातचीत हुई। आपकी जो आपत्तियां हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है यदि वह वाजिब आपत्ति है तो। यदि आप हमें डरा-धमका कर कुछ कराना चाहते हैं तो कभी नहीं करा सकेंगे। यदि मान के साथ करना चाहते हैं तो बात दूसरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्वस्त सूत्र से सुना है कि भारतीय गृह मंत्रीजी ने राजस्थान के चंद नरेशों को इस संबंध में बातचीत के लिये बुलाया है। मैं सरकार से और प्रभारी मंत्रीजी से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अभी तावड़ तोड़ में पास करके लाभ नहीं उठा सकेंगे। यदि आप इस विधेयक को कुछ समय के लिये स्थगित करेंगे तो मेरी समझ में इसमें सरकार को हानि नहीं है, बल्कि इससे सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक विचारार्थ चल रहा है इस संबंध में सर्व प्रथम यह आज मौजूदा सरकार के लिये ......

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मै सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि इस विधेयक के ऊपर चर्चा कल तक होती रहेगी।

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर विवाद कल भी चालू रहेगा।

Page No 89

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा जहां आज जो शासनारूढ़ राज्य सरकार है उसको बधाई दे रहा था, वहां मैं राज्य सरकार की इस प्रकार की चीज के बारे में निन्दा किये बिना नहीं रह सकता कि इस प्रकार का विधेयक उनको आज से १२ साल पहले लाना चाहिये था। आज यह ठीक है कि 'देर आयद दुरुस्त आयद'। अब भी समय पाकर सरकार ने जनता की इच्छा के सामने घुटने टेक कर इस प्रकार का विधेयक लाने की हिम्मत की है, सरकार ने यह जो हिम्मत दिखाई है मैं उसके लिये सरकार को बधाई दूंगा।

साथ ही जिन एक्स रूलर्स अथवा नरेशों का सवाल है उनके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। इसमें दो राय नहीं है कि मौजूदा हिन्दुस्तान के निर्माण में नरेशों का त्याग और बलिदान रहा है, उसके लिये मैं अवश्य उनको बधाई देता हूं और उस त्याग की जरूर प्रशंसा करना चाहता हूं। पर साथ ही यह नहीं भूलना चाहिये कि इन नरेशों में से कुछ ऐसे नरेश भी थे जिन्होंने समझ के फेर के साथ दौड़ने की कोशिश की। मैं उन तमाम बातों को एक एक करके सदन के समक्ष नहीं रखना चाहता कि किस प्रकार उन्होंने देश की आजादी में अड़ंगेबाजी की, कि किस तरहसे जन-साधारण को कुचला, किस तरह आनेवाली हवा को बदलने के लिये जुरंत की। मैं उन बातों में आज नहीं जाऊंगा कि देशी नरेशों के अधिकार में किस तरह लोग गोलियों से कुचले गये, मौत के घाट उतारे गये, किस तरह से एक के बाद एक उन पर अत्याचार हुए। मैं आज उन बातों की तरफ ध्यान दिला कर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। उस जमाने में सन् ४७ से पहले जिस समय अंग्रेज हिन्दुस्तान से गये थे, यहां पर ५६२ राजाओं का राज्य था...

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं सूचित करदूं कि सदन की बैठक आज ८.३० बजे तक चलेगी।

श्री मुकुटबिहारीलालगोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन केसम्माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था कि यह समय का फेर था कि उसके सामने प्रत्येक व्यक्ति को झुकना पड़ा। जहां तक राजाओं के त्याग की प्रशंसा करता हूं वहां पर इस तथ्य को भी नजर अन्दाज नहीं करना चाहिये कि उनमें से उस समय कुछ ऐसे भी नरेश थे जिन्होंने समय के सामने, जन-बल के सामने, जनता की क्रान्ति, त्याग और बलिदान के सामने घुटने टेके नहीं थे। कई नरेश उनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि प्रथम चुनाव के समय राजस्थान के बहुत से राजा पाकिस्तान के जिन्ना के साथ में साठ गांठ कर रहे थे......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सन् ५२ से पहले ही जिन्ना की मृत्यु हो गई थी।

श्री मुकुटबिहारीलालगोयल: मैं आपको याद दिलाऊं सम्माननीयसदस्यों को किमिस जुबीली वाला कांड और किस तरह से इन तमाम बातों को लेकर पाकिस्तान में षडयंत्र हुए। अब मैं केवल एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

तो मैं कह रहा था कि यह ठीक है कि नरेशों ने बलिदान किए, उन्होने बड़ी बुद्धिमत्ता

Page No 90

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

का काम किया। जिस वक्त अंग्रेज गये थे वे ५६२ राजाओं को स्वतंत्र कर गए थे। वे अपनी सोवरेन्टी या पेरेमाउन्सी के अनुसार रह सकते थे। अंग्रेजों ने देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। वे हमारी आजादी को छिन्न भिन्न कर गए थे। लेकिन जनता की इच्छा शक्ति के आगे और सरदार पटेल, लौह-पुरुष, की बुद्धिमता के कारण, वह बीज सफल नहीं हो सकी। राजाओं को समान अवसर था, स्वतंत्रता थी कि वे पाकिस्तान में मिल सकते थे, हिन्दुस्तान में मिल सकते थे या स्वतंत्र रह सकते थे। किन्तु जनता की जो क्रांतिकारी भावना थी, जो समय की पुकार थी, उसके सामने नरेशों को घुटने टेकने पड़े और संविधान पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। यह तथ्य भी हमें नहीं भूलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को निवेदन करूंगा कि मैं यह नहीं कहता कि समस्त राजा खराब थे, मैं यह नहीं कहता कि समस्त राजा अच्छे थे। राजाओं में बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे अच्छे आदमी थे जिन्होंने देश की क्रांति में बड़ी देश भक्ति का परिचय दिया। ऐसे ऐसे नरेश थे जिन्होंने इस हिन्दुस्तान के निर्माणमें अपना बड़ा योग दिया। मैं साथ ही एक बात और निवेदन करूं कि हम लोगों को भी भावी हिन्दुस्तान का निर्माण करना है। हिन्दुस्तान के अंदर आजादी आयी है, यह बात मानते हैं, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता अभी इसके अंदर नहीं आई है। आज अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उसे पाटना पड़ेगा, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वह भी समय था कि यह स्थिति कि जो रानी के घर में पैदा होगा वह मालिक होगा, वह सिद्धांत बदल गया समय के अनुसार। तो अब केवल उन बातों की दुहाई कि कांविनेन्ट में क्या था व्हाइट पेपर में १६५० में क्या लिखा है; आज उन चीजों की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह समय की एक पुकार थी। तो मैं कह रहा था कि हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि राजा सभी अच्छे थे या बुरे थे, इसलिए उनको नहीं हटा दिया। उनको इसलिए हटाया कि देश के अन्दर क्रांति की लहर थी। समय की आज भी पुकार है कि अमीरों और गरीबों के बीच जो अन्तर है, उसे खत्म करना चाहिए। आज हम प्रिविलेज्ड और नोन-प्रिविलेज्ड क्लास के बीच खाई हटाना चाहते हैं। मैं महारावल साहब, विरोधी दल के सम्माननीय नेता के उन शब्दों की सराहना करता हूं जिस समय उन्होंने कहा कि जो कमाएगा वह खाएगा। आज इस स्वतंत्र भारत के अंदर यह डंस और मारसेलस सिस्टम बदलना चाहिए। अब वह जमाना चला गया। आज हिन्दुस्तान का आम नागरिक, राजस्थान की आम जनता टैक्सों के द्वारा, खून और शोषण की कमाई के द्वारा राजस्थान सरकार के खजानों को भरे और लाखों और करोड़ों की तादाद में रुपया उनके प्रिवीपर्सों के रूप में देंगे। यह डंस और मारसेलस का सिस्टम नहीं है। कोई कमाता है और कोई खाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह कौनसी डिक्शनेरी की चीज है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आप समझ नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि पर मुझे तरस आती है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

तो आज हमको उस सिद्धांत पर चलना पड़ेगा कि जो कमाएगा वह खाएगा । मैं राजाओं से निवेदन करूंगा कि वे विशाल हृदय से देखें, मन के अन्दर मन-मुटाव नहीं रखें। उन्होंने आधुनिक हिंदुस्तान के निर्माण में कुछ योग दिया है। तो मैं अपील करूंगा कि इस तरह से वे कटुता का वातावरण पैदा नहीं करें । इस प्रकार की धमकियां नहीं दें। इससे कौनसा आसमान जमीन पर उतर आयेगा ? उनको समय की पुकार के सामने विशाल हृदय का परिचय देना चाहिए। अगर वे नहीं जागेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि समय की पीढ़ी उन्हें जगाएगी। आज समय है जबकि वे स्वत: ही बलिदान के सिद्धांत को देखें और उस पर खड़े हों और प्रिवी पर्सों का बलिदान करें।

मैं निवेदन करूंगा कि आज जयपुर के नरेश के यहां करोड़ों की सम्पत्ति है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, हीरे जवाहरात हैं और विदेशों में अरबों और खरबों की सम्पत्ति हैं; फिर भी राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई प्रिवी पर्सों के रूप में उन्हें मिलती है। इस प्रकार की चीजों को आज जमाना बर्दाश्त करने वाला नहीं है।

तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय की पुकार है, समय बहुत बलवान हुआ करता है । इसलिए जमाना है कि वे समय की रफ्तार को पहचानें। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है । सरकार को आज से १० वर्ष पहले इस प्रकार का विधेयक लाना चाहिए था ।

आज म्यूनिसिपल लॉज़ हैं। टीनेन्सी लॉज़ हैं, वे उन पर लागू होने चाहिये। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। हो सकता है, उसकी राजाओं के साथ साठगांठ हो। जहां तक इस समस्या के कानूनी पहलू का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि संविधान का अनुच्छेद ३६२ है उसके अन्दर साफ तरीके से लिखा है। २९१ पर जो अनुच्छेद है उसके अन्तर्गत वर्णित, जो उनके अधिकार हैं उनके लिये जो विशेष तरीके के प्रिविलेजेज दिए हुये हैं यानी विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ? उसका मतलब केवल प्रिवी पर्स से है, क्योंकि इस सम्बन्ध मे एक आथॉरिटी पेश करता हूं जो नागपुर हाई कोर्ट की है। मैं सदन का ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, १९५३ के नागपुर की एक नजीर की ओर आकर्षित करता हूं । ८६ नम्बर के पन्ने पर उसमें इस बात का निश्चय किया गया है कि जो अनुच्छेद ३६२ है वह केवल प्रिवी पर्स से ताल्लुक रखता है और दूसरे प्रकार के अधिकारों से संबंध नहीं रखता । यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भी यह मामला गया १९५२ के अन्दर। वहां फैसला हुआ (पेज २५२)। वहां यह बात निश्चय की गई है कि सरकार को जमीन अवाप्त करने का अधिकार है। यही नहीं, मैं उड़ीसा हाई कोर्ट की एक दूसरी नजीर पेश करता हूं (१९५७; पेज २४)। इस बात को साफ तरीके से रख दिया गया था कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार हैं। जहां पर कानून का सवाल है, इसमें कुछ खामियां रह गई हों, कुछ शब्दों का जंजाल रह गया हो परन्तु मैं तो निवेदन करूंगा कि महाराजाओं और राजाओं की पुरानी जमीन नहीं रहीं, अब आपकी सदियों पुरानी परम्परायें नहीं रहीं । कोई कह सकता है कि हमारे पुरखों ने बाहुबल से राज्य कायम किया था, कोई कह सकता है कि हमने सुधार करके राज्य कायम किया था।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कोई कुछ कह सकता है और कोई कुछ कह सकता है। जब आपकी पुरानी परम्परायें कायम नहीं रहीं समय की पुकार के सामने तो यह चीज भी नहीं रहने वाली है। तो इसमें आपको बौखलाहट क्यों है ? आपको बुरा मानने वाली बात सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह बिल जमीन के संबंध में है, उनकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में है आज हमारा यह सिद्धांत है वह पंचतत्व का सिद्धांत है। जिस तरह पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि को पंच तत्व माना गया है, उसी तरह जमीन के लिये पंचतत्व का रूप दिया गया है। यह परमात्मा का रूप है। जमीन को मातृ-रूपिणी माना है :

"जमीन मातृ रूपिणी, पुनीत है, पवित्र है।
समीर, वारी, वायु, का समान ही चरित्र है।"

यह इस प्रकार की बात है जिसे पुकार पुकार कर हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक कहता है। जब जमीन का रूप हम माता का रूप मानते हैं तो आज के जमाने में यह बात चल नहीं सकती है कि हम अपने को जमीन का स्वामी मान लें। क्योंकि अगर जमीन माता है तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उस माता का कोई स्वामी बनने की जुर्रत करें। यह बात अपने आप में अटपटी मालूम पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे एक तरफ, जिसमें उदाहरण के तौर पर बताऊं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): तब आपके भाई कैसे पैदा हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, यदि एक तरफ यह बात कहते हैं कि जमीन माता के समान है और दूसरी तरफ यह बात कहने की जुर्रत करें कि मैं जमीन का मालिक हूँ, मैं माता का मालिक हूं तो ये बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को आपकी आज्ञा से दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो हमारी राजनीति में, हमारे भारत में हमेशा से एक अराजकता फैलाने का काम करते रहे हैं। वे लोग इस समय की पुकार, समय की आवाज, किसानों की आवाज को हंसी-मजाक में टाल कर बहकी बहकी बातों को स्थान दे देना चाहते हैं। मैंने निवेदन किया था कि जमीन मातृ-रूपिणी है, इसका मतलब यह है कि जमीन को मैं खुद मानता हूं कि जमीन माता है, माता के सदृश्य है पंचतत्व में सर्वोपरि है और उसके साथ कहूं कि मैं जमीन का मालिक हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ जमीन को माता मानता हूं और दूसरी तरफ मालिक होने की जुर्रत करता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं माता का मालिक बनना चाहता हूँ। यह हमारे समाज के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है।

श्री रामकिशन (बैर) : कॉम्युनिस्ट विचार-धारा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: हां, यह यह हो सकता है यह कॉम्युनिस्ट विचाराधारा हो सकती है। मेरे लायक दोस्त मंजूर करते हैं कि वे माता के स्वामी बन कर रहें। यह इस वक्त नहीं चल सकता। जिस वक्त आपकी चलेगी उस वक्त हम देखेंगे और उस वक्त इसकी धज्जियां उड़ायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपको व्यथा-कथा नजर आ रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास(आसीन्द : आप पिता किसको मानते हैं। पिता कौनसा है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम पिता ईश्वर को मानते हैं, धरती को हम लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। आप इन बातों में मत जायें, आपकी समझ पर मुझे बड़ी दया आती है। यह हमारा दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नही सकता क्योंकि यह प्रिविलेज का सवाल बन जायगा; फिर माननीय सदस्य कहें कि हमारे लिए बुरी बात कह दी। इसलिए मैं ज्यादा कहना पसन्द नहीं करूंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां कानूनी मसला है, उसके तहत उसकी सब बातों पर गौर नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि कानून समय के अनुसार चलता है, न कि हम कानून के अनुसार चलते है। इसके साथ ही कानून हमारी रक्षा करने के लिए है, न कि हम कानून की रक्षा करने के लिए। यह सदन कानून इसलिए पास करता है कि जनता को कोई मांग पूरी करना चाहता है. समय को कोई मांग पूरी करना चाहता है और इसीलिए न्याय-संगत तरीके से उस पर वह मोहर लगाता है। कानून हमेशा समय की पुकार के पीछे रहा है। आज समय की पुकार है कि हम समाज के अन्दर समानता लाना चाहते हैं और उस समय की पुकार के अनुसार समानता की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो जो कानून का सवाल है, कोवेनेन्ट का सवाल है, ट्रीटी का सवाल है, एग्रीमेंट का सवाल है वह आज की व्यवस्था से मेल नहीं खाता है, वह पुरानी चीज है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ८.४१ बजे मंगलवार, दिनांक २० अगस्त १९६३ के २.३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No 94

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १६ अगस्त, १९६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

बकाया रकम की वसूली । १

गांधीविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति ।

मच्छियों का ठेका ।

गबन ।

अलवर जिले के मन्दिरों में स्कूल ।

भीलवाड़ा जिले के उद्योगपतियों को वितरित कोटा ।

नावा तहसील के स्कूल ।

गुमाश्ता मंडल जोधपुर का प्रस्ताव ।

अनाज के भाव ।

जयपुर जिले की कृषि सहकारी समितियां ।

राज्य के सीमावर्ती गांवों में शिक्षा का प्रसार ।

शीघ्र-लेखन एवं मुद्र लेखन का प्रशिक्षण ।

कागव कुंज भील कोलोनी ।

पंचायत समिति नीम का थाना को रट्टी बीज की सप्लाई ।

भरतपुर जिले के छात्रों को छात्रवृत्ति ।

पंचायत समिति सांचोर के शिक्षक ।

स्कम्भ

भाखरा क्षेत्र के भूमि-हीन किसान ।

सेंटलमेन्ट ग्रोपरेशन्स की क्रियान्विति ।

नेहरू एवार्ड ।

मंत्रियों के दौरे पर व्यय ।

मांगरोल ग्रौर बिनौता में पीली मिट्टी की खुदाई ।

कृषि विषय के ग्रेजुएट्स ।

सचित्र राजस्थान ।

रेगर लोगों को ग्राबादी की भूमि ।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोटा ।

पंचायत समिति मालपुरा के बजट ।

राजस्थान वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन की हिस्सा पूंजी ।

राज्य के सीमावर्ती इलाकों में उद्योगों को प्रोत्साहन ।

गिरदावरी की पर्चियां, तहसील लक्ष्मणगढ़ ।

पदमपुर मंडी ।

नागौर जिले में लोहे का कोटा ।

जिला बांसवांड़ा के भूमि-हीन काश्तकार ।

एमोनियम सल्फेट में नमक ।

स्कम्भ

पीतल के बरतन बनाने वाली फैक्ट्रियां।

मंत्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव ६६

निम्नांकित सदस्यों द्वारा दिये गये मंत्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों को सदन के समक्ष पढ़ा गया :—

(१) श्री मुरलीधर व्यास,

(२) श्री रामानन्द अग्रवाल,

(३) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह,

(४) श्री उमरावसिंह ढावरिया,

(५) श्री भैरोंसिंह व

(६) श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल।

सर्व श्री मुरलीधर व्यास, महारावल लक्ष्मण सिंह उमरावसिंह ढावरिया, भैरोंसिंह तथा मुकुटबिहारीलाल के प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाने के पक्ष में सदस्यों की समग्र संख्या के पांचवे भाग से अधिक संख्या में सदस्य खड़े हुए, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सूचित किया गया कि उपरोक्त सदस्यों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी सूचित किया गया कि इन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की तिथि बाद में नियुक्त की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल के प्रस्ताव के पक्ष में सदस्यों की समग्र संख्या के पांचवे भाग से कम संख्या में सदस्य खड़े हुए, जिस पर अध्यक्ष

स्कम्भ

महोदय द्वारा सूचित किया गया कि उनके प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

स्थगन-प्रस्ताव ७२

सर्व श्री कुमारानन्द एवं योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा, के क्रमशः अजमेर जिले व बीकानेर डिविजन में वर्षा के अभाव के कारण अकाल से उत्पन्न स्थिति से संबंधित तथा सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं विजयसिंह झाला, सदस्य विधान सभा, के स्वर्ण नियन्त्रण कानून के फलस्वरूप राज्य में बेकार हुए स्वर्णकारों को रोजगार देने आदि से संबंधित स्थगन-प्रस्तावों को अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

मुख्यमंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया तथा श्रम मंत्री श्री भीखाभाई, स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु उपरोक्त विषयों पर वक्तव्य देंगे।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति ७३

श्री हरिदेव जोशी, सदस्य, विधान सभा, को दिनांक १६ अगस्त सन् १६६३ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ७३

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गए :—

(१) विधेयकों का विवरण

सचिव, राजस्थान विधान सभा ने गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखा :—

Page No 96

क्रम

1. The Rajasthan State Cattle Fairs Bill, 1963.

(राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १६६३)

2. The Motor Vehicles [Rajasthan Amendment] Bill, 1963.

[मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६३]

3. The Rajasthan Finance Bill, 1963.

(राजस्थान वित्त विधेयक, १६६३)

4. The Rajasthan Land Revenue [Surcharge] [Amendment] Bill, 1963.

[राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधयक, १६६३]

5. The Rajasthan Home Guards Bill, 1962.

(राजस्थान होमगार्ड्स विधेयक,१६६२)

6. The Rajasthan Nois s Control Bill, 1963.

[राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण विधेयक, १६६३]

7. The Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation [Amendment] Bill, 1963.

[राजस्थान मोटर स्प्रिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६६३]

क्रम

8. The Rajasthan Municipalities [Amendment] Bill, 1963.

[राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक १६६३]

(२) नियम आदि ७८

अ. श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने कोटन ट्रान्सपोर्ट अधिनियम, १६६३ की धारा ८ के अन्तर्गत राजस्थान कोटन ट्रान्सपोर्ट नियम १६६३ के प्रारूप को सदन की मेज पर रखा।

आ. श्री भीमसिंह उपयातायात मंत्री ने मोटर वेहिकल्स अधिनियम, १६३६ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत होम "बी" विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी:—

(क) अधिसूचना संख्या एफ. ७ (३) (३४) एच बी. जी आर. १,६२, दिनांक २८ फरवरी, १६६३, निम्नांकित शुद्धि-पत्रों सहित: —

(i) शुद्धि-पत्र संख्या एफ. १ (३) (३४) एच. बी. जी आर. १।६२ दिनांक १६ मार्च, १६६३ तथा

(ii) शुद्धि-पत्र संख्या एफ. १ (३) (३४) एच. बी. जी. आर. १।६३ दिनांक १० अप्रेल, १६६३ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल्स, १६५१ की अनुसूची संख्या ८ में संशोधन किये गये हैं।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. १ (३) (१६) एच. बी. १।६३, दिनांक २८ जून,

१९६३ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वेहिकल्स नियम, १९५१ के नियम ८६ तथा अनुसूची संख्या ८ में संशोधन किये गये हैं।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ. १ (१)।१७। एच. (बी. ।जी. आर. ।१)।६१ दिनांक ११ जुलाई, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वेहिकल्स नियम, १९५१ की अनुसूची संख्या १ में संशोधन किये गये हैं।

३. प्रतिवेदन ७५

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने वेयर हाउसिंग कोर्पोरेशन अधिनियम, १९६२ की धारा ३१ (११) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कोर्पोरेशन, जयपुर से सम्बन्धित निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे:—

(क) Audit Report, together with copies of Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Rajasthan State Warehousing Corporation for the year ending 31 st March, 1961.

(३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट, बैलेन्स शीट तथा प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट सहित)

(ख) Audit Report, together with copies of Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Rajasthan State Warehousing Corporation for the year ending 31 st March, 1962.

(३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान वेयरहाउसिंग कोर्पोरेशन की ऑडिट रिपोर्ट, बैलेन्स शीट तथा प्रोफिट एण्ड लोस एकाउन्ट सहित)

६. विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किया गया विधेयक ७७

राजस्थान सार्वजनीन न्यास (संशोधन) विधेयक १९६३ [The Rajasthan Public, Trusts [Amendment] Bill, 1963] सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरः स्थापित किया गया।

(ख) प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ७८

श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, ने राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३ [The Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Landowners' Estates Bill, 1963] पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमति पत्रों सहित, उपस्थापन किया।

(ग) विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान भूमि-सुधार तथा भू स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३ ७८

The Rajasthan Land Reforms and Acquisition of LandownersEstates Bill, 1963]

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रमादी मंत्री, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री मुरलीधर व्यास ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने तथा सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व मानिकचन्द सुराणा ने ने विधेयक को एक नई प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

स्कम्भ

प्रस्तुत प्रस्तावों पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री मथुरेशबिहारी

(२) श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(३) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

श्री मुकुटबिहारीलाल बोल रहे थे कि सदन की बैठक ८ बजकर ३० मिनिट पर मंगलवार दिनांक २० अगस्त, १६६३ को दिन के २-३०

स्कम्भ

बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार दिनांक २० अगस्त, १६६३ की कार्य-सूची

(१) कार्य-सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(२) राजस्थान भूमि-सुधार तथा भू-स्वामियों कि भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १६६३ (अग्रेतर विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

बीज गेहूं

			बाढ़ी सहित वसूली	जमा	बाकी	रकम
१.	सन् ५६-५७	१०० मन	१२५ मन	५८-१२-८	६६-२७-८	१३३३.७५
२.	सन् ५७-५८	८२ मन २० सेर	६७ मन ३८ सेर १२ छ०	१४-२८-८	८३-१६-४	१५२२.७१
३.	सन् ५८-५९	५० मन	४६ मन १५ सेर	—	४६-१५	१२३२.००

खाद

१.	सन् ५७-५८	१ टन सुपरफास्फेट	—	—	२९०.००	२९०.००
२.	सन् ५८-५९	१२ हन्डरवेट	—	—	४४४.००	४४४.००
३.	सन् ५८-५९	२ टन अमोनियम सल्फेट	—	—	७६०.००	७६०.००
					टोटल	५५८२.४६

————

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर देखिये)

पाक सीमा पर सन् १९६३-६४ में स्वीकृत की गई पाठशालाओं की सूची

क्रम संख्या	जिला एवं पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां पाठशाला स्वीकृत की गई	जन संख्या	अन्य ग्राम का नाम एवं दूरी
१	२	३	४	५
१. बीकानेर जिला				
	१) बीकानेर	१) अकासर	२६०	अकासर गुलामअलि वाला
		२) रानीसर पूगल	२१८	फलावली पहलवान का बेटा रानीसर १० मील
		३) रामड़ा	२१८	भूटो का कुंआ रामड़ा ४ मील
		४) सूरासर	२१६	सूरासर ५ मील करीब
		५) नवाढाणी	१५०	सैयासर चौगान १५ मील
		६) पंचकोस	१५०	सैयासर पंचकोस ६ मील
		७) गंगाजली	२००	गणेशवालो कुमार वालो ढाणी खोरमवाली, उकेरणा वाली ढाणी, १० मील
		८) गोगवे वाला	१४०	भाडरी, रमाई मूंगेर वाला १० मील
		९) राणी वाला	८८	करणपुरा राणवाला १२ मील
२. जालोर जिला				
	१) सयला	१) ढालू	६००	
	२) रानीवाड़ा	१) जेतपुरा	४३१	
		२) केर	२५८	
		३) चांदपुरा	२५२	
		४) बाड़ा भोज	२०६	
		५) भाकराड़ा	३३६	

१	२	३	४	५
३. बाड़मेर जिला				
	१) शिव	१) जालेला (कोटड़ा)	४६६	रासजी की ढाणी तालाकायार गोरला ६ मील
		२) नोपार	५६६	पीथासार, बेरीसार, बिजासरलो मानयेली, ६ मील
		३) सुथारी का पार	४२६	मेघवालों की ढाणी, मेघालों की ढाणी पादरिया परल, हमीर कायर ६ मील
		४) पनंला	४०६	मदन कायार, रेलिया लाघो का तला ४ मील
		५) रतरेड़ी	५३२	केलनली जोने का बेरा २० मील
		६) चेतरेड़ी	४६५	साधा की बस्ती, केसरसिंहकी बस्ती २० मील
	२. चोहटन			
		१) भलगांव	५६६	
		२) बद्वाल	२२८	
		३) झाड़ा	६६१	
		४) नवातलारठिया	४२२	
		५) सूजा का निवांण	३६८	
		६) दियला	४७७	
		७) कातला	१०२	
		८) भरबी का गयन	४६३	
		६) रासबानी	३४२	
		१०) सुमेल कातला	२२५	
		११) कुम्हारों का टीबा	२४५	
		१२) भीलों कातला	११०	

१	२	३	४	५
		१३ भाली का ताला	४२५	
३. बाड़मेर				
		१) लकड़ीयाला	५००	
४. जैसलमेर				
	१. जैसलमेर			
		१) पन्ना	७४२	
		२) बहरामसर	१५६	
		३) खिरवाड़ा	१३५	
		४) मजंना	१४१	
		५) खारा	२००	
		६) बोहा	१६६	
		७) घंटियाली	१३५	
	२. संकरा	१) लखासर मदासर	३५६	
		२) कानोजी की ढाणी	३५०	
		३) ऐका	३१०	
		४) केरालिया	३१०	
		५) मोडरेली	३१०	
		६) खेतसिंह की ढाणी	३००	
		७) बरडाना	३००	
		८) संग्रामसिंह की ढाणी	२६५	
		९) थाट	२८७	
५ गंगानगर				
	१. करनपुर	१) चक १	३१०	
		२) चक ४५ एफ	३५३	
		३) चक ७ एस	३५७	
		४) चक २ एफ २	३१७	

Page No 103

१	२	३	४	५
		५) चक ४० एच	२२६	
		६) चक १२ एफ ए	१३४	
	२. मिजावाल	१) खवाना	२८३	
		२) चक ६ एच	३३०	
		३) चक ३ डी	२५०	
		४) चक ३ सो	११३	
		५) दोलत परा	२००६	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर देखिये)

APPENDIX-A

STATEMENT SHOWING T. A. & D. A. DRAWN BY THE MINISTERS AND DY. MINISTERS DURING THE PERIOD FROM MARCH, 61 TO FEBRUARY, 62.

S. No.	Name	T A	D. A.	Total
	MINISTERS.			
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia	2,593.38	2,082.84	4,676.22
2.	Shri Hari Bhau Upadhyaya	1,858.68	2,103.27	3,961.95
3.	Shri Nathu Ram Mirdha	1,162.81	1,391.42	2,554.23
4.	Shri Harish Chandra	3,003.11	1,820.86	4,823.97
5.	Shri Bheeka Bhai	670.89	2,560.53	3,231.42
6.	Shri R. C. Dhariwal	6,933.45	1,751.04	8,684.50
7.	Shri R. C. Chaudhari	1,740.44	1,589.47	3,329.91
8.	Shri R. K. Vyas	3,603.83	700.10	4,303.93
9.	Shri Damodar Vyas	454.27	1,411.57	1,865.84
10.	Shri Badri Pd. Gupta.	2,332.71	1,341.26	3,673.97
11.	Shri Sampat Ram	856.50	1,006.54	1,863.04

Dy. MINISTERS.

1.	Shri Barkatullah Khan	9.562.93	1,744.92	11,307.85
2.	Shri Daulat Ram Saran	332.77	1,341.10	1,673.87
3.	P. C. Bishnoi	1,211.70	1,242.09	3,453.79

APPENDIX 'B'

Statement showing T. A. & D. A. drawn by the Ministers and Dy. Ministers during the period from March, 1962 to July, 1963.

S. No.	Name of the Minister.	T. A.	D. A.	Total
	MINISTERS.			
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia, C. M.	4,234.65	1,681.50	5,916.15
2.	Shri Hari Bhau Upadhyaya, Education Minister.	176.94	1,513.00	1,689.94
3.	Shri Mathura Das Mathur, Home Minister.	1,827.63	2,075.54	3,903.17
4.	Shri Nathu Ram Mirdha, Agriculture Minister.	7,514.25	1,699.40	9,213.65
5.	Shri Harish Chandra, P. W. D. Minister.	5,103.54	2,076.50	7,180.04
6.	Shri Bal Krishna Kaul. Finance Minister.	1,205.56	2.328.62	3,534.18
7.	Shri Bheeka Bhai, Irrigation Minister.	1,549.57	1,973.95	3,5,23.52
8.	Shri Barkatullah Khan, Health Minister.	12,157.88	1,916.75	14,073.53
	DY. MINISTERS.			
1.	Shri Daulat Ram Saran.	352.00	1,460.00	1,812.00
2.	Smt. Kamla Beniwal.	107.00	984.00	1,091.00

परिशिष्ट [

3.	Smt. Prabha Mishra.	123.00	3,118.25	3,241.25
4.	Shri Paras Ram Maderna.	625.25	1,700.50	2,325.75
5.	Shri Bhawani Shanker Nandwana.	—	3,000.00	3,000.00
6.	Shri Ram Prashad Ladha.	647.25	1,853.00	2,500.25
7.	Shri Chandan Mal Baid.	3,597.56	2,438.75	6,036.31
8.	Shri Dinesh Rai Dangi.	186.61	3,078.25	3,264.86
9.	Shri Niranjan Nath Acharya.	544.48	1,797.50	2,341.98
10.	Shri Bheem Singh.	932.89	1,202.00	2,364.89

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

From

The Deputy Director, Social Education, Rajasthan, Jaipur.

To

All the Inspectors of Schools.

No. DDSE/Genl/B/D/24/6/63. Dt/—13. 11. 1962.

A copy of the Government order No. F. 2 [68] Edu [IV]/62 dated the 6th November, 1962, for subscribing to Sachitra Rajasthan by educational institutions is given below.

All educational institutions for which the magazine is approved [High, Higher Secondary Multipurpose and Middle Schools] should subscribe to the magazine from their individual budgets and the compliance report has to be sent to the Education Secretary. The High/Higher Secondary/Multipurpose Schools place their orders and send their subscription direct to the publishers and for Government Middle Schools the subscription should be sent by the Inspectors of Schools. The aided High/Higher Secondary/Multipurpose and Middle Schools should also be asked to subscribe.

The weekly magazine Sachitra Rajasthan is published by Shri Krishna Kumar Ranga, Jagtijot Press, Mishra Rajaji-Ka-Rasta, Jaipur. The annual

subscription of the magazine is Rs. 36.00. Compliance report may kindly be sent to me.

Sd--

Deputy Director Social Education.

Copy forwarded to all the Headmasters of High/Higher Secondary/ Multipurpose Schools for information and necessary action.

Sd--

Deputy Director Social Education.

Copy of letter No. F. 2 [68] Edu. [IV]/62 dated 6. 11. 1962 from the Secretary to Government, Education Department, Jaipur to the Deputy Director Social Education, Rajasthan, Jaipur.

Sub:—Purchase of Sachitra Rajasthan.

I am directed to say that the weekly magazine Sachitra Rajasthan published by Shri Krishna Kumar Ranga, Jagtijot Press, Mishar Rajaji Ka-Rasta, Jaipur, may be subscribed, as a special case, by all the education institutions for which the magazine has already been approved. The institutions may subscribe to the magazine from their individual budgets under intimation to this Department,

परिशिष्ट ५

(समयाभाव के कारण संदन में न लिये जा सके वाले प्रश्नोत्तर)

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोटा

३१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार को किन किन वस्तुओं का कोटा मिलता है ?

(२) गत दो वर्षों में इन वस्तुओं का कुल कितना कोटा मिला ? अलग अलग बताते हुए उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३) जो भी कोटा मिला उसको सरकार ने किस आधार पर वितरित किया ?

(४) क्या सरकार ने कभी इस बात की भी जांच की है कि जो कोटा वितरित किया

Page No 107

गया उसका उपयोग जिस उद्देश्य से लिया गया था उसमें किया गया या नहीं ?

उत्तर

लोहा

सीमेन्ट

कोल कोक

अलोहधातु (कोपर जिंक एलीम्युनियम, लेड) स्टेनलैस स्टील

(८) गत दो वर्षों में निम्नलिखित कोटा प्राप्त हुये हैं:—

लोहा (माइर्न स्टील):-

१–फर्स्ट हाफईयर ६१-६२ एस.एस.आई. ५६०६
एस.पी.आई. ६५४
जी.डी.एस. ७८
नोन एग्रीकल्चर २६८०

२–सेकिण्ड हाफईयर ६१–६२ एस.एस.आइ. ५६०६
एस.पी.आई. ८५४
जी.डी.एस ७८
नोन एग्रीकल्चर २६८०

३–फर्स्ट हाफईयर ६२–६३ एस.एस.आई. २३५६
एस.पी.आई. ३६०
जी.डी.एस. २६

४–सेकिंड हाफईयर ६२–६३ एस.एस.आई. २२००
एस.पी आई. ३६०
जी डी.एस. २६

सीमेन्ट:

पीरियड	४।६१	३६,६०० टन
„	१।६२	३६,६०० „
		३,००० टन एडहोक
„	२।६२	३६,०७८ टन
„	३।६२	३८,५३६ „
„	४।६२	३६,६००
„	१।६३	२७ ६७५
„	२।६३	३१,३६५
		५००० टन एडहोक
„	३।६३	३३,३०० टन
		६००० एडहोक

कोल:कोक:

जनवरी ६२ अप्रेल ६२	६१६	वैगन प्रतिमाह
मई-जून ६२	५४१	„
जुलाई-फरवरी ६३	७०७	„
मार्च ६३ से अबतक	८२५	„

जी.एम०एफ०एग्रीकल्चर:-जन. ६२ फरवरी ६३-७२
मार्च ६३ से अब तक ७६

अलोहा धातु:—

अप्रेल—सितम्बर ६१	५	टन
शीशा अक्टूबर-मार्च ६२	५	टन
अप्रेल ६२ सितम्बर ६२	५	टन
अक्टूबर—मार्च ६३	४½	टन

कोपर व जिंक:

अप्रेल सितम्बर ६१	कोपर ५०० टन	ज़िंक ६०० टन
अक्टूबर-मार्च ६२	„ ५००	„ ६०० „
अप्रेल-सितंबर ६२	„ ५३५	„ ४३५ „
अक्टूबर मार्च ६३	„ ५०२	„ ४३१ „

Page No 108

एल्मियुनियम:

अप्रेल-सितम्बर ६१	१७ टन
अक्टूबर-मार्च ६२	३४ टन
अप्रेल-सितम्बर ६२	३७ टन
अक्टूबर-मार्च ६३	३७ टन

टीन:

अक्टूबर६२-मार्च ६३ १८ टन

स्टेनलेस स्टील:—

३७ टन

(३) लोहा (आइरन स्टील):

एस०एस०आइ०: ये कोटा जिले के रजिस्टर्ड स्टोकिस्ट को वहां की इन्डस्ट्रीज की मांग को ध्यान में रखते हुए एलोट किया गया।

एम०पी०आई:-जो इन्डस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड है उनके उपसंचालक क्षेत्रीय की सिफारिश पर एलोट किया गया।

नोन एग्रीकल्चर:-रजिस्टर्ड स्टोकिस्ट को जिले की आबादी के आधार पर दिया गया व कलेक्टर द्वारा जनता को वितरण करने के लिये।

सीमेन्ट:- सीमेन्ट का वितरण जिले वार वहां की मांग तथा जन-संख्या के आधार पर कलेक्टर को पब्लिक को दिये जाने के लिये एलोट किया गया।

कोल कोक:-जिलाधीशों को जन संख्या के आधार पर एलोट किया गया। इन्डस्ट्रीज को क्षेत्रीय उप संचालक की सिफारिश पर व ईंट बनाने वालों को जिलाधीशों को वितरण के हेतु दिया गया।

अलोहा धातु:- क्षेत्रीय उप-संचालक की सिफारिश पर व इंडस्ट्रीज़ की क्षमता के आधार पर दिया गया।

स्टेनलेस स्टील:- इसका वितरण अभी नहीं हुआ है। ये होस्पिटल का सामान बनाने वाली युनिटों को दिया जावेगा।

जिला उद्योग अधिकारी व क्षेत्रीय उप संचालकों द्वारा जांच की गई है और जिन पार्टीज़ को दुरुपयोग करते हुये पाया गया उनको ब्लेक लिस्ट किया गया है और उनको भविष्य में कोटा देना बन्द करने के आदेश दिये गये हैं।

पंचायत समिति मालपुरा के बजट

३२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, मालपुरा ने वर्ष ६२-६३ व वर्ष ६३-६४ के बजट कौन कौन सी तारीखों को जिला परिषद टोंक को भेजे व जिला परिषद् की कौन कौन सी बैठकों में उन पर विचार किया गया ?

(२) क्या यह सच है कि पंचायत समिति मालपुरा ने सन् १९६२-६३ व ६३-६४ के बजट जिला परिषद को नहीं भेजे हैं, जो कानूनी गलती है ? यदि हां, तो बजट क्यों नहीं भेजे गये तथा पंचायत समिति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या नियमानुसार निश्चित समय में पंचायत समिति को बजट जिला परिषद को भेजना चाहिये था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

Page No 109

उत्तर

(१) वर्ष ६२—६३ व ६३—६ का बजट दिनांक २३—६—६३ को भेजा गया था तथा उसी तारीख को जिला परिषद की बैठक में उस पर विचार किया गया था।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान वेयर हाउसिंग कोर्पोरेशन की हिस्सा पूंजी

३३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :
Will the Co-operative Minister be pleased to state :-

1. Is it a fact that share capital of Rajasthan Warehousing Corporation was increased from Rs. 10 lacs to Rs. 15 lacs on 31-3-1960 ?

2. Is it a fact that this additional Capital of Rs. five lacs was subscribed by the Rajasthan Govt.

3. Is it a fact that whole of the additional amonnt remained unutilised during 1960-61 and 1961-62?

4. Is it a fact that the directions of the Central warehousiug Corporation require that the amount of Capital to be called by the State warehousing Corporation should depend upon their actual requirements after taking into account funds in hand, progiamme of work and past uantuqm of expenditure?

5. Have not these directions been violated in increasing the share capital of the Corporation?

6. If so, why such violation was committed when there is paucity of funds with the State Government?

उत्तर

1. Yes.
2. Yes.

3. Yes. It remained un-utilised as sites for construction of godowns could not be acquired as anticipated on account of legal formalities.

4. There are no such standing instructions, of course these factors are taken into consideration by the control warehousing Corporation at the time of making the matching contributions.

5. There being no standing directions the question does not arise.

6. The question does not arise.

राज्य के सीमावर्त्ती इलाकों में उद्योगों को प्रोत्साहन

३४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के पाक सीमावर्ती इलाकों में सरकारी अथवा गैर सरकारी माध्यम से खादी बोर्ड अथवा खादी कमीशन द्वारा किन २ घरेलू धंधों अथवा स्माल स्केल उद्योगों को प्रोत्साहन देने के कदम उठाये जा रहे हैं ?

(२) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(१) राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी पाक सीमावर्त्ती क्षेत्र में बोर्ड द्वारा ऊनी खादी चर्मोद्योग तथा रेशा उद्योग के कार्य को प्रोत्साहन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(२) बोर्ड द्वारा ऊनी खादी के अन्तर्गत ६१०,४३७)५० न०पै० व सहायता ६०, २४५)०० व चर्मोद्योग में १,१७,६०७)५० न०पै० व ६७,०५०)०० सहायता उद्योगों के विकास हेतु संस्था, सहकारी समितियों व पंचायत समितियों को दी गई हैं।

कार्य को तेजी से बढ़ाने के लिये आवश्यक टेक्नीकल स्टाफ रखा गया है व रखा जारहा है।

गिरदावरी की पर्चियां, तहसील लक्ष्मणगढ़

३५. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कितने पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक काश्तकारों को गिर्दावरी की पर्चियां नहीं दीं ?

(२) सरकार ऐसे पटवारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(३) क्या पर्चिया नहीं दिये जाने से किसानों का अहित हो सकता है ? यदि हां, तो अब ये पर्चियां कब तक दे दी जावेंगी ?

उत्तर

(१) कोई नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

पदम मंडी

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार पदमपुर (जिलागंगानगर की कच्ची मंडी को पक्की मंडी बनाना स्वीकार कर चुकी है ?

(२) यदि हां, तो उसके लिये कौनसा तथा कितना स्थान तय किया गया है ? क्या इसके लिये भूमि एक्वायर कर ली गई है तथा नई मंडी के प्लॉट्स वगैरह काट दिये गये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इसके लिये जो स्थान तय किया गया है उसका विवरण संलग्न है। कुल रकबा ८६०)३ बीघा है, सरकारी जमीन जो ५५६)५ बीघा

हैं उसको खारजो काश्त पर दिया जाना बंद है वह मौके पर खाली है प्राइवेट भूमि जो ६०)॥) ३ बीघा है, उसकी प्रवाप्ति की कार्यवाही कार्यालय उपजिलाधीश करनपुर में चालू है, प्लॉट्स काटने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

विवरण

पदमपुर कच्ची मंडी को पक्की मंडी बनाने के लिये जो स्थान तय किया गया उसका विवरण:—

सहकारी भूमि

नाम चक्र	विवरण मुरब्बा जात	कुल रकबा
२४ बी०बी०	२१,५१ ता ५४, ६३ ता ६५ ८८ से ९१,१०६	३४६ बीघा
२० बी०बी०	६०,६३ ता० ६८,७२ ता ७५ ७६,८०,८३	२१३)५
		योग — ५५६)५

प्राइवेट भूमि

२४ बी०बी०	६१,८७,१६८,१६६ ५८,५६,६३,६७ ता ७२, ८० ता ८३	६२॥)३ बीघा
		२३८।)
	६०)३ बीघा	योग ३०

नागौर जिले में लोहे का कोटा

३७ श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) लोहे के कोटे के सामान का वितरण राजस्थान कृषि विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में किस आधार पर किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि नागौर जैसे कृषि प्रधान जिले को सन् १९६२ में सिर्फ ३० बण्डल नालीदार चद्दर ही दिए गए हैं ?

(३) क्या अन्य जिलों को भी इतना ही कोटा दिया गया ? यदि नहीं, तो इस प्रकार के अलग अलग मात्रा के वितरण के क्या कारण हैं ? कृपया समस्त जिलों के कोटे के सन् १९६२ में वितरण की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

१. लोहे के कोटे के सामान का वितरण राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जिलों को कृषक जन संख्या के आधार पर किया जाता है ।

२. जी नहीं ।

३. जी नहीं । इसका कारण कृषक जनसंख्या की विभिन्नता है। समस्त जिलों में सन् १९६१-६२ में दिये गये नालीदार चद्दरों के कोटे की सूची संलग्न है ।

सूची

STATEMENT SHOWING THE DISTRICTWISE ALLOTMENT OF G. S. SHEETS DURING THE YEAR 1961-62

S. No. Name of the District	Quantity allotted in M. Tons.
1. Jaipur	556
2. S. Madhopur.	474
3. Tonk.	255
4. Bharatpur.	618
5. Alwar.	480
6. Jhunjhunu.	384
7. Sikar.	436
8. Churu.	308
9, Sriganganagar	138
10. Hanumangarh.	108
11' Bhilwara.	442
12. Bikaner.	180
13. Jodhpur.	580
14. Barmer.	320
15. Jalore.	300
16. Pali.	110
17. Nagaur.	430
18. Dungarpur.	252
19. Jaisalmer.	80
20. Banswara.	262
21. Udaipur.	446
22. Sirohi.	82
23 Kapasin.	342
24. Kotah.	264
25. Bundi.	188
26. Jhalawar.	286
27. Ajmer.	198

जिला बांसवाड़ा के भूमि-हीन काश्तकार

३८. श्री बिट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में कितने ही ऐसे भूमिहीन काश्तकार हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको भूमि देने के लिये भूमिहीनों की सूची बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जिला बांसवाड़ा में १७,३५५ भूमिहीन काश्तकार हैं।

(२) जी हां ।

एमोनियम सल्फेट में नमक

३९. श्री श्योपतसिंह, (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् १९६२ में गंगानगर जिले से एमोनियम सल्फेट में नमक मिलाने की कोई शिकायत सरकार के पास आई थी ?

(२) यदि हां, तो कब ?

(३) क्या सरकार ने उस पर कोई जांच की ?

(४) अगर हां, तो जांच में क्या पाया गया और जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) २५-८-१९६२

(३) हां।

(४) प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ कि कुछ एमोनियम सल्फेट के थैलों में नमक मिला हुआ है। इस जांच के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें रूल्स के मुताबिक चार्ज शीट दे दी गई हैं विभागीय जांच पूरी होने पर निर्णय किया जायगा।

पीतल के बरतन बनाने वाली फैक्ट्रियां

४०. श्री रामकिशन (बैर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर में पीतल के बरतन बनाने की कितनी फैक्ट्रियां है ?

(२) क्या इन फैक्ट्रियों को सरकार से कोई कोटा मिलता है ? यदि हां, तो किस किस को, कितना कितना और कब से ?

(३) क्या इन फैक्ट्रियों में कोई उत्पादन हुआ है ? यदि हां, तो किस किस में और कितना कितना ?

(४) क्या इन फैक्ट्रियों का उत्पादन कभी चैक किया गया है ? यदि हां, तो कब और इस उत्पादन की खपत का क्या रेकार्ड है ?

उत्तर

भरतपुर में निम्नलिखित चार फैक्ट्रियां हैं।

१. मै० बालमुकन्द मक्खनलाल मैटल इन्ड०, मथुरा दरवाजा बाहर, भरतपुर।

२. मै० नानकचन्द विशम्भरदयाल मैटल इन्ड०, भरतपुर।

२. मै० बुचीमल घासीराम मैटल इन्ड०, भरतपुर।

४. मै नत्थीमल फूलचन्द मैटल इन्ड०, भरतपुर।

इन फैक्ट्रियों को सन् ५९-६० से कोटा मिल रहा है। अलाटमैंट लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

इन सभी फैक्ट्रियों में बर्तन तथा स्टोव बनाये जाते हैं। अलाटिड माल के मुताबिक इनमें उत्पादन बर्तनों का हुआ है।

इन फक्ट्रियों का चैकिंग समय समय पर किया जाता रहा है। इन फैक्ट्रियों का बनाया हुआ माल भरतपुर जिला व यू.पी. में जाता है जिसका हिसाब फैक्ट्रीज के पास मौजूद है जिसका यह सेल टैक्स चुकाते है।

सूची

Allotment of Non-Ferrous Metals to the Utencils Manufacturers of Bharatpur.

S. No. Name of the parties.	Apri- Copper.	Sept. 59 Zinc.	Oct. 59 Copper.	March, 60 Zinc.	Oct-60 Copper	Mrh. 61 Copper.	Apl. Copper	Sept. 61 Zinc	Oct. 61 Brass	Mrh. 62 Circles	Apl. Brass	Sept. 62 Circles.
1. Nanakchand Bishambar Dayal, Bharatpur.	2.05	2.30	0.14	3.3	—	—	3.25	2.10	5.35		3.65	
2. Balmukand Makhanlal Bharatpur	6.2	5.30	0.40	11.6	1.01	1.78	4.00	2.25	6.25 +	5 for stoves.	4.17 +	3.30 for stoves.
3. Nathilal Phulchand Bharatpur.	0.60	1.30	0.08	1.00	0.25	0.73	1.45	1.00	2.45		1.64	
4. Buchimal Ghasiram, Bharatpur.	—	—	0.50	0.73	0.10	0.73	0.75	0.60	1.35		0.28	

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १६ अगस्त, १९६३)

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	अन्तिम से ३	श्री रार्मकिशन	श्री रामकिशन
६	१५	श्री विजर्यानह् झाला	श्री विजयसिंह् झाला
७	१३	श्री मुरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
८	११	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
१०	२२	स ाह्	सलाह्
१४	१६	श्री चदनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
,,	२१	श्री विठ्ठल ।	श्री विट्ठल ।
१५-१६	शीर्षक	-६ अगस्त, १९६३-	-१६ अगस्त, १९६३-
१५	१८	अतिरित	अतिरिक्त
,,	२०	अनान	अनाज
१७-१८ व २३-२४	शीर्षक	-१६ अगस्त, १९६४-	-१६ अगस्त, १९६३-
१७	अन्तिम से ५	बढ़ोतरी	बढ़ोत्तरी
,,	,, ,, २	मत्री	मंत्री
१८	१०	Order please i	Order please !
,,	१२	Order i please i	Order please !
१९	अन्तिम से २	कदम—का	कदम उठाने का
२१	,, ,, ३	श्री भानुप्रसाद प्रसाद :	श्री भानुप्रसाद कराड़िया :
२८	,, ,, ४	वार्य	कार्य
३०	१३	ल ही	लग ही
,,	१७	हैं ।	है ।
,,	२०	परिवतित	परिवर्तित
,,	२५	श्रीभवानीशंकर ननुवाना:	श्री भवानीशंकर नन्दवाना :
६३	१२	की	को
६४	६	छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति
,,	७	(आपाल सागर)	(गोपालसागर)

१	२	३	४
३५	४ व १३	श्रीमुकटबिहारीलाल गोयल:	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,,	६	१ २८	१.२८
,,	११	सम्बन्ध मैं,	सम्बन्ध में,
३६	२२	जाते	आते
,,	अन्तिम से २	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
३७	अन्तिम से ४	(सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया) श्री अध्यक्ष: भाखरा क्षेत्र के भूमि हीन किसान।	श्री अध्यक्ष : भाखरा क्षेत्र में भूमि हीन किसान। (सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया)
३८	३	ज.ना	जाना
,,	अन्तिम से ३	की	को
३९	,, ,, ३	श्री रामप्रसाद लढ़्ढा:	श्री रामप्रसाद लड्ढा:
४१	६, ११, २०, व २५	श्री भैरोंसिंह:	श्री भैरोंसिंह:
,,	९	श्री राभप्रसाद लड्ढा:	श्री रामप्रसाद लड्ढा:
४३	अन्तिम से ३	(अ सपुर)	(आसपुर)
५०	४	(कीलायत)	(कोलायत)
५१	२ व १९	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
,,	२३	श्री नाथूराम मिर्धा :	श्री नाथूराम मिर्धा :
५४	१४	(वयाना)	(बयाना)
५६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नातर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम से ५	वार्षिक	वार्षिक
५८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्त	तारांकित प्रश्नोत्तर
६०	२४ – २५	प्रधाना अध्यकों	प्रधानाध्यापकों
६१	शीर्ष	निरंजननाथ आचर्य	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
,,	अन्तिम से ३	श्री निरजननाथ आचाय:	श्री निरंजननाथ आचार्य:
६२	,, ,, ४	इसका	इसको
६६	शीर्षक	–सरकार के प्रति	–तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१२	प्रश्नोत्तरों	प्रश्नोत्तरों

१	२	३	४
६६	अन्तिम से ३	भृष्टाचार	भ्रष्टाचार
७३-७४	शीर्षक	अविश्वास प्रस्ताव –१६	स्थगन प्रस्ताव –१६ अगस्त,
७३	अन्तिम से ४	अगस्त १६६३-स्थगन प्रस्ताव	१६६३-विधेयकों का विवरण
७५	५	राज्पपाल	राज्यपाल महोदय
७६	शीर्षक	अाघसूचनाए	अधिसूचनाएं
,,		जी. बार.	जी. आर.
,,	२२	(कोयलात)	(कोलायत)
,,	२७	हूऊस	हाउस
७७	२१	lsos	loss
७८	२ – ३	भू-स्वामियो को	भू-स्वामियों की
७६	अन्तिम	विघेयक	विधेयक
८१	४	वातें	बातें
८४	१६	रूपू	रूप
८६	४	की	को
,,	१७	रिल्ज़ट	रिजल्ट
८७	५	निवे–	निवेदन
८६-६०	शीर्षक	तारांकितप्रश्नोत्तर-१६अगस्त, १६६३–तारांकित प्रश्नोत्तर	राजस्थान भू-सम्पदा-१६ अगस्त, १६६३-अवाप्ति विधेयक
६१	१५	१६।२	१६५२
,,	२५	पालिटिक्ल	पोलिटिकल
,,	२६	लोगा	लोगों
६२	६	प्रावघानर खा	प्रावधान रखा
,,	१०	प्राप	आप
६३	शोर्ष	(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१	बीर्ड	बोर्ड
६६	शीर्ष	आवप्तिविघेयक	अवाप्ति विधेयक
,,	३	गम्भरता–	गम्भीरता–
,,	४	भूनिहीनों	भूमिहीनों
,,	१४	थी	श्री
१००	शीर्ष	अवाप्ति विघेयक	अवाप्ति विधेयक
१०६	२३,२४ व २७	लेन्ड	लैन्ड

१	२	३	४
१०६	२७	बीधा	बीघा
१०७	२१	कोवेनट	कोवेनन्ट
१११	शीर्ष	(श्री माणिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
,,	१ व ३	कलेक्टर	कलेक्टर
,,	४	जचे	जंचे
,,	२२	टाकन	टोकन
,,	२४	एकवायर	एक्वायर
११२	अन्तिम से ५	में	मैं
११६	२	पपर्टी	प्रोपर्टी
,,	८	मे	में
,,	१३	का	को
,,	२६	जमीदरों	जमींदारों
११७	१०	दजिए	दीजिए
११८	८	नट ग्रॉफ	नोट ग्रॉफ
१२१	शीर्ष	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)	(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
,,	६	ऐ ी	ऐसी
,,	२०	लॉएड	लॉर्ड
१२२	अन्तिम से ४	को के व्यू के मुताविक	कोर्ट के व्यू के मुताबिक
१२३	,, ,, ४	टनेंसी	टीनेन्सी
१२७	,, ,, ६	मिनिस्ट्रो	मिनिस्ट्री
१२८	,, ,, २	एसा	ऐसा
१३३	२	काननू	कानून
,,	६	संतुस्ट	संतुष्ट
,,	१४	मेंने	मैंने
१३४	२	वेसे	वैसे
,,	१७	श्री रामप्रसाद लढढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	१८	relevery	relevancy
१३७	११	श्री दुर्गा लाल बादवार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
,,	१६	रेवेन्यु	रेवेन्यू
१३८	१५	कब्जा	कब्जा
,,	२०	सम्पत्ति	सम्पत्ति
,,	,,	कब्वा	कब्जा

१	२	३	४
१४०	२	सम्पति	सम्पत्ति
,,	२४	बानता	जानना
१४१	३	श्री दुर्गा लाल बाढ़ादार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
१४३	६,८,१३ व १४	सम्पत्ति	सम्पत्ति
१४६	२३	हुम्रा	हुम्रा
,,	२५	लड	लैंड
१४६	६	बीच	बीच
१५४	अन्तिम से ३	बेवरबार	बेवरबार
१५८	१	वाद	बाद
१६१	अन्तिम से ४	हर्गिज	हर्गिज
१६४	६	महारावल श्री लमदणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
१६८	अन्तिम से ७	रुलस	रूलर्स
,,	,, ,, ५	परिर्वातत	परिवर्तित
१६६	३	कम्पर्लट	कम्पलीट
१७०	७	वंघानिक	वैधानिक
,,	अन्तिम से ८	niembers	members
७१	७	रेट्रोम्पेक्टिव	रिट्रोस्पेक्टिव
१७२	२	कायंरप	कायंरूप
,,	१८	सिर्द्धात	सिद्धान्त
१७३	३	विया	किया
,,	८	बो म्राय	की म्राय
१७४	१५	(ोलायत)	(कोलायत)
,,	अन्तिम से ६	प्रोसिडिग्ज	प्रोसिडिग्ज़
,,	,, ,, ५	कांसटिट्यूरा	कांस्टिट्यूशन
१७५	३	उपाघ्यच	उपाध्यक्ष
,,	७	कॉस्टीटयूएन्ट	कांस्टिट्यूएन्ट
,,	१३	उपाध्वक्ष	उपाध्यक्ष
,,	१५	रूलसं	रूलर्स
७७	१५	बारे में में	बारे में मैं
,,	२१	चा'हये	चाहिये

१	२	३	४
१७६	अन्तिम	नो	को
१८२	अन्तिम से ६	अधिकर	अधिकार
१८३	शीर्ष	(श्री मुकुट बिहारोलाल गायल)	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१८४	४	त.ह	तरह
,,	२६	(बंर)	(वैर)
१८५	५	श्री मुकुटबिह्वारीलाल गायल :	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :
१८७	१०	उद्योगपितयों	उद्योगपतियों
१८६	३	अविश्षास	अविश्वास
,,	११	श्री मुकुटविहारीलाल मोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१६०	१६	स्थति	स्थिति
१६१	१६	विघयक, १६६३]	विधेयक, १६६३]
,,	१६	बिघेयक, ११६२)	बिधेयक, १६६२
१६२	४	नगरपालिका	नगरपालिका
१६३	६	सशोधन	संशोधन
१६४	२६	श्री रामप्रसाद मड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
१६६	४,आइटम सं०५	बेंपाली	बेनीपाली
२०३	१०	प्रश्न संख्या ११	प्रश्न संख्या २६
२०४	१४	Mishar	Mishra
२०५	शीर्षक	परिशिव्ट	परिशिष्ट
,,	१	उद्द्श्य	उद्देश्य
२०६	अन्तिम	मार्च ६३	मार्च, ६३
२०७	१४	इन्डस्टीज़	इन्डस्ट्रीज़
२०८	२	आघार	आधार
२१०	२	amonnt	amount
,,	११	uantuqm	quantum
,,	२८-२६	control	central
२११	अन्तिम से ४	ाक्नोकल	टैक्नीकल
२१२	१३	पदम मडी	पदम मंडी
२१६	१४	श्री बिट्ठल	श्री विट्ठल
२१७	अन्तिम से ७	(बंर)	(वैर)
,,	,, ,, २	मो	तो